

मुकदमों का विवरण

कॉमर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम।

मेसर्स यूआरएमआईएन प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड। अन्य (2010 की सिविल अपील सं. 10159-10161) 20 अक्टूबर, 2023

[एस. रवींद्र भाट और अरविंद कुमार, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए मुद्दे:

अपीलों के वर्तमान सात समूहों में प्राथमिक विवाद दो प्रतिस्पर्धी केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप-प्रमुखों/प्रविष्टियों को ध्यान में रखते हुए उत्पाद के वर्गीकरण के इर्द-गिर्द घूमता था, यानी सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9910 के तहत 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में या सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9930 के तहत 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के रूप में। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 ए के प्रावधान को लागू करने और आर की घोषणा से संबंधित सहायक मुद्दे। 6 'च्युइंग टोबैको' और विनिर्मित टोबैको पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रह) नियम, 2010 (सी. टी. पी. एम. नियम)।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, **1944 -s.11A**, परंतुक-सीमा की विस्तारित अवधि को लागू करना-गलत वर्गीकरण और अपने उत्पाद के जानबूझकर गलत कथन द्वारा निर्धारिती द्वारा शुल्क के भुगतान से बचने के लिए जानबूझकर इरादा-इसलिए निर्णय करने वाले प्राधिकरण ने एस. के परंतुक में प्रदान की गई विस्तारित अवधि को लागू करने में न्यायसंगत ठहराया। **11 ए (1)**।

आयोजित किया गया: एम. आर. पी. आधारित मूल्यांकन के लिए अधिनियम 1944 की धारा 4 ए के तहत आने वाली वस्तुओं को निर्दिष्ट करते हुए 2002 की अधिसूचना 01.03.2002 के स्थान पर 2006 की अधिसूचना संख्या 2, दिनांक 01.03.2006 जारी की गई थी। अधिसूचना में सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9930 ('जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू') के तहत आने वाले सामानों को निर्दिष्ट नहीं किया गया था, लेकिन सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9910 ('चबाने वाला तंबाकू') के तहत आने वाले सामानों को शामिल किया गया था। चूंकि 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' को सीई अधिनियम की धारा 4 ए के तहत एमआरपी-आधारित मूल्यांकन के तहत निर्दिष्ट नहीं किया गया था, इसलिए माल का मूल्यांकन सीई अधिनियम की धारा 4 के तहत किया जाना था। सी. ई. टी. 574 के तहत वर्गीकृत माल को दी गई छूट

573

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

एसएच 2403 9910 50 प्रतिशत था। इसलिए, यदि माल को 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में मंजूरी दी जाती है, तो कम मूल्य पर शुल्क का भुगतान करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप शुल्क की 35 प्रतिशत कम राशि का भुगतान होता है, क्योंकि 50 प्रतिशत की कमी के बाद धारा 4 ए के तहत निर्धारित मूल्य सीई अधिनियम की धारा 4 के तहत लेन-देन मूल्य की तुलना में बहुत कम था। यही सटीक कारण है कि निर्धारिती ने वर्गीकरण को 'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू' से 'चबाने वाले तंबाकू' में बदल दिया। 'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू' को 2006 की अधिसूचना संख्या 2 में संशोधन के आधार पर सीई अधिनियम (एमआरपी-आधारित मूल्यांकन) की धारा 4 ए के दायरे में लाया गया था। दूसरे शब्दों में, 'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू' को 01.03.2006 से 10.07.2006 की अवधि के लिए CE अधिनियम की धारा 4A के तहत मूल्यांकन के लिए निर्दिष्ट नहीं किया गया था। उसी के आलोक में, राजस्व सही था और कारण बताओ नोटिस जारी करने में न्यायसंगत था। हालांकि निर्धारिती द्वारा उठाए गए तर्कों में से एक यह था कि उन्होंने 30.03.2006 पर विभाग को एक पत्र भेजा था जिसमें स्पष्ट रूप से निर्धारिती द्वारा वर्गीकरण में बदलाव दिखाया गया था, हालांकि, 30.03.2006 दिनांकित पत्र को चतुराई से तैयार किया गया था और इसमें उस उत्पाद का विस्तार से उल्लेख नहीं किया गया था जिसका वे उस समय निर्माण कर रहे थे, अर्थात् 'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू'। यह तथ्य को छिपाने और उनके पत्र में विवरण निर्दिष्ट नहीं करने के कारण विभाग द्वारा सीई अधिनियम की धारा 11 ए और धारा 11 एसी का आह्वान किया गया। यह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि दिनांक 1 के पत्र की अंतिम भाषा तक, निर्धारिती स्वयं उत्पाद को सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9930 के तहत आने वाले 'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत कर रहा था और एक बड़े पैमाने पर निर्माता होने के नाते और शुल्क के रूप में बड़ी राशि का भुगतान कर रहा था, यह तर्क देने के लिए कि वह इन दोनों उत्पादों के बीच के अंतर से अनजान था, या यह तर्क देना कि उसने अज्ञानता से उत्पाद को 'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत किया था, निर्धारिती की ओर से एक प्रशंसनीय औचित्य नहीं है। हालांकि, 2006 की अधिसूचना संख्या 2 दिनांक 1 जारी करने पर, जिसके तहत 'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू' को बाहर रखा गया था या दूसरे शब्दों में उक्त अधिसूचना में शामिल नहीं किया गया था, निर्धारिती ने इसके उत्पाद के विवरण को 'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू' से बदलकर 'चबाने वाले तंबाकू' कर दिया। निर्धारिती द्वारा दिनांकित 30.03.2006 पत्र के संचार की तारीख भी उतनी ही महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करती है जितनी 2006 की अधिसूचना संख्या 2 दिनांकित 01.03.2006 को केवल दो दिन बाद 01.04.2006 से प्रभावी होना था। इरादा सी. ई. अधिनियम की धारा 4 के तहत देय शुल्क के भुगतान से बचने का था; इस तथ्य को जानने के बावजूद कि इसका उत्पाद प्रासंगिक अधिसूचना के तहत शामिल नहीं था जो धारा 4 ए के तहत मूल्यांकन का प्रावधान करता है, फिर भी 575

कॉमर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यू. आर. एम. आई. एन. प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड और अन्य 576

निर्धारिती ने ऐसा केवल सी. ई. अधिनियम की धारा 4 ए के अनुसार कम मूल्य पर शुल्क का भुगतान करने के लिए किया, एम. आर. पी. आधारित मूल्यांकन का लाभ उठाने के लिए उसके द्वारा निर्मित उत्पाद को 'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू' के बजाय 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में दावा किया,

जो सी. ई. अधिनियम की धारा 4 के तहत निर्धारित मूल्य से कम था। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का स्पष्ट विचार था कि गलत वर्गीकरण और अपने उत्पाद के जानबूझकर गलत कथन द्वारा निर्धारिती द्वारा शुल्क के भुगतान से बचने का जानबूझकर इरादा रहा है और इसलिए इसे सीई अधिनियम, 1944 की धारा 11 ए (1) के प्रावधान में प्रदान की गई विस्तारित अवधि को लागू करने में उचित ठहराया गया था।[पारस 40,41,42 और 43]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, **1944-एस. एस. 4 और 4 ए-वर्गीकरण-दो प्रतिस्पर्धी प्रविष्टियाँ-'चबाने वाला तंबाकू' और 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू'-केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप-प्रमुख (सी. ई. टी. एस. एच.) 2403 9910** के तहत 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में या सी. ई. टी. एस. एच. **2403 9930** के तहत 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए निर्धारिती द्वारा निर्मित और मंजूरी प्राप्त उत्पाद।

आयोजित किया गया: प्रवेश का सिद्धांत सबसे अच्छा प्रमाण है जिसे इस निष्कर्ष पर लागू किया जा सकता है कि निर्धारिती ने स्वयं अप्रैल 2006 और उसके बाद के लिए ई. आर.-I रिटर्न में घोषणा के आधार पर उत्पाद को 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत किया था-निर्धारिती स्वयं शुरू से ही 2005 में 8 अंकों की व्यवस्था तक लगातार अपने द्वारा निर्मित उत्पाद को 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में घोषित कर रहा है। 24.02.2005) प्रविष्टियों को 'चबाने वाले तंबाकू' और 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के रूप में उप-वर्गीकृत किया गया-ई. आर.-I रिटर्न में मार्च 2005 से अप्रैल 2006 तक यानी उप-वर्गीकरण के बाद, निर्धारिती ने उत्पाद के विवरण का उल्लेख 'जर्दा सुगंधित तंबाकू' के रूप में किया और अप्रैल 2006 से इसे 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में फिर से वर्गीकृत किया-2006 का अधिसूचना कैंशन संख्या 2 दिनांक 01.03.2006 को 2002 के अधिसूचना कैंशन 13 के स्थान पर जारी किया गया था, जिसमें एम. आर. पी. आधारित मूल्यांकन के लिए सीई अधिनियम की धारा 4 ए के तहत आने वाले सामान को निर्दिष्ट किया गया था। 4 सी. ई. अधिनियम के अनुसार, माल का मूल्यांकन अनिवार्य रूप से यू/एस के तहत किया जाना था। 4 सीई अधिनियम-निर्धारिती इस बात से अवगत है कि उत्पादों की प्रकृति, इसकी सामग्री और निर्माण प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है और उत्पाद का गलत वर्गीकरण किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

'जर्दा/जर्दा सुगंधित' तंबाकू से 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में-यदि निर्धारिती ने 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के रूप में अपना वर्गीकरण जारी रखा होता, तो लेनदेन मूल्य यू/एस के अनुसार देय शुल्क। 4 सी. ई. अधिनियम का निर्धारण यू/एस के निर्धारण से बहुत अधिक होता। 450 प्रतिशत की कमी के बाद सीई अधिनियम का ए-उच्च शुल्क के भुगतान से बचने और बचने के इसी सटीक कारण से वर्गीकरण को जानबूझकर 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' से 'चबाने वाले तंबाकू' में बदल दिया गया था। [पारस 44,46 और 47]

क्रानूनों की व्याख्या-राजकोषीय क्रानून में प्रविष्टि-सामान्य प्रविष्टि की तुलना में विशिष्ट प्रविष्टि:

आयोजित किया गया:यह एक सामान्य नियम है कि जब किसी नियम में विशिष्ट सी प्रविष्टि पाई जाती है, तो यह किसी भी सामान्य प्रविष्टि पर प्रबल होगा-यदि दो या दो से अधिक उप-शीर्षक हैं, तो सबसे विशिष्ट सी विवरण प्रदान करने वाले शीर्षक को अधिक सामान्य विवरण प्रदान करने वाले शीर्षक की तुलना में प्राथमिकता देनी होगी।[पैरा 49]

कर/कराधान-केंद्रीय उत्पाद शुल्क-प्रभार्यता-वर्गीकरण-उत्पाद के वर्गीकरण में परिवर्तन के लिए-किस पर झूठ बोलता है:

आयोजित किया गया:यह तय कानून है कि उत्पाद के वर्गीकरण में परिवर्तन के लिए प्रमाण का भार विभाग पर है, विशेष रूप से जब वह लंबे समय से स्वीकृत वर्गीकरण को चुनौती देना चाहता है-वर्गीकरण "प्रभार्यता" से संबंधित एक प्रश्न है-जहां तक प्रभारिता का संबंध है, प्रमाण का भार राजस्व पर है न कि निर्धारिती पर।[पारस 68 और 70]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क-'च्युइंग टोबैको' और गैर-निर्मित तंबाकू पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रह) नियम, **2010** (सी. टी. पी. एम. नियम) -आर. **6**-सी. टी. पी. एम. नियमों के नियम **6** के तहत घोषणा करने का उद्देश्य-नियम **6** के तहत जांच, निर्धारण और निर्णय लिए जाने वाले मापदंड-ऐसी घोषणा, यदि उत्पाद के वर्गीकरण से कोई संबंध है-चाहे ऐसी घोषणा द्वारा वर्गीकरण के कारण, विभाग को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, **1944** की धारा **11** ए या **11** एसी के तहत नोटिस जारी करने से रोक देगा।

आयोजित किया गया:(1) सी. टी. पी. एम. नियमों के नियम 6 के तहत की गई घोषणा का उद्देश्य क्या है?जवाब:मशीन की पैकिंग क्षमता को निर्धारित करने के उद्देश्य से निर्मित किए जाने वाले उत्पाद के विवरण और उत्पाद की प्रकृति का पता लगाना और शुल्क निर्धारित करना।(2) पैरामीटर 577 क्या हैं?

कॉमर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यू. आर. एम. आई. एन. प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड और अन्य 578

निर्धारित प्राधिकरण द्वारा नियम 6 के तहत किसकी जांच, निर्धारण और निर्णय लेने की आवश्यकता है?जवाब:घोषणा के तहत प्रस्तुत विवरणों की शुद्धता की जांच और निर्धारण करना, अर्थात् प्रपत्र संख्या 1।(3) क्या सक्षम प्राधिकारी के पास वर्गीकरण या विशिष्ट सी प्रविष्टि निर्धारित करने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र है जिसके भीतर घोषित उत्पाद को वर्गीकृत किया जाना है?या क्या किसी उत्पाद के वर्गीकरण का मुद्दा सी. टी. पी. एम. नियमों के नियम 6 (2) के तहत निर्णय/निर्णय का विषय हो सकता है?जवाब:हां. (4) क्या नियम 6 के तहत की गई घोषणा का उत्पाद के वर्गीकरण से कोई संबंध है?जवाब:हां, पैकिंग क्षमता और संबंधित शुल्क निर्धारित करने के उद्देश्य से।(5) क्या इस तरह की घोषणा द्वारा वर्गीकरण के कारण विभाग को सीई अधिनियम, 1944 की धारा 11 ए या 11 एसी के तहत नोटिस जारी करने से रोका जा सकता है?जवाब:नहीं, यदि अनुचित या गलत घोषणा या अनुचित घोषणा है।[पैरा 109]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क-क्लासिफी कैटायन-सामान्य बोलचाल परीक्षण किसी उत्पाद के क्लासिफी कैटायन के लिए निर्धारक परीक्षणों में से एक बना हुआ है।[पैरा 120]

शब्द और वाक्यांश-'दमन'-का अर्थ-चर्चा की गई।[पैरा 42]

शहरों और
अन्य संदर्भों
की सूची

सी. सी. ई. बनाम कॉट्सपन (1999) 7 एस. सी. सी. 633:[1999] 3 पूरक।एससीआर 184;

कॉन्टिनेंटल फाउंडेशन जेटी। उद्यम बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त

(2007) 10 एससीसी 337:[2007] 9 एससीआर 554; वेस्टिंगहाउस सैक्सबी फार्मर लिमिटेड।

v. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कलकत्ता, (2021) 5 एससीसी 586:[2021] 3

एससीआर 622; ए. नागराजू ब्रदर्स।बनाम ए. पी. राज्य, (1994) 3 पूरक एस. सी. सी. 122:[1994] 1 पूरक।एससीआर 784; एचपीएल केमिकल्स लिमिटेड बनाम सीसीई, चंडीगढ़:

(2006) 5 एससीसी 208:[2006] 1 पूरक।एससीआर 125; सीसीई बनाम डैमनेट केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (2007) 7 एससीसी 490:[2007] 9 एस. सी. आर. 813; सी. सी. ई. बनाम श्रीवल्लभ ग्लास

वर्क्स लिमिटेड (2003) 11 एस. सी. सी. 341; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद चबाने वाला तंबाकू (2009) 12 एस. सी. सी. 419:[2009] 5 एससीआर 879; W.P.I.L. v.सी. सी. ई मेरठ 2005 (181) ई. एल. टी. 359; एच. पी. एल. केमिकल्स लिमिटेड

बनाम सी. सी. ई. चंडीगढ़।2006 (197) ईएलटी 324 (एससी); मौरी यीस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। 2008 (225) ई. एल. टी. 321 (एससी); सी. सी. ई., नागपुर बनाम श्री

बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन आयुर्वेद चबाने वाला तंबाकू।2009 (237) ईएलटी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

225 (एससी); आईटीसी लिमिटेड बनाम।आयुक्त (2019) 17 एस. सी. सी. 46; एच. पी. एल. केमिकल्स लिमिटेड बनाम.सीसीई, चंडीगढ़ 2006 (197) ईएलटी 324 [एससी]; मौरी यीस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनामयू. पी. राज्य 2008 (225) ईएलटी 321 [एससी];

विवेक नारायण शर्मा बनाम भारत संघ (2023) 3 एससीसी 1; हिंदुस्तान पोल्स कार्पोरेशन। बनाम सीसीई (2006) 4 एससीसी 85:[2006] 3 एससीआर 461; स्विस् रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ (2019) 4 एससीसी 17:[2019] 3 एससीआर 535; सीसीई नागपुर बनाम श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद

भवन 2009 (237) ईएलटी 225 [एससी]; माथुरम बनाम स्टेट ऑफ एम्पी (1999) 8 एस. सी. सी. 667 :[1999] 4 पूरक।एससीआर 195; सीसी बनाम दिलीप कुमार एंड कंपनी (2018) 9 एससीसी 1:[2018] 7 एस. सी. आर. 1191; भारत अंतर्राष्ट्रीय उद्योग बनाम सी. जी. एस. टी. (1981)

2 एससीसी 528:[1981] 3 एस. सी. आर. 294; दामोदर जे. मालपानी बनाम सी. सी. ई. (2004) 12 एस. सी. सी. 70; योगेश एसोसिएट्स बनाम सी. सी. ई., सूरत-2 (2005) (188) ई. एल. टी. 251 (एस. सी.);

गोपाल जरदा उद्योग बनाम सीसीई, नई दिल्ली 2005 (188) ईएलटी 251; धरम पाल

सत्यपाल बनाम सीसीई नई दिल्ली [2005] (183) ईएलटी 241 (एससी); भारत संघ

बनाम दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स [1963] सप।1 एस. सी. आर. 586; केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, कानपुर बनाम कृष्णा कार्बन पेपर कंपनी (1989) 1 एस. सी. सी. 150: [1988] 3 पूरक।एससीआर 12; कोस्टल पेपर लिमिटेड बनाम केंद्रीय आयुक्त

उत्पाद शुल्क, विशाखापत्तनम (2015) 10 एस. सी. सी. 664:[2015] 8 एस. सी. आर. 486 और पारले

एग्रो प्राइवेट लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर आयुक्त, त्रिवेंद्रम (2017) 7

एससीसी 540:[2017] 5 एस. सी. आर. 30-संदर्भित।

प्रभात जरदा फैक्ट्री बनाम कम्प।केंद्रीय उत्पाद शुल्क [2004 (163) ई. एल. टी.

485 (त्रि-दिल्ली)-संदर्भित।

मिश्रा जरदा ट्रेडर्स बनाम उड़ीसा राज्य 1987 एस. सी. सी. ऑनलाइन 363 -

संदर्भित किया गया।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2010 की सिविल अपील सं. 10159-10161।

सीमा शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, पश्चिम क्षेत्रीय पीठ, अहमदाबाद के निर्णय और आदेश दिनांक 25.03.2010 से अपील सं। 2008 का ई/426,427 और 428।

के साथ

सिविल अपील संख्या 2023 की 6519, 2020 की 2469, 2023 की 6521, 6522, 2019 की 959, 2019 की 6526, 6527, 6528, 6529, 6530, 2023 की, 2015 की 5146 और 2023 की 3596।

सीएमआर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यू. आर. एम. आई. एन. प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड और अन्य 580

579

रूपः

एस. के. बगारिया, विवेक कोहली, वरिष्ठ अधिवक्ता।, बी. कृष्ण प्रसाद, सुश्री शीना ताकी, सुश्री आकांक्षा सैनी, अजीत के. सिन्हा, शिव विनायक गुप्ता, श्रीमती बीना गुप्ता, श्रीमती निशा बागची, मुकेश कुमार मरोरिया, शेटी उदय कुमार सागर, सुश्री आकांशा कौल, एस. के. सिंघानिया, एच. आर. राव, अजय चौधरी, कविन गुलाटी, आदित्य भट्टाचार्य, भानु गुप्ता, किशन दत्ता, ए. आर. माधव राव, ए. मुकुंद राव, सिद्धांत बक्सी, एम. पी. विनोद, सुनील त्यागी, अश्विनी शर्मा, नलिन तलवार, संदीप बुरारिया, अर्चित उपाध्याय, सुश्री भव्य भाटिया, कुमार अजीत सिंह, रुपेश कुमार, आदित्य उपस्थित दलों के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

अरविंद कुमार, जे।

1. 23.08.2023 पर देरी को माफ कर दिया गया।

2. इन अपीलों को सुविधा के लिए सात (7) समूहों में विभाजित किया गया है, और प्रत्येक समूह के तथ्यों को संबंधित समूहों के तहत गिना गया है, जिसके तहत प्रश्नों या निर्धारण के लिए बिंदुओं को तैयार किया गया है और उनका विश्लेषण किया गया है। सुविधा के उद्देश्य से, प्रत्येक समूह के संदर्भ में निर्णय का विवरण और उसके विवरण नीचे दी गई तालिका संख्या में दिए गए हैं। 1:

तालिका **1**

समूह संख्या।	सामग्री-विवरण	पृष्ठ संख्या
	से	ता.
1	केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अहमदाबाद बनाम एम/एस उरमिन उत्पाद और अन्य। [2010 का सी. ए. सं. 10159-10161]	
	आई. संक्षिप्त	17
		20

	तथ्य		
	ii. दलों की प्रस्तुतियाँ	20	29
	iii. चर्चा और खोज	29	49

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

2	केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चडीगढ़ बनाम मेसर्स फ्लेक्स-एन-फ्लेवर्स [2015 का सी. ए. 5146]		
	आई. संक्षिप्त तथ्य	50	51
	ii. दलों की प्रस्तुति याँ	51	55
	iii. चर्चा और निष्कर्ष	56	72
3	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आबकारी एवं सीमा शुल्क आयुक्त भोपाल बनाम कैपन मसाला प्राइवेट लिमिटेड। [2019 की डायरी संख्या 44912; 2020 की डायरी संख्या 6888]		
	आई. संक्षिप्त	73	78

	तथ्य		
	ii. दलों की प्रस्तुतियाँ	78	81
	iii. चर्चा और निष्कर्ष	81	86
4	मैसर्स धर्मपाल प्रेमचंद लिमिटेड वी. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त [2020 की डायरी संख्या 3492,3487,2810,3484,3513,3536,3544,3545,3547 के साथ 2020 की सी. ए. संख्या 2469]		
	आई. संक्षिप्त तथ्य	86	90
	ii. दलों की प्रस्तुतियाँ	90	94
	iii. चर्चा और निष्कर्ष	95	116
5	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्त बनाम मैसर्स तेज राम धरम पॉल [2023 का सी. ए. सं. 3596]		
	आई. संक्षिप्त तथ्य	116	119
	ii. दलों की प्रस्तुतियाँ	119	121

	iii. चर्चा और निष्कर्ष	121	125
6		केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर आयुक्त मेरठ वी. एम./एस. सोम पान प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। [2019 का D.No.14581]	
	आई. संक्षिप्त तथ्य	126	127
	ii. दलों की प्रस्तुति याँ	127	129
	iii. चर्चा और निष्कर्ष	129	130
7		केंद्रीय उत्पाद शुल्क और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त अलवर बनाम तारा चंद नरेश चंद [2019 का सी. ए. <आईडी1]	
	आई. संक्षिप्त तथ्य	131	133
	ii. दलों की प्रस्तुति याँ	133	137
	iii. चर्चा और निष्कर्ष	137	142
आदेश		पृष्ठ 143-144	

सीएमआर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यूआरएमआईएन प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड। और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 582

581

3. इस न्यायालय के समक्ष मामलों के विभिन्न समूहों में राजस्व की ओर से, हमने सुना है:- (1) श्री एन. वेंकटरमन, भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, (2) सुश्री निशा बागची, विद्वान स्थायी वकील। 4. निर्धारिती की ओर से हमने सुना है:- (1) श्री एस. के. बागरिया और श्री विवेक कोहली, विद्वान वरिष्ठ वकील, (2) श्री ए. आर. माधव राव, श्री रुपेश कुमार और सुश्री सीमा जैन, विद्वान वकील।

5. समूह संख्या (ओं) 1,2,3,5,6 और 7 में अपीलार्थी और उत्तरदाता

समूह संख्या 4 में, अर्थात् 'केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त' इसके बाद हैं।

"राजस्व" के रूप में संदर्भित। समूह संख्या 4 में अपीलार्थियों और समूह संख्या (ओं) 1,2,3,5,6 और 7 में संबंधित उत्तरदाताओं को सुविधा और संक्षिप्तता के लिए इसके बाद "निर्धारिती" के रूप में संदर्भित किया जाता है।

6. संदर्भ की आसानी के लिए, निम्नलिखित तालिका संख्या। 2 नामकरण/संक्षिप्त नाम नीचे दिए गए हैं।

तालिका 2

श्री. नहीं।	नामकरण/ संक्षिप्त नाम	विवरण/अर्थ
1	"बीआईएस "	भारतीय मानक ब्यूरो
2	"सीबीआईसी "	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
3	"सीईटीए "	केंद्रीय उत्पाद शुल्क शुल्क अधिनियम, 1985
4	"सीई एक्ट "	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944
5	"सीईटी एसएच "	केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप-प्रमुख
6	"सी. ई. एस. टी. ए "	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय

		न्यायाधिकरण
7	“सीटीपीएम ”	च्युइंग टोबैको एंड अनमैनुफैक्चर्ड टोबैको पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रह) नियम, 2010
8	“सीआरसीएल ”	केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला
9	“ओआईए ”	ऑर्डर-इन-अपील
10	“ओआईओ ”	मूल क्रम में
11	“सीटी ”	तंबाकू चबाना
12	“जेडएसटी ”	जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

7. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने विभिन्न वैधानिक प्रावधानों, सीई अधिनियम, सीईटीए, सीई नियमों, सीटीपीएम नियमों के प्रासंगिक अध्यायों और संबंधित विभागों/मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न प्रासंगिक अधिसूचनाओं/परिपत्रों पर भरोसा किया है और उनका उल्लेख किया है। स्पष्टता और संदर्भ की आसानी के लिए हमने इसे यहाँ तालिका संख्या में सूचीबद्ध किया है।³ नीचे:

तालिका **3 583**

I. CE अधिनियम के तहत पी. ई. आर. आई. ओ. डी. 2005- 2006 से संबंधित शुल्क और अधिसूचनाएँ	
1	2004-

	05 (6 अंकों का कोड) में केंद्रीय उत्पाद शुल्क का अध्याय 24।
2	धारा 4 ए के तहत आकल न योग्य मूल्य पर पहुंचने के लिए एमआर पी से कटौती निर्धारि त करते हुए अधिसू चना सं. 13/20 02- सीई (एनटी) दिनांक 01.03. 2002।
3	धारा 4 ए के तहत 2404. 41 के तहत सभी वस्तुओं के लिए 50 प्रतिशत की कमी निर्धारि त करने वाली अधिसू

	चना 10/20 03- सीई (एनटी) दिनांक 01.03. 2003।
4	2005- 06 (8 अंकों का कोड) में केंद्रीय उत्पाद शुल्क का अध्याय 24
5	पहले प्रचलित 6 अंकों के शुल्क से 8 अंकों के शुल्क की शुरुआ त के संबंध में परिपत्र 808/0 5/200 5-CX दिनांक 25.02. 2005।
6	धारा 4 ए के तहत अधिसू चना कैशन 2/200 6-सीई (एनटी) दिनांक 01.03.

	2006।
7	धारा 4 ए के तहत अधिसू चना कैशन 16/20 06- सीई (एनटी) दिनांक 11.07. 2006।
II. सीई अधिनियम के तहत वर्षों के बीच जारी किए गए शुल्क और अधिसूचनाएँ 2010-2015	
1	अधिसू चना कैशन: 10/20 10- सी. ई. (एन. टी.) दिनांक 27- फरवरी- 2010 को धारा 3 ए के तहत विनिर्मा त तंबाकू और चबाने वाले तंबाकू को अधिसू चित किया गया।

2	च्युइंग टोबैको एंड अनमैनु फैक्चर्ड टोबैको पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रह) नियम, 2010 अधिसू चना: 11/20 10-सी. ई. (एन. टी.) दिनांक 27- फरवरी- 2010
---	---

सीएमआर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यूआरएमआईएन प्रोडक्ट्स पी.
लिमिटेड। और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 584

3	अधिसूचना कैशन: 16/2010 – सी. ई. दिनांकित 27.02.2010 ब्रांडेड गैर- निर्मित तंबाकू और चबाने वाले तंबाकू के लिए निर्धारित दर।
4	अधिसूचना कैशन: 16/2010 – सी. ई. दिनांकित 27.02.2010

	ब्रांडेड गैर-निर्मित तंबाकू और चबाने वाले तंबाकू के लिए निर्धारित दर।
5	अधिसूचना कैंशन: 17/2010 – सीई (एनटी) दिनांक 13.04.2010- अधिसूचना एस जर्दा धारा 3 ए के तहत सुगंधित तंबाकू।
6	अधिसूचना कैंशन 18/2010-सीई (एनटी) दिनांक 13.04.2010- चबाने वाले तंबाकू (फिल्टर खैनी सहित), गैर-निर्मित तंबाकू और जर्दा सुगंधित तंबाकू के लिए उत्पादित की गई क्षमता निर्धारित करना।
7	अधिसूचना कैंशन: 19/2010- सी. ई. दिनांक 13.04.2010- चबाने वाले तंबाकू, गैर-निर्मित तंबाकू और फिल्टर खैनी के लिए दर निर्धारित करना।
8	अधिसूचना कैंशन: 14/2012 – CE दिनांकित 14.03.2012 चबाने वाले तंबाकू, गैर-निर्मित तंबाकू और फिल्टर खैनी के लिए नई दर निर्धारित करता है।
9	अधिसूचना कैंशन: 2/2014 – सी. ई. दिनांक 24.01.2014- चबाने वाले तंबाकू,

	गैर-निर्मित तंबाकू और फ़िल्टर खैनी के लिए नई दर निर्धारित करना।
10	अधिसूचना कैंशन: 17/2014 – सी. ई. दिनांक 11.07.2014- चबाने वाले तंबाकू, गैर-निर्मित तंबाकू और फ़िल्टर खैनी के लिए नई दर निर्धारित करना।

8. धारा 11 ए को निकालना उपयुक्त और उचित होगा जैसा कि 1980 में था, और जैसा कि 2000 में लाए गए संशोधन और 2000 के अधिनियम 10 द्वारा किया गया था। 17.11.1980) और 2011 के अधिनियम 8 द्वारा बाद में प्रतिस्थापन, क्योंकि इसका हमारे सामने अपीलों के विभिन्न समूह पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।वे नीचे लिखे अनुसार हैं:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट
[2023] 13 एस सी आर।

1980	2000	2011
धारा 11 ए! " ! # \$ %	धारा 11 ए. और गलती से वापस किया गया, चाहे ऐसा गैर-लेवी या गैर-भुगतान, अल्प-शुल्क या अल्प भुगतान या त्रुटिपूर्ण धनवापसी, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी अन्य प्रावधानों के तहत उत्पाद शुल्क की दर या मूल्यांकन से संबंधित किसी अनुमोदन, स्वीकृति या मूल्यांकन के	2 धारा 11 '। किसी भी कारण से, धोखाधड़ी या मिलीभगत या किसी भी जानबूझकर गलत कथन या तथ्यों को दबाने या शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के अलावा, -(ए) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी, संबंधित तिथि से [दो साल] के भीतर, शुल्क के

	आधार पर था], एक केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी, संबंधित तिथि से एक वर्ष के भीतर, शुल्क के साथ प्रभार्य व्यक्ति को नोटिस दे सकता है।	साथ प्रभार्य व्यक्ति को नोटिस देगा जो इस तरह से लगाया या भुगतान नहीं किया गया है।
--	---	--

1 2000 के अधिनियम 10 द्वारा प्रतिस्थापित, धारा। 97 (ए), "गलती से वापस किए गए" के लिए (डब्ल्यू. ई. एफ. 17.11.1980)

2 उप.

2011 के अधिनियम 8 द्वारा सी. ओ. एम. एम. आर. ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम एम/एस यूआरएमआईएन

585 उत्पाद पी. लिमिटेड. और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 586

'!())**+++ # +	शुल्क जो नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या जो कम समय के लिए लिया गया है या कम समय के लिए भुगतान किया गया है या जिसे गलती से धनवापसी की गई है, जिसके लिए उसे कारण दिखाने की आवश्यकता होती है कि उसे नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए: बशर्ते कि जहां किसी व्यक्ति	" ! # ,
--------------------	--	---------

	या उसके प्रतिनिधि द्वारा शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया गया हो, तो इस उप-धारा के प्रावधानों का प्रभाव इस तरह होगा, जैसे कि "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पांच वर्ष" शब्द रखे गए हों। स्पष्टीकरण। - जहाँ न्यायालय के आदेश द्वारा सूचना की सेवा पर रोक लगाई जाती है, वहाँ इस तरह की रोक की अवधि	
--	--	--

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

	यथास्थिति, [एक वर्ष] या पाँच वर्षों की उपरोक्त अवधि की गणना करने में उसे	
--	---	--

बाहर रखा जाएगा। [(1 ए) जब कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या कम लगाया गया है या कम भुगतान किया गया है या गलत तरीके से वापस किया गया है, धोखाधड़ी, मिलीभगत या तथ्यों के किसी भी जानबूझकर गलत कथन या दमन के कारण, या शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन, ऐसे व्यक्ति या उसके एजेंट द्वारा, जिसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा उप-धारा (1) के परंतुक के तहत नोटिस दिया जाता है, पूर्ण या आंशिक रूप से	
--	--

	शुल्क का भुगतान कर सकता है जो उसके द्वारा स्वीकार किया जा सकता है, और धारा 11 एबी के तहत देय ब्याज और नोटिस में निर्दिष्ट शुल्क के पच्चीस प्रतिशत के बराबर जुर्माना या	
--	---	--

कॉमर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यूआरएमआईएन प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड। और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 588

587

9. प्रत्येक समूह के तहत तथ्यों का विश्लेषण करते समय प्रासंगिक प्रावधानों, नियमों, अधिसूचनाओं और परिपत्रों और इसकी प्रयोज्यता या अन्यथा की विस्तृत चर्चा पर विचार-विमर्श किया गया है।

लिस के लिए एक प्रस्तावना

10. हम इन दो प्रतिस्पर्धी प्रविष्टियों के वर्गीकरण के इतिहास को संक्षेप में बताना आवश्यक समझते हैं जो इस न्यायालय के समक्ष अपील के इन सभी समूहों में महत्वपूर्ण मुद्दा रहे हैं, अर्थात्, सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9910 ('चबाना')।

तंबाकू ') और सी. ई. टी. एस. एच. **2403 9930** (' जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू ')

11. शुरु में, यह देखा जा सकता है कि अभिव्यक्तियाँ 'चबाना'

तंबाकू 'और' जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू 'कहीं भी इस नियम के तहत नहीं हैं।

सी. ई. एक्ट या सी. ई. टी. ए. सी. ई. टी. ए. ने शुरु में अनुसूची के मद संख्या 9 में 'तंबाकू' को शामिल किया। प्रविष्टि 9 (II) देशी तम्बाकू थी और उसका उपखंड (2) पढ़ा गया था।

“यदि चबाने वाले तंबाकू के रूप में बिक्री के लिए अभिप्रेत है, चाहे वह निर्मित हो या केवल ठीक हो गया।” 1983 में, 'तंबाकू' को सीई अधिनियम की अनुसूची की वस्तु 4 के तहत शामिल किया गया था। प्रासंगिक प्रविष्टि प्रविष्टि 4 II (5) है जिसमें 'चबाने वाला तंबाकू' शामिल है। 1985 में, सी. ई. टी. ए. लागू किया गया था और 'चबाने वाले तंबाकू' को प्रविष्टि 4 II (4) के तहत दिखाया

गया था।वित्त अधिनियम, 1987 में "सी. ई. टी. एस. एच. 2404.39" को 01.03.1987 से ई. एफ. ई. सी. टी. के साथ जोड़ा गया।शीर्षक में निम्नलिखित शामिल थे:

“आम तौर पर खारा के रूप में जानी जाने वाली तैयारी सहित तंबाकू चबाना मसाला, कीवम, डोकता, जरदा, सुखा और सुरती "।

इस प्रकार, पहली बार 'जरदा' को तैयारी के रूप में अलग से मान्यता दी गई।

12. 1996-97 में, CET SH 2404.40 को "चबाना" पढ़ने के लिए सुधार किया गया था।

तम्बाकू और चबाने वाले तंबाकू की तैयारी "।

13. 2002 में, सी. ई. अधिनियम की धारा 4 ए के तहत, अधिसूचना सं. 13/2002-सी. ई. (एन. टी.) दिनांक 01.03.2002 को खुदरा बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में कटौती निर्धारित करते हुए जारी किया गया था।हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधिसूचना No.13/2002 में धारा 4 ए के तहत लाभ प्राप्त करने के उद्देश्यों के लिए 'अधिसूचित वस्तुओं' के दायरे में, प्रासंगिक प्रविष्टि 2404.21 के तहत 'च्युइंग टोबैको' रिफिल को शामिल नहीं किया गया था। हालाँकि, बाद में अधिसूचना No.10/2003-CE (NT) दिनांक 01.03.2003 द्वारा अधिसूचना 13/2002 दिनांक 1.03.2002 में प्रविष्टि 24A की शुरुआत की गई, जिससे CE अधिनियम की धारा 4A के उद्देश्यों के लिए 'अधिसूचना किए गए सामान' के दायरे में प्रविष्टि 2404.41 के तहत सभी सामानों को शामिल किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

14. 8 अंकों के टैरिफ वर्गीकरण की शुरुआत से पहले, 'चबाने वाले तंबाकू' को अध्याय 24 के तहत छह अंकों के केंद्रीय उत्पाद शुल्क वर्गीकरण के विशिष्ट सी प्रविष्टि '2404.41' के तहत पुनर्निर्मित किया गया था।इसके बाद नए 8 अंकों वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क वर्गीकरण को परिपत्र 808/05/2005-CX दिनांक 25.02.2005 के माध्यम से पेश किया गया, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अध्याय 24 में संशोधन किया गया और शीर्षक '2403' पेश किया गया जिसमें लिखा है:

“2403 – अन्य निर्मित तंबाकू और निर्मित तंबाकू के विकल्प; 'समरूपीकृत' या 'पुनर्गठित' तंबाकू; तंबाकू के अर्क और सार।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क शीर्षक '2403' में निम्नलिखित उप-शीर्षक शामिल थे:

“ 2403 9910 तंबाकू चबाना

2403 9920 चबाने वाले तंबाकू वाली तैयारी।**2403 9930** जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू।”

15. 01.03.2006 पर, अधिसूचना कैशन No.2/2006 जारी किया गया था, जिसके अनुसार अधिसूचना कैशन No.13/2002 दिनांक 01.03.2002 को हटा दिया गया था। इस प्रकार, उत्पादों की सूची, उनके संबंधित अध्याय शीर्षकों/उप-शीर्षकों के साथ, जिन्हें सीई अधिनियम की धारा 4 ए के संदर्भ में मूल्यांकन के तहत शामिल किया जाना था, को आठ अंकों के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में अधिसूचित किया गया था। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त अधिसूचना No.2/2006 में खुदरा बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में छूट के लाभ का लाभ उठाने के लिए CE अधिनियम की धारा 4A के तहत 'अधिसूचित वस्तुओं' के दायरे में 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू-CET SH 2403 9930' शामिल नहीं था।

16. इसके बाद, 2006 की अधिसूचना 11.07.2006 जारी की गई, जिसमें CET SH 2403 9930 को अधिसूचना No.2/2006 दिनांक 01.03.2006 के भीतर शामिल किया गया, जिससे CE अधिनियम की धारा 4A के तहत 'अधिसूचना प्राप्त वस्तुओं' के दायरे में 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' को शामिल किया गया। 17. इस मोड़ पर यह ध्यान देने योग्य है कि 1.03.2006 और 11.07.2006 के बीच की अवधि, जिसके दौरान CET SH 2403 9930 के तहत 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत माल के लिए एमआरपी-आधारित मूल्यांकन का लाभ उपलब्ध नहीं था, विवाद की वही अवधि है जिसे समूह I (उर्मीन उत्पाद) और समूह II में अपीलों में निर्णय दिया जाना है।

(फ्लेक्स-एन-फ्ल एवोर्ज)।

सीएमआर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यूआरएमआईएन प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड। और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 590

589

18. 'चबाने वाले तंबाकू' और 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के वर्गीकरण के विकास के आलोक में, यहाँ ऊपर चर्चा की गई है, हम अपने सामने विभिन्न अपीलों के भीतर तैयार किए गए मुद्दों/प्रश्नों को संबोधित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में, यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि जो निर्णय और निष्कर्ष निकाले गए हैं, वे उन समूहों के लिए प्रासंगिक तथ्यों के आलोक में तैयार किए गए और निर्णय लिए गए मुद्दों से संबंधित होंगे, और इसलिए, निर्णय प्रत्येक समूह के तथ्यों के लिए पारस्परिक रूप से अनन्य हैं।

I. केंद्रीय आयुक्त अहमदाबाद बनाम एम/एस शहरी उत्पाद और ओआरएस। [सी. ए. नहीं। 2010 का 10159-10161]

संक्षिप्त तथ्य

19. इन अपीलों में, राजस्व ने अधिकार क्षेत्र सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा पारित दिनांक 25.03.2010 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत निर्धारिती द्वारा दिए गए वर्गीकरण को सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9910 के तहत आने वाले "फ्ल एवर्ड च्युइंग तंबाकू" के रूप में स्वीकार किया गया था, न कि सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9930 के तहत आने वाले "जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू" के रूप में।

20. निर्धारिती से एक आई. डी. 1 दिनांकित कारण दर्शाओ नोटिस के साथ मुलाकात की गई जिसमें कहा गया था कि निर्धारिती 'चबाने वाले तंबाकू' की आड़ में 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के रूप में उसके द्वारा निर्मित उत्पाद का निर्माण और उसे साफ कर रहा था।' विभाग के अधिकारियों द्वारा निर्धारिती के कारखाने के दौरे के दौरान, उन्होंने प्रक्रिया को देखा

जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू का निर्माण।' का बयान

उत्पादन प्रबंधक और कारखाने के प्रभारी का बयान भी दर्ज किया गया, जिसके आधार पर विभाग ने निष्कर्ष निकाला कि गलत वर्गीकरण और अपने उत्पाद के जानबूझकर गलत कथन द्वारा शुल्क के भुगतान से बचने का जानबूझकर इरादा था ताकि वे कम शुल्क का भुगतान कर सकें। तदनुसार, धारा 11 ए (1) सीई अधिनियम के प्रावधान के तहत प्रदान की गई सीमा की विस्तारित अवधि का आह्वान करते हुए, विभाग ने निर्धारिती से कारण दिखाने का आह्वान किया कि जिस उत्पाद को 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत किया गया था, उसे 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के रूप में क्यों वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए और उक्त उत्पाद को सीई अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, 01.03.2006 से 10.07.2006 की अवधि के लिए शुल्क के लिए क्यों नहीं आंका जाना चाहिए। इसके अलावा, निर्धारिती को कारण दिखाने की आवश्यकता थी कि जानबूझकर गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप जुर्माना क्यों नहीं वसूला जाना चाहिए। उक्त कारण दर्शाओ नोटिस पर निर्णय लिया गया और की गई मांग सहित कारण दिखाओ नोटिस दिया गया

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

इसके तहत, ओ. आई. ओ. दिनांक 28.01.2008 में बरकरार रखा गया था। इस ओ. आई. ओ. को चुनौती दी गई और सी. ई. एस. टी. ए. टी. के समक्ष एक अपील दायर की गई जिसकी अनुमति दी गई और निर्धारिती द्वारा लिए गए रुख को निम्नानुसार राय देकर बरकरार रखा गया: “21. दूसरी ओर, विभाग ने यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया है कि उत्पाद जर्दा के साथ सुगंधित तंबाकू है। वास्तव में, विद्वान एस. डी. आर. न्यायनिर्णयन क्रम में निर्माण की प्रक्रिया पर निर्भर था। हालांकि, पैरा 2 में निर्णय आदेश में दी गई निर्माण की प्रक्रिया विनिर्माण प्रक्रिया है जैसा कि अधिकारियों द्वारा कारखाने परिसर का दौरा करने पर देखा गया था। यह अधिकारियों द्वारा उनकी यात्रा के बाद तैयार किया गया एक फ़ल ऑवचार्ट है। हालांकि, जब हम उत्पाद सूची में उत्पादन प्रबंधक श्री रमेश नरसिंहभाई पटेल के बयान पर एक नज़र डालते हैं, तो निर्माण की प्रक्रिया में जरदा सुगंधित तंबाकू गायब है। श्री दीपक सूर्यकांत शाह द्वारा दिए गए मैन्युफैक्चरिंग फ़्लॉ चार्ट में जरदा सुगंधित तंबाकू का उपयोग किया गया है। इसके अलावा, यह भी हमारे ध्यान में लाया गया कि 19.01.05 से 20.08.05 की अवधि के दौरान, अपीलकर्ताओं ने श्रेणीबद्ध कैशन सूची में उत्पाद को च्युइंग टोबैको के रूप में वर्णित किया था और 1.3.05 से 31.3.06 तक, इसे जरदा सुगंधित तंबाकू के रूप में वर्गीकृत किया गया था और 1.4.06 के बाद से, श्रेणीबद्ध कैशन विवरण च्युइंग टोबैको था जो आज तक जारी है। अपीलार्थी द्वारा तैयार किए गए चालान/बिलों में, वस्तु को जफरानी जरदा के रूप में वर्णित किया गया था और 1.4.06 से, इसे बागबान स्वाद वाला च्युइंग टोबैको कहा जा रहा

है। यह विभाग या पक्ष का मामला नहीं है कि लेबल या निर्माण प्रक्रिया में बदलाव किया गया था। लेबल में दिए गए विवरण से यह स्पष्ट है कि उत्पाद को फ्लेवर्ड च्युइंग टोबैको कहा जाता है। व्यापार से कोई विशेषज्ञ राय या जानकारी प्राप्त नहीं की गई है और यह केवल कारखाने के प्रबंधक का बयान है कि उत्पाद को आमतौर पर पान, सुपारी या पान मसाला आदि के साथ खाया जाता है। विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उत्पाद च्युइंग टोबैको नहीं है। इसके अलावा, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, कर्मचारियों के बयान में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि जरदा सुगंध जोड़ी गई थी। इन परिस्थितियों में, उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, कोई भी पक्ष स्पष्ट रूप से यह नहीं दिखा पाया है कि उत्पाद च्युइंग टोबैको है या जरदा सुगंधित टोबैको। दोनों पक्षों के पक्ष में कुछ अंक हैं और कुछ उनके खिलाफ। इन परिस्थितियों में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लेबल उत्पाद को फ्लेवर्ड च्युइंग टोबैको कहता है, 591

कॉमर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यूआरएमआईएन प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड। और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 592

कोई जरदा सुगंध का उपयोग नहीं किया गया है और उत्पाद को अपीलार्थी द्वारा जरदा सुगंधित तंबाकू के रूप में नहीं बेचा गया है, हम मानते हैं कि अपीलार्थी का दावा कि उत्पाद स्वादयुक्त चबाने वाला तंबाकू है, स्वीकार किया जाना चाहिए। इस प्रकार, योग्यता के आधार पर, अपीलार्थी सफल होते हैं। इसलिए, अलग-अलग शुल्क की मांग विफल हो जाती है और स्वाभाविक रूप से केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11 एसी या केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियमों के तहत लगाए गए दंड को भी अलग करना पड़ता है।”

21. सीमा के मुद्दे को भी निर्धारिती के पक्ष में इस प्रकार रखा गया था:

“22. किसी भी मामले में, हम मानते हैं कि इस मामले में सीमा लागू होगी और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी ने परिवर्तन करने के अपने इरादे को सूचित किया है, एक वर्ष से अधिक समय के लिए कारण बताएँ नोटिस जारी नहीं किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, अपीलार्थी ने यह भी सूचित किया था कि प्रस्तावित परिवर्तन औद्योगिक कारखाने के अनुरूप नहीं था। इसलिए, इस मामले में विस्तारित अवधि भी लागू नहीं की जा सकती थी।”

22. इसलिए ये अपीलें की जाती हैं।

दलों की प्रस्तुतियाँ

23. हमने राजस्व की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एन. वेंकटरमन और राजस्व की ओर से पेश सुश्री निशा बागची को सुना है।

24. राजस्व का यह तर्क है कि वर्ष 2006 की अधिसूचना सं. 2, दिनांक आई. डी. 2, को 2002 की अधिसूचना के स्थान पर जारी किया गया था, जिसमें निर्दिष्ट किया गया था कि सी. ई. अधिनियम 1944 की धारा 4 ए के तहत आने वाला माल एम. आर. पी. आधारित मूल्यांकन के लिए था और इसमें सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9930 के तहत आने वाले सामान को निर्दिष्ट नहीं किया गया था,

जो कि 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' है, लेकिन इसमें सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9910 के तहत आने वाले सामान को शामिल किया गया है।

‘तंबाकू चबाना’। यह तर्क दिया गया था कि 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के रूप में

धारा 4 ए के तहत एमआरपी-आधारित मूल्यांकन के तहत निर्दिष्ट नहीं किया गया था, माल का मूल्यांकन सीई अधिनियम की धारा 4 के तहत किया जाना चाहिए। श्री वेंकटरमन, लर्नड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और श्रीमती निशा बागची ने तर्क दिया है कि निर्धारिती ने उत्पाद को बदल दिया और गलत तरीके से वर्गीकृत किया

‘जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू’ यानी सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9930 से’ चबाने वाला तंबाकू’

अर्थात्, सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9910 प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होने के बावजूद सी. ई. अधिनियम, 1944 की धारा 4 के तहत शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

उत्पादों से। यह तर्क दिया जाता है कि निर्धारिती इस तथ्य से अवगत होने के बावजूद कि उनका उत्पाद प्रासंगिक अधिसूचना के तहत शामिल नहीं था, जो सीई अधिनियम की धारा 4 ए के तहत मूल्यांकन का प्रावधान करता है, उसने 11.07.2006 तक सीई अधिनियम की धारा 4 ए का लाभ उठाना जारी रखा था। राजस्व द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9910 अर्थात् 'चबाने वाले तंबाकू' के तहत वर्गीकृत माल को प्रदान की गई छूट 50 प्रतिशत थी, इसलिए यदि माल को 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में मंजूरी दी जाती है तो शुल्क का भुगतान कम मूल्य पर किया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप 50 प्रतिशत की कमी के बाद सी. ई. अधिनियम की धारा 4 ए के तहत निर्धारित मूल्य के रूप में शुल्क की राशि का भुगतान किया जाना चाहिए, जो सी. ई. अधिनियम की धारा 4 के तहत लेनदेन मूल्य की तुलना में बहुत कम था। राजस्व द्वारा आगे यह तर्क दिया जाता है कि 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' को अधिसूचना केशन No.16 दिनांक 11.07.2006 में संशोधन द्वारा CE अधिनियम की धारा 4A के दायरे में लाया गया था और इस प्रकार उत्पाद 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' को CE अधिनियम की धारा 4A के तहत मूल्यांकन के लिए निर्दिष्ट नहीं किया गया था, 01.03.2006 से 10.07.2006 की अवधि के लिए। इसलिए, राजस्व ने अधिनियम 1944 की धारा 11 एबी के तहत उचित दर पर ब्याज के साथ धारा 11 ए (1) के तहत परंतुक का आह्वान करके निर्धारिती द्वारा कम भुगतान किए गए शुल्क की मांग को उचित ठहराने का प्रयास किया।

25. राजस्व के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील यह तर्क देते हुए अपनी दलीलों को आगे बढ़ाएंगे कि निर्धारिती ने इसका कोई सबूत नहीं दिखाया है।

यह निष्कर्ष निकालने के लिए रिकॉर्ड करें कि 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' भी 'चबाना' है

तम्बाकू '।यह तर्क देते हुए कि यह शुल्क वर्गीकरण बोर्ड के दिनांकित 23.06.1987 पत्र, दिनांकित 15.07.1987 नोटिस और दिनांकित 16.03.1995 अधिसूचना की अवधि के दौरान लागू था और इस तरह वे निर्धारिती के बचाव में नहीं आएंगे।यह भी आग्रह किया जाता है कि शुल्क को 8 अंकों में संरेखित किया गया है और अधिक विशिष्ट गणना प्रदान की गई है जहां 'चबाने वाले तंबाकू' और 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' को अलग से वर्गीकृत किया गया है और इस तरह निर्धारिती के तर्क में कोई आधार नहीं है।

26. राजस्व विभाग आगे यह तर्क देगा कि निर्धारिती अपने उत्पाद को "ज़फ़रानी ज़रदा" के रूप में बेच रहा है और इस तरह वह यह दावा नहीं कर सकता है कि शुल्क शीर्षक में उपयोग किया जाने वाला "ज़रदा/ज़रदा" निर्धारिती द्वारा उपयोग किए जाने वाले "ज़रदा/ज़रदा" से अलग है और इसके अलावा, निर्धारिती यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं है कि उसका उत्पाद कैसा है।

शुल्क में उल्लिखित 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' से अलग है।द.

राजस्व यह भी तर्क देगा कि एक बार उत्पाद को 'जर्दा/जर्दा' के रूप में बेचा जाता है, जो विशेष रूप से सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9930 के तहत कवर किया जाता है, तो यह दावा नहीं कर सकता है कि 593

कॉमर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यूआरएमआईएन प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड। और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 594

उक्त उत्पाद सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9910 को 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में आएगा।राजस्व ने इस न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया है कि निर्धारिती पहले

उत्पाद को 'ज़रदा/ज़रदा सुगंधित तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत किया गया, और कोई नहीं था

उत्पाद के वर्गीकरण में परिवर्तन, कम मूल्य पर शुल्क का भुगतान करना बिना किसी औचित्य के होगा।वे यह भी तर्क देंगे कि न्यायाधिकरण ने कारखाने के प्रभारी व्यक्तियों के बयान और कारखाने के प्रबंधक के बयान की अनदेखी करने में एक गंभीर त्रुटि की है, जिस पर विभाग ने इस बात की पुष्टि करने के लिए भरोसा किया था कि निर्धारिती उत्पाद और प्रक्रिया का निर्माण कैसे कर रहा था, और विनिर्माण प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ था, या उनकी इकाई में कोई नया संयंत्र और मशीनरी स्थापित की गई थी।राजस्व के स्थायी वकील ने यह भी तर्क दिया कि आई. डी. 2 के दौरान निर्धारिती ने स्वयं उत्पाद को 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के रूप में वर्णित किया और अचानक 6 अप्रैल, 2006 से अपने उत्पाद को 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में वर्णित करना शुरू कर दिया, जो सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9910 के तहत 2006 की अधिसूचना संख्या 2 दिनांक आई. डी. 1 का लाभ उठाने में सक्षम था।यह भी तर्क दिया गया कि जब दो या दो से अधिक शीर्षक उपलब्ध होते हैं, तो उत्पाद को उत्पाद के विवरण के अनुसार अधिक विशिष्ट सी शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए और तत्काल समूह में यह इसके अंतर्गत आएगा।

सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9930 'ज़रदा/ज़रदा सुगंधित तंबाकू' के रूप में।

27. राजस्व ने यह भी तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने अनुच्छेद 21 में

विवादित आदेश में कहा गया है कि "दोनों पक्षों के पास कुछ अंक हैं

पक्ष में और उनके खिलाफ कुछ "निर्धारिती को धारा 4 ए का लाभ देने के कारणों को विस्तृत करने या निर्दिष्ट करने में विफल रहे और केवल इसी आधार पर विवादित आदेश को दरकिनार किया जा सकता है।

28. राजस्व यह भी तर्क देगा कि न्यायाधिकरण ने यह निष्कर्ष निकालने में एक गंभीर त्रुटि की कि एक वर्ष की अवधि के भीतर कारण बताएँ नोटिस जारी किया जाना चाहिए था क्योंकि निर्धारिती ने वर्गीकरण को बदलने के अपने इरादे से अवगत कराया था और तर्क दिया कि निर्धारिती ने उन उत्पादों के किसी भी विवरण का उल्लेख नहीं किया है जो वे उस सामग्री के समय बना रहे थे, लेकिन केवल एक गुप्त संचार अग्रेषित किया था, जिसमें विवरण की कमी थी और सामग्री विवरणों का अभाव था, अर्थात् उत्पाद के शीर्षक और वर्गीकरण को बदलने का इरादा जो उनके द्वारा निर्मित किया जा रहा था और परिवर्तन के कारणों के लिए कोई सबूत उक्त संचार से सामने नहीं आ रहा था, और इस तरह निर्धारिती अपने दायित्व को रोकने के लिए उक्त संचार के तहत आक्षेप नहीं ले सकता है या यह तर्क देने के लिए कि सीमा की विस्तारित अवधि लागू नहीं की जा सकती है क्योंकि विभाग को पता था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

29. प्रत्यर्थी-याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील न्यायाधिकरण द्वारा पारित विवादित आदेश का समर्थन करते हुए तर्क देगा कि राजस्व/सरकार का इरादा केवल सीई अधिनियम की धारा 4 ए के तहत अपीलार्थी-निर्धारिती द्वारा निर्मित उत्पाद पर शुल्क लगाना था। वह प्रस्तुत करेंगे कि निर्धारिती द्वारा निर्मित उत्पाद को सी. ई. टी. एस. एच. संख्या 2404.41 के तहत 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत किया गया था और एम. आर. पी. के आधार पर सी. ई. अधिनियम की धारा 4 ए के तहत शुल्क का आकलन किया गया था और तदनुसार शुल्क का भुगतान किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि 8 (आठ) अंकों के टैरिफ युग की शुरुआत के साथ, निर्धारिती ने 01.03.2005 से 28.02.2006 की अवधि के लिए अपने उत्पाद को CET SH 2403 9930 के तहत 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत किया। इस मोड़ पर, वह यह जोड़ने के लिए जल्दबाजी करेंगे कि 'तंबाकू उत्पादन' पर कराधान नीति के अनुसार, शुल्क मूल्यांकन व्यवस्था स्थिर रही, यानी केवल एमआरपी के आधार पर सीई अधिनियम की धारा 4 ए के तहत। उन्होंने तर्क दिया कि संबंधित अध्याय शीर्षक/उप-शीर्षक के साथ अधिसूचित वस्तुओं की सूची के तहत 2002 की अधिसूचना के स्थान पर जारी की गई 2006 की अधिसूचना संख्या 2, जो कि संबंधित अध्याय शीर्षक/उप-शीर्षक के साथ अधिसूचना के स्थान पर जारी की गई थी, सीई अधिनियम की धारा 4 ए के संदर्भ में मूल्यांकन को शामिल करेगी। यद्यपि अधिसूचना में सी. ई. टी. एस. एच. के तहत 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' को हटा दिया गया था, लेकिन उनका तर्क था कि 'तंबाकू उत्पादों' का

कराधान स्थिर रहता है, यानी एम. आर. पी. के आधार पर सी. ई. अधिनियम की धारा 4 ए के तहत। इस पृष्ठभूमि में वह तर्क देंगे कि पूरे प्रतिवादी-मूल्यांकनकर्ता ने विभाग की जानकारी और स्वीकृति के साथ अपने उत्पाद को 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत किया है।

30. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि सीमा की विस्तारित अवधि को निर्धारिती द्वारा वर्गीकरण में परिवर्तन के बारे में विभाग को पहले से सूचित करने की पृष्ठभूमि में लागू नहीं किया जा सकता था और तथ्य या गलत घोषणा का कोई दमन नहीं किया गया था।

31. वह यह भी तर्क देंगे कि उत्पाद के लेन-देन मूल्य के संदर्भ में सीई अधिनियम की धारा 4 के तहत मूल्यांकन, निर्धारिती द्वारा ली गई और वसूल की गई कीमत को अनिवार्य रूप से सह-शुल्क-मूल्य के रूप में माना जाना चाहिए और मूल्यांकन किया जाना चाहिए और जब ऐसी कवायद की जाती है तो अलग-अलग शुल्क महत्वहीन नहीं होगा।

32. वह तर्क देगा कि निर्धारिती द्वारा निर्मित उत्पाद

केवल 'चबाने वाला तंबाकू' और 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' है, जो

अधिनियम के तहत अभिव्यक्तियों की अवहेलना नहीं की गई है और इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि किन उत्पादों को संभवतः 'जरदा/595' शीर्षक के तहत शामिल किया जा सकता है।

कॉमर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यूआरएमआईएन प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड। और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 596

जरदा सुगंधित तंबाकू', या उस शीर्षक का दायरा क्या है। मामले के उस दृष्टिकोण में, वह तर्क देंगे कि इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित 'सामान्य व्यापार पार्लेन्स टेस्ट' को लागू और परीक्षण करना होगा। वह आगे यह भी तर्क देंगे कि वर्गीकरण प्रभार्यता से संबंधित एक प्रश्न है और इसलिए, सबूत का बोझ विभाग पर है, जिसके लिए विभाग द्वारा परिवर्तन को सही ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया है। यह उनका निवेदन है कि वर्गीकरण में कोई भी बदलाव केवल शुल्क प्रविष्टि में बदलाव से अधिक कुछ पर आधारित होना चाहिए। अन्यथा भी, यदि दो प्रविष्टियों के तहत वर्गीकरण संभव है, तो निर्धारिती को एक और लाभार्थी पत्र अपनाया जाएगा। इसलिए, निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा करते हुए वह राजस्व के नेतृत्व में अपील को खारिज करने के लिए प्रार्थना करता है:

1. एच. पी. एल. केमिकल लिमिटेड बनाम सी. सी. ई. 2006 197 ई. एल. टी. चंडीगढ़ 324 (एससी)
2. मौरी यीस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2008) 5 एस. सी. सी. 680 3. सी. जी. एंड एस. टी. सी. सी. ई. और एस. टी. रोहतक बनाम सोम फ्लेवर्स मसाला प्राइवेट लिमिटेड-2023 की सिविल अपील No.1251 का निपटान 17.02.2023 पर किया गया।
4. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नागपुर बनाम श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड (2009) 12 एस. सी. सी. 419।

विचार के लिए मुद्दे/प्रश्न

33. इस समूह में हमारे विचार के लिए जो प्रश्न उठते हैं, वे इस प्रकार हैं:

प्रश्न 1. क्या निम्नलिखित अधिकारी सीई अधिनियम की धारा 11 ए के प्रावधान को लागू करने में सही और न्यायसंगत थे?

प्र. 2 क्या निर्धारिती द्वारा 01.03.2006 से 10.07.2006 की अवधि के लिए निर्मित और स्वीकृत उत्पाद को CET SH 2403 9910 के तहत 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत किया जाना आवश्यक था या वर्गीकृत किया जाना आवश्यक था।

सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9930 के तहत 'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू' के रूप में?

चर्चा और निष्कर्ष

पृष्ठभूमि

34. इसमें निर्धारिती सीई अधिनियम की धारा 4 ए के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी 2002 की अधिसूचना संख्या 13 दिनांक 01.03.2002 का लाभ उठा रहा था, जिसके तहत माल/उत्पाद मूल्य के संदर्भ में उत्पाद शुल्क के लिए प्रभार्य थे, चाहे कुछ भी हो।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

सीई अधिनियम की धारा 4 में निहित, ऐसी वस्तुओं पर घोषित खुदरा बिक्री मूल्य माना जाएगा, अन्यथा निर्मित उत्पाद को वर्गीकृत करके ऐसे खुदरा बिक्री मूल्य से ऐसी कटौती की राशि, यदि कोई हो,

‘तंबाकू चबाना’।

35. निर्विवाद रूप से, निर्धारिती 2002 की अधिसूचना No.13 दिनांक 01.03.2002 का लाभ उठा रहा था और एमआरपी-आधारित मूल्यांकन को अपना रहा था। 8-अंकीय शुल्क वर्गीकरण (डब्ल्यू. ई. एफ. 28.02.2005) की शुरुआत के बाद भी, निर्धारिती उसी लाभ का लाभ उठा रहा था। हालाँकि, अधिसूचना दिनांक 24.02.2005 के तहत किए गए दो वर्गीकरणों में, CET SH 2403 9910 को 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में फिर से व्यवस्थित किया गया है।

और सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9930 'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू' के रूप में, जिसने आकर्षित किया

उस समय दोनों उत्पादों पर 34 प्रतिशत का शुल्क, निर्धारिती ने निर्मित और अब तक घोषित उत्पाद को वर्गीकृत या पुनः वर्गीकृत किया

‘तंबाकू चबाने से ‘जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू’ तक। अधिसूचना कैशन संख्या 2

2006 का दिनांक 01.03.2006 अधिसूचना No.13 के स्थान पर जारी किया गया

2002 में 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' को बाहर रखा गया था और निर्दिष्ट नहीं किया गया था

एम. आर. पी. आधारित मूल्यांकन के लिए सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9930, या दूसरे शब्दों में, एम. आर. पी. आधारित मूल्यांकन के लिए 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' को शामिल नहीं किया गया था या निर्दिष्ट नहीं किया गया था। इसलिए, निर्धारिती ने निर्मित उत्पाद को 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत करना शुरू कर दिया, हालांकि उन्होंने पहले 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के रूप में घोषित किया था। इस प्रकार, 2002 की अधिसूचना No.13 के आलोक में इस तरह के विलोपन/चूक के आधार पर, धारा 4 के तहत मूल्यांकन किया जाना आवश्यक था जो उत्पाद शुल्क वसूलने के उद्देश्यों के लिए उत्पाद शुल्क के मूल्य निर्धारण का प्रावधान करता है। दूसरे शब्दों में,

जिन लाभों को धारा 4 ए के संचालन से देय था, उन्हें अधिसूचना दिनांक **01.03.2006** के आधार पर बाहर रखा गया था,

निर्धारिती धारा 4 ए के लाभ का लाभ उठाने के लिए 'चबाने वाले तंबाकू' पर लौट आया। शुल्क या प्रभारिता के वैधानिक प्रावधानों की तुलना में इन अधिसूचनाओं के विश्लेषण के आलोक में, यह हमें यहाँ ऊपर तैयार किए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए लंबे समय तक नहीं रोकेगा।

आरई:प्रश्न संख्या **1** सीमा का मुद्दा/सीई अधिनियम की धारा **11** ए:

36. तत्काल मामले में, 2010 की सिविल अपील Nos.10159-10161

- सीसीई अहमदाबाद बनाम। मेसर्स उर्मिन प्रोडक्ट्स प्रा. लि. कारण दिखाएँ

09.07.2007 पर नोटिस जारी किया गया और OIO को 28.01.2008 पर पारित किया गया जिसके परिणामस्वरूप 25.03.2010 का विवादित आदेश जारी किया गया।

कॉमर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यूआरएमआईएन प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड। और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 598

597

37. न्यायाधिकरण ने विवादित आदेश द्वारा निम्नलिखित प्रभाव वाले अधिनियम को अभिनिर्धारित किया है: “22. किसी भी मामले में, हम मानते हैं कि इस मामले में सीमा लागू होगी और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी ने परिवर्तन करने के अपने इरादे को सूचित किया है, एक वर्ष से अधिक समय के लिए कारण बताएँ नोटिस जारी नहीं किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, अपीलार्थी ने यह भी सूचित किया था कि प्रस्तावित परिवर्तन औद्योगिक कारखाने के अनुरूप नहीं था। इसलिए इस मामले में विस्तारित अवधि भी लागू नहीं की जा सकती थी।”

38. इस मोड़ पर यह ध्यान देना उचित होगा कि सी. सी. ई. बनाम कॉट्सपुन (1999) 7 एस. सी. सी. 633 में इस न्यायालय का निर्णय, जिसके तहत यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक अनुमोदित वर्गीकरण सूची के आधार पर उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण एक छोटा उद्ग्रहण नहीं है और

अलग-अलग अवधि शुल्क की वसूली इस आधार पर नहीं की जा सकती है कि यह एक छोटा उद्ग्रहण है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि एक अनुमोदित वर्गीकरण सूची के आधार पर उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण सही उद्ग्रहण है, कम से कम जब तक कि निर्धारिती को कारणदर्शक नोटिस जारी करके अनुमोदन की शुद्धता पर सवाल नहीं उठाया जाता है। यह तभी होता है जब अनुमोदन की शुद्धता को चुनौती दी जाती है कि एक अनुमोदित वर्गीकरण सूची ऐसी नहीं रहती है।

यह आगे आयोजित किया गया था:

“14. एक अनुमोदित वर्गीकरण सूची के आधार पर उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण सही उद्ग्रहण है, कम से कम तब तक जब तक कि निर्धारिती को कारण दर्शाएँ नोटिस जारी करके अनुमोदन की शुद्धता पर सवाल नहीं उठाया जाता है। यह तभी होता है जब अनुमोदन की शुद्धता को चुनौती दी जाती है कि एक अनुमोदित वर्गीकरण सूची ऐसी नहीं रहती है।

15. एक अनुमोदित वर्गीकरण सूची के आधार पर उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण एक छोटा शुल्क नहीं है। अलग-अलग कर की वसूली इस आधार पर नहीं की जा सकती है कि यह एक छोटा शुल्क है। नियम 10 तब लागू नहीं होता है।

16. इसलिए, हमारी राय है कि बल्लारपुर इंडस्ट्रीज में निर्णय, जिसने नियम 173-बी का विज्ञापन नहीं किया था, कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं करता है और इसे खारिज कर दिया जाता है। दूसरी ओर, इंद्रधनुष उद्योगों में निर्णय, कानून को सही ढंग से निर्धारित करता है। यह अनुमोदित मूल्य सूचियों से संबंधित नियम 173-सी के संदर्भ में दिया गया था और नियम 173-सी और 173-बी के प्रावधान समान हैं।”

39. हालांकि, कॉट्सपन के मामले में उक्त निर्णय इस सरल कारण से स्वीकृति के योग्य नहीं होगा कि धारा 11 ए में संशोधन

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

2000 के अधिनियम 10 द्वारा लाया गया सी. ई. अधिनियम स्पष्ट रूप से अपने दायरे में यह लेगा कि भले ही गैर-लेवी या गैर-भुगतान, अल्प शुल्क या अल्प भुगतान, या त्रुटिपूर्ण धनवापसी, जैसा भी मामला हो, सी. ई. अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी अन्य प्रावधानों के तहत शुल्क की दर या उत्पाद शुल्क के मूल्यांकन से संबंधित किसी अनुमोदन, स्वीकृति या मूल्यांकन के आधार पर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी, संबंधित तिथि से एक वर्ष के भीतर, शुल्क के साथ प्रभार्य व्यक्ति को एक नोटिस दे सकता है जो नहीं लगाया गया है या जिसका भुगतान नहीं किया गया है या जिसका भुगतान कम समय के लिए किया गया है या जिसे गलती से धनवापसी की गई है, उसे कारण दिखाने की आवश्यकता है कि उसे राशि का भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए।

40. एम. आर. पी. आधारित मूल्यांकन के लिए अधिनियम 1944 की धारा 4 ए के तहत आने वाली वस्तुओं को निर्दिष्ट करते हुए 2002 की अधिसूचना 01.03.2002 के स्थान पर 2006 की

अधिसूचना संख्या 2 दिनांकित <आई. डी. 2 जारी की गई थी। यह देखा गया कि अधिसूचना में सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9930 ('जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू') के तहत आने वाले सामानों को निर्दिष्ट नहीं किया गया था, बल्कि सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9910 ('चबाने वाला तंबाकू') के तहत आने वाले सामानों को शामिल किया गया था। चूंकि 'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू' को सीई अधिनियम की धारा 4 ए के तहत एमआरपी-आधारित मूल्यांकन के तहत निर्दिष्ट नहीं किया गया था, इसलिए माल का मूल्यांकन सीई अधिनियम की धारा 4 के तहत किया जाना था। सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9910 के तहत वर्गीकृत माल को दी गई छूट 50 प्रतिशत थी। इसलिए, यदि माल को साफ कर दिया जाता है

'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में शुल्क का भुगतान कम मूल्य पर किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप शुल्क की कम राशि का भुगतान होता है, क्योंकि **50** प्रतिशत की कमी के बाद धारा **4** ए के तहत निर्धारित मूल्य सीई अधिनियम की धारा **4** के तहत लेन-देन मूल्य की तुलना में बहुत कम था। यह सटीक के लिए है

निर्धारिती ने वर्गीकरण को 'जरदा/जरदा सुगंधित' से क्यों बदला

तंबाकू 'से' चबाने वाला तंबाकू '।'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू लाया गया था।

सी. ई. अधिनियम (एम. आर. पी. आधारित मूल्यांकन) की धारा 4 ए के दायरे में, 2006 की अधिसूचना संख्या 2 में संशोधन के आधार पर, 2006 की अधिसूचना संख्या 11.07.2006 के अनुसार। दूसरे शब्दों में, 'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू' को 01.03.2006 से 10.07.2006 की अवधि के लिए CE अधिनियम की धारा 4A के तहत मूल्यांकन के लिए निर्दिष्ट नहीं किया गया था। उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमारा विचार है कि निर्धारिती के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और राजस्व कारणदर्शक नोटिस जारी करने में सही और उचित था। 41. निर्धारिती द्वारा पूरे समय उठाए गए तर्कों में से एक यह रहा है कि उन्होंने 30.03.2006 पर एक पत्र लिखा था जिसमें स्पष्ट रूप से 599 में परिवर्तन दिखाया गया था।

कॉमर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यूआरएमआईएन प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड। और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 600

निर्धारिती द्वारा वर्गीकरण और परिवर्तन के कारणों को बयान के साथ-साथ उनके दिनांकित 25.06.2007 पत्र में दिखाया गया था और कोई दमन नहीं था। वास्तव में, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने ओ. आई. ओ. दिनांकित 28.01.2008 के अनुच्छेद 13.1 में दिनांकित 30.03.2006 पत्र की सामग्री को निकाला है। हालांकि, तत्काल संदर्भ के लिए और पुनरावृत्ति की कीमत पर इसे नीचे निकाला गया है:

“यह आपको सूचित करने के लिए है कि हमारे उद्योग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथा के अनुसार, हम अपने उत्पाद को सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9910 में वर्गीकृत करते हैं।” 42. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि इस पत्र के अंतिम चरण तक, निर्धारिती ने उत्पाद को सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9930 के तहत आने वाले 'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत करना जारी रखा। यही सटीक कारण

है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने यह पाया है कि 'आईडी1' दिनांकित पत्र को चतुराई से तैयार किया गया था और इसमें उस उत्पाद का विस्तार से उल्लेख नहीं है जिसका वे उस भौतिक समय में निर्माण कर रहे थे, अर्थात् 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू'। यद्यपि पत्र में वर्गीकरण प्रविष्टि सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9910 ('चबाने वाला तंबाकू') दिखाता है, यह एक तस्वीर को दर्शाता है जैसे कि यह एक नया उत्पाद है। पत्र के एक सादे पढ़ने से यह संकेत नहीं मिलता है कि उक्त पत्र के लेखक का इरादा उस उत्पाद के बारे में कोई विवरण प्रकट करना था जो निर्मित किया जा रहा है। हालाँकि, निर्धारिती शुल्क के भुगतान के निर्धारण के लिए आवश्यक ऐसे प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बारे में अज्ञानता का नाटक नहीं कर सकता है। निर्धारिती लंबे समय से इस उद्योग में रहा है और इस वैधानिक आवश्यकता से अच्छी तरह वाकिफ था। उक्त पत्र की गहन जांच करने पर, दमन अधिक स्पष्ट हो जाता है, अर्थात् उन वस्तुओं के नाम और वर्गीकरण में परिवर्तन का उल्लेख नहीं करना जिनका वे वर्तमान में निर्माण कर रहे थे और जिनका उन्हें खुलासा करना चाहिए था। कॉन्टिनेंटल में इस अदालत के फैसले पर ध्यान देना उचित होगा।

फाउंडेशन जेटी। उद्यम बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त **(2007) 10 एस. सी. सी.**

337 उस दमन का अर्थ है शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से पूरी जानकारी का खुलासा करने में विफलता। यह आगे आयोजित किया गया है:

“12. अधिनियम की धारा 11 ए के प्रावधान में 'दमन' शब्द का उपयोग 'धोखाधड़ी' या 'मिलीभगत' के रूप में बहुत मजबूत शब्दों के साथ किया गया है और इसलिए, इसका सख्ती से अर्थ निकाला जाना चाहिए। केवल सही जानकारी देने में चूक तथ्यों का दमन नहीं है जब तक कि शुल्क के भुगतान को रोकने के लिए जानबूझकर नहीं किया गया था। दमन का अर्थ है शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से पूरी जानकारी का खुलासा करने में विफलता।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

जब दोनों पक्षों को तथ्यों के बारे में पता चल जाता है, तो एक पक्ष द्वारा वह करने में चूक जो उसने किया होगा, उसे दमन नहीं माना जाएगा। जब राजस्व धारा 11 ए के तहत सीमा की विस्तारित अवधि का आह्वान करता है तो तथ्य के दमन को साबित करने के लिए उस पर बोझ डाला जाता है। एक गलत कथन को जानबूझकर गलत कथन के बराबर नहीं माना जा सकता है। उत्तरार्द्ध का तात्पर्य इस ज्ञान के साथ एक गलत बयान देना है कि बयान सही नहीं था।

14. जहाँ तक धोखाधड़ी और मिलीभगत का संबंध है, यह स्पष्ट है कि कर्तव्य से बचने का इरादा इन्हीं शब्दों में बना है। जहाँ तक तथ्यों के गलत कथन या दमन का संबंध है, वे स्पष्ट रूप से 'विलफुल' शब्द से योग्य हैं, जो "गलत कथन या तथ्यों का दमन" शब्दों से पहले है जिसका अर्थ है कर्तव्य से बचने के इरादे से। इस अधिनियम या नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन शब्दों के अगले समूह को फिर से शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से तुरंत निम्नलिखित शब्दों द्वारा योग्य माना जाता है।' इसलिए, तथ्य का दमन या गलत कथन नहीं हो सकता है, जो जानबूझकर नहीं है

और फिर भी धारा 11 ए के परंतुक के उद्देश्य के लिए एक अनुमेय आधार है। तथ्य का गलत कथन जानबूझकर किया जाना चाहिए।”

यह तथ्य को छिपाने और उनके पत्र में विवरण निर्दिष्ट नहीं करने के कारण विभाग द्वारा सीई अधिनियम की धारा 11 ए और धारा 11 एसी का आह्वान किया गया। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि दिनांकित 30.03.2006 के पत्र की अंतिम भाषा तक, निर्धारिती स्वयं था सी. ई. टी. के अंतर्गत आने वाले उत्पाद को 'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत करना।

एस. एच. 2403 9930 और एक बड़े पैमाने पर निर्माता होने के नाते और शुल्क के रूप में बड़ी राशि का भुगतान करते हुए, यह तर्क देना कि वह इन दोनों उत्पादों के बीच अंतर से अनजान था, या यह तर्क देना कि उसने अज्ञानता से उत्पाद को 'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत किया था, निर्धारिती की ओर से एक प्रशंसनीय औचित्य नहीं है। तथापि, 2006 की अधिसूचना संख्या 2 के जारी होने पर

01.03.2006 जिसके तहत 'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू' को बाहर रखा गया था या

अन्य शब्द जो उक्त अधिसूचना में शामिल नहीं हैं, निर्धारिती ने अपने उत्पाद के विवरण को 'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू' से 'चबाने वाले तंबाकू' में बदल दिया। निर्धारिती द्वारा दिनांकित 30.03.2006 पत्र के संचार की तारीख भी उतनी ही महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करती है जितनी 2006 की अधिसूचना संख्या 2 दिनांकित 01.03.2006 को 01.04.2006 से प्रभावी होना था और 2006 की उक्त अधिसूचना संख्या 2 के प्रभावी होने की तारीख से सिर्फ दो दिन पहले, यह 601

कॉमर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यूआरएमआईएन प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड। और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 602

निर्धारिती द्वारा 30.03.2006 दिनांकित संचार विभाग को भेज दिया गया है। इस तरह के पत्र को सामने लाने का इरादा इस तथ्य से स्पष्ट है कि इरादा सीई अधिनियम की धारा 4 के तहत देय शुल्क के भुगतान से बचने का था; इस तथ्य को जानने के बावजूद कि इसका उत्पाद प्रासंगिक अधिसूचना के तहत शामिल नहीं था, जो धारा 4 ए के तहत मूल्यांकन का प्रावधान करता है, फिर भी निर्धारिती ने ऐसा किया, केवल सीई अधिनियम की धारा 4 ए के अनुसार कम मूल्य पर शुल्क का भुगतान करने के लिए, एमआरपी-आधारित मूल्यांकन का लाभ उठाने के लिए 'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू' के बजाय 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में उसके द्वारा निर्मित उत्पाद का दावा करके, जो सीई अधिनियम की धारा 4 के तहत निर्धारित मूल्य से कम था।

43. फिर भी एक अन्य कारक जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, वह है निर्धारिती की इकाइयों/कारखाने के निरीक्षण के समय दर्ज उत्पादन प्रबंधक और कारखाने के प्रभारी और प्रबंधक का बयान, जिसके तहत उन्होंने सी. ई. अधिनियम की धारा 14 के तहत दर्ज अपने बयान में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अप्रैल 2006 के बाद के महीने के लिए ई. आर.

1 रिटर्न में, उन्होंने अपने फाई नाल उत्पाद के वर्गीकरण को सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9930 से सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9910 में संशोधित किया है और अपने उत्पाद को 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के बजाय 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में वर्णित करना शुरू कर दिया है और इस तरह की घोषणा के आधार पर उन्होंने शुल्क का भुगतान करना जारी रखा है।

01.03.2006 हालांकि 'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू' के अंतर्गत नहीं आता था।

टैरिफ प्रविष्टि तक 01.03.2006 से 10.07.2006 की अवधि के दौरान एमआरपी-आधारित मूल्यांकन यानी CET SH 2403 9930 को 2006 की अधिसूचना 16 दिनांक 11.07.2006 जारी करके CE अधिनियम की धारा 4A के दायरे में लाया जा रहा है। यही सटीक कारण है कि निर्धारिती के कार्य को जानबूझकर किया गया था और तदनुसार निर्धारिती की ओर से जानबूझकर गलत कथन का आरोप लगाया गया था, जिसका उद्देश्य सीई अधिनियम की धारा 4 के तहत देय शुल्क से बचना था, जो सीमा की विस्तारित अवधि को आकर्षित करेगा, अर्थात् धारा 11 ए (1) के प्रावधान को लागू किया जा रहा है। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने दिनांक 1 के संचार की पृष्ठभूमि में सीमा की एक विस्तारित अवधि को लागू करने के मुद्दे की जांच की है, जिस पर निर्धारिती द्वारा तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने या जानबूझकर गलत तरीके से बताने के आरोप को रोकने के लिए बहुत अधिक भरोसा किया गया है और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने निम्नानुसार राय दी है: “यह देखा जा सकता है कि निर्धारिती ने बहुत चतुराई से पत्र का मसौदा तैयार किया था और उत्पाद के किसी भी विवरण का उल्लेख नहीं किया था जो वे थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

उस भौतिक समय में निर्माण अर्थात् 'जर्दा सुगंधित तंबाकू'। इस पत्र को पढ़ने पर, कोई भी व्यक्ति यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि उन्होंने एक नया उत्पाद 'चबाने वाला तंबाकू' शुरू किया है जिसे उन्होंने 2403 9910 में वर्गीकृत किया है क्योंकि यह चबाने वाले तंबाकू का सही उपशीर्षक है। पत्र को सीधे पढ़ने पर, पहली बार में, कोई भी वास्तविक उद्देश्य को समझ नहीं पाएगा। निर्धारिती ने पत्र में यह उल्लेख नहीं किया कि वे उन वस्तुओं के नाम और वर्गीकरण को बदल रहे हैं जो वर्तमान में उनके द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं जो उन्हें करना था। अगर उन्होंने उस समय इस तथ्य का उल्लेख किया होता, तो यह मुद्दा बिल्कुल भी पैदा नहीं होता। जानबूझकर, उन्होंने तथ्यों को छिपा दिया है और पत्र में विस्तार से नहीं बताया है। इसके विपरीत, निर्धारिती ने 26-6-2006 पर धारा 4 के तहत दर्ज बयान में कारण दिखाना पसंद किया, जब विभाग ने उसे कर्तव्य से बचने के लिए पकड़ा था। इसके अलावा, निर्धारिती ने उल्लेख किया है कि उनके उद्योग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथा के अनुसार, वे अपने उत्पाद चबाने वाले तंबाकू को 2403 9910 में वर्गीकृत करते हैं। एक निर्धारिती द्वारा निर्मित वस्तुओं का वर्गीकरण उपयोग किए गए कच्चे माल, निर्माण प्रक्रिया और अंतिम उपयोग सहित कई कारकों पर आधारित होता है। यदि किसी भी निर्णायक कारक को बदल दिया जाता है तो वर्गीकरण बदल सकता है और इसलिए उद्योग इस प्रकार की वस्तुओं में वर्गीकरण का निर्णय नहीं ले सकता है। निर्धारिती ने जानबूझकर इस तथ्य को छुपाया कि उन्होंने अपने उत्पाद के

वर्गीकरण को बदल दिया है। 'जर्दा सुगंधित तंबाकू'। यह एक स्थापित तथ्य है कि जब वर्गीकरण पर कोई विवाद नहीं होता है और निर्धारिती अचानक इस प्रकार का एक बहुत सावधानीपूर्वक तैयार किया गया पत्र प्रस्तुत करता है, तो एक सामान्य निष्कर्ष निकाला जाएगा कि पहले वाले के स्थान पर एक नया उत्पाद पेश किया गया है। निर्धारिती ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क से बचने के इरादे से जानबूझकर गलत कथन का सहारा लिया और जानबूझकर महत्वपूर्ण तथ्यों को दबा दिया। निर्धारिती ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4 के तहत देय शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से उत्पाद को 'जर्दा सुगंधित तंबाकू' से 'चबाने वाले तंबाकू' में बदल दिया था और गलत वर्गीकरण किया था, इस तथ्य के बावजूद कि उनका उत्पाद प्रासंगिक अधिसूचना के तहत शामिल नहीं था जो धारा 4 ए के तहत मूल्यांकन का प्रावधान करता है। निर्धारिती ने ऐसा इसलिए किया ताकि वे कम मूल्य पर शुल्क का भुगतान कर सकें [क्योंकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4 ए (एमआरपी आधारित मूल्यांकन) के अनुसार मूल्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4 के अनुसार मूल्य से कम था। इस प्रकार, निर्धारिती द्वारा शुल्क के भुगतान से बचने का जानबूझकर इरादा था, 603

कॉमर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यूआरएमआईएन प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड। और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 604

गलत वर्गीकरण और उनके उत्पाद के जानबूझकर गलत कथन द्वारा और इस अधिनियम के कारण, विभाग केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 ए (1) के परंतुक में प्रदान की गई विस्तारित अवधि को लागू करने का हकदार है ताकि धारा 11 एबी के तहत ब्याज के साथ 5 साल तक की बड़ी अवधि के लिए अलग-अलग शुल्क की वसूली की जा सके और खुद को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 11 एसी के तहत दंड के लिए भी उत्तरदायी बना दिया है। मैं, तदनुसार मानता हूँ कि निर्धारिती केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 एसी के तहत दंड के लिए उत्तरदायी है।”

हालाँकि, न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया है कि सीमा लागू होगी और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निर्धारिती ने उपरोक्त मुद्दों को संबोधित किए बिना, जिसमें ऊपर विस्तार से निपटा गया है, विवादित आदेश के पैराग्राफ 22 के माध्यम से परिवर्तन करने के अपने इरादे की सूचना दी थी, एक वर्ष से अधिक समय तक कारण बताएँ नोटिस जारी नहीं किया जाना चाहिए था। दूसरे शब्दों में, न्यायाधिकरण ने गुप्त आदेश द्वारा राजस्व की दलीलों को नकार दिया है और कहा है कि सीमा की विस्तारित अवधि का आह्वान आवश्यक नहीं था। हाथ से प्राप्त तथ्यों के अनुरूप नहीं होने के कारण, हम न्यायाधिकरण के फैसले के लिए अपने विचारों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। मामले के उस दृष्टिकोण में, हमारा विचार है कि प्रश्न संख्या 1 का उत्तर निर्धारिती के खिलाफ और राजस्व के पक्ष में दिया जाना चाहिए और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के निर्णय को उलट दिया जाना चाहिए और/या न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निर्णय को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए, जो कि प्रारंभिक चरण में यहाँ देखा गया है, यह देखते हुए कि यह न केवल तथ्यों के विपरीत है, बल्कि कानून के विपरीत भी है जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है।

इन सटीक कारणों से न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का स्पष्ट विचार था कि गलत वर्गीकरण और अपने उत्पाद के जानबूझकर गलत कथन द्वारा निर्धारिती द्वारा शुल्क के भुगतान से बचने का जानबूझकर इरादा रहा है और इसलिए इसे विस्तारित अवधि का आह्वान करने में उचित ठहराया गया था जैसा कि सीई अधिनियम, 1944 की धारा 11 ए (1) के प्रावधान में प्रदान किया गया था।

आरई:प्र. 2-विवादग्रस्त व्यक्ति के लिए एक-दूसरे का वर्गीकरण स्वीकार किया जाना चाहिए?

44. तत्काल मामले में प्रवेश का सिद्धांत सबसे अच्छा प्रमाण है जिसे इस निष्कर्ष पर लागू किया जा सकता है कि निर्धारिती ने स्वयं अप्रैल 2006 और उसके बाद के ईआर-1 रिटर्न में घोषणा के आधार पर उत्पाद को 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत किया था। सी. ई. टी. ए. के तहत 8 अंकों के युग के आगमन पर, 'चबाने वाले तंबाकू' को सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9910 के तहत वर्गीकृत किया गया था, और 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' को सी. ई. टी. के तहत अलग से वर्गीकृत किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

इस तरह के वर्गीकरण के बावजूद, एम. आर. पी. के आधार पर मूल्यांकन किए जाने वाले सामानों के संबंध में जारी अधिसूचना में शुल्क शीर्षक और 'चबाने वाले तंबाकू' शीर्ष के तहत आने वाले सामान को 2404.41 के रूप में दिखाया जाता रहा। जब 2006 की अधिसूचना संख्या 2 दिनांक 01.03.2006 जारी की गई और यह सीरियल No.28 के तहत प्रतिबिंबित हुआ कि प्रविष्टि SH 2403 9910 से 2403 9920 के तहत वर्गीकृत सभी सामानों को एमआरपी मूल्यांकन के लिए शामिल किया गया था और उत्पाद 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' को उक्त प्रविष्टि के तहत शामिल नहीं किया गया था, तो इसका मतलब यह था कि 'जर्दा सुगंधित तंबाकू' को एमआरपी मूल्यांकन योजना के तहत निर्धारित नहीं किया जा सकता था।

45. संबंधित अवधि के लिए निर्धारिती के नेतृत्व में ई. आर.-1 विवरणी पर हस्ताक्षरकर्ता श्रीमती. शीतल के मजीठिया, निदेशक-वित्त और उन्होंने ही उत्पाद के वर्गीकरण को बदलने का निर्णय लिया। इसलिए, उन्हें पेश होने और स्पष्टीकरण देने के लिए समन जारी किया गया था। हालाँकि, उसने समन को नजरअंदाज करने का फैसला किया और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के सामने पेश नहीं हुई। जबकि, कारखाने के प्रभारी और प्रबंधक, श्री दीपक एस शाह, पेश हुए हैं और बयान प्रस्तुत किया है, जिसके तहत वह स्वीकार करता है कि वह श्रीमती को रिपोर्ट करता है। शीतल के मजीठिया, निदेशक-वित्त। उन्होंने अपने दिनांकित 26.06.2007 और 09.07.2007 के बयान में आगे स्वीकार किया कि उनके/निर्धारिती के उत्पाद को 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, फिर भी उन्होंने सीई अधिनियम की धारा 4 ए के तहत निर्धारित एमआरपी-आधारित मूल्यांकन के अनुसार शुल्क का भुगतान करना जारी रखा। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि सामग्री के समय 2005-06, उनके द्वारा निर्मित उत्पाद को 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के रूप में वर्णित किया गया था और इसे बाजार में 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के रूप में

जाना और बेचा जाता था, जिसे उनके चालान में भी उसी के अनुसार वर्णित किया गया था। उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि अप्रैल 2006 के बाद से निर्धारिती ने अपने उत्पाद को 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में वर्णित करना शुरू कर दिया क्योंकि 2006 की 2 की अधिसूचना दिनांक 01.03.2006 का लाभ उठाया गया था, जो निर्विवाद रूप से था।

उन्होंने 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' का उपयोग जारी नहीं रखा। इस पृष्ठभूमि में,

जब वर्गीकरण के परिवर्तन की सूचना देने वाले विभाग को 30.03.2006 दिनांकित संचार का अध्ययन किया जाता है, तो यह इंगित करेगा कि जिन उत्पादों का निर्माण किया जा रहा था, उनका विवरण उक्त संचार में बिल्कुल भी निर्दिष्ट नहीं था। मामले के उस दृष्टिकोण में, निर्धारिती द्वारा जिस संचार पर भरोसा किया गया था, वह महत्वहीन हो जाएगा।

46. अपीलार्थी द्वारा निर्मित उत्पाद का लेबल "बागबान ज़फरानी ज़रदा" है और लेबल के नीचे इसे "फ़्ल एवर्ड च्यूइंग 605" के रूप में दर्शाया गया है।

कॉमर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यूआरएमआईएन प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड। और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 606

तम्बाकू।" निर्धारिती का यह निरंतर रुख रहा है कि शुल्क प्रविष्टि में "जर्दा/जर्दा" अभिव्यक्ति अपीलार्थी द्वारा उपयोग किए जाने वाले "जर्दा/जर्दा" शब्द से अलग है। यह किसी का मामला नहीं है कि लेबल या निर्माण प्रक्रिया में छह (6) अंकों के युग से आठ (8) अंकों के टैरिफ युग में बदलाव हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायाधिकरण स्वयं दुविधा में था और इस तथ्य से प्रभावित था कि विभाग द्वारा वर्गीकरण के लिए कोई विशेषज्ञ राय प्राप्त नहीं की गई थी। यह स्थिति एक से अधिक कारणों से बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होगी, पहली बात यह है कि निर्धारिती स्वयं शुरू से ही 2005 में 8 अंकों की व्यवस्था तक लगातार अपने द्वारा निर्मित उत्पाद को 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में घोषित कर रहा है। 24.02.2005) प्रविष्टियों को उप-वर्गीकृत किया गया

'चबाने वाले तंबाकू' और 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के रूप में। ई. आर.-। रिटर्न में

एफ. आई. ने मार्च 2005 से अप्रैल 2006 तक नेतृत्व किया, यानी उप-वर्गीकरण के बाद, निर्धारिती ने उत्पाद के विवरण का उल्लेख 'जर्दा सुगंधित तंबाकू' के रूप में किया और अप्रैल 2006 से इसे 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में फिर से वर्गीकृत किया।

47. पुनरावृत्ति की कीमत पर यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि एम. आर. पी. आधारित मूल्यांकन के लिए सी. ई. अधिनियम की धारा 4 ए के तहत आने वाले सामानों को निर्दिष्ट करते हुए 2006 की अधिसूचना संख्या 2 दिनांकित आई. डी. 2 को 2002 की अधिसूचना 13 दिनांक आई. डी. 1 के स्थान पर जारी किया गया था। उक्त अधिसूचना में सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9930, यानी 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के तहत आने वाले सामानों को निर्दिष्ट नहीं किया गया है, लेकिन यह सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9910 यानी 'चबाने वाले तंबाकू' के तहत आने वाले सामानों को शामिल करता है। इस प्रकार ज़रदा/ज़रदा सुगंधित तंबाकू को सीई अधिनियम की धारा 4 ए के तहत

एमआरपी-आधारित मूल्यांकन के तहत निर्दिष्ट नहीं किया गया था, इसलिए सामान का मूल्यांकन अनिवार्य रूप से सीई अधिनियम की धारा 4 के तहत किया जाना था। निर्धारिती इस बात से अवगत था कि उत्पादों की प्रकृति, इसकी सामग्री और निर्माण प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होने के कारण उत्पाद को 'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू' से 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया था। यदि निर्धारिती ने 'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू' के रूप में अपना वर्गीकरण जारी रखा होता, तो सीई अधिनियम की धारा 4 के तहत लेनदेन मूल्य के अनुसार देय शुल्क 50 प्रतिशत की कमी के बाद सीई अधिनियम की धारा 4 ए के तहत निर्धारण से बहुत अधिक होता। उच्च शुल्क के भुगतान से बचने और बचने के इस सटीक कारण के लिए, वर्गीकरण जानबूझकर किया गया था

'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू' से 'चबाने वाले तंबाकू' में बदल दिया गया।

48. निर्धारिती द्वारा बोर्ड के दिनांकित 23.06.1987 के पत्र, दिनांकित 15.07.1997 के व्यापार नोटिस और दिनांकित 16.03.1995 की अधिसूचना पर दी गई निर्भरता का वर्तमान मामले/समूह के तथ्यों पर कोई प्रभाव या असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

इन्हें 6 अंकों के टैरिफ वर्गीकरण के दौरान जारी किया गया था। जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, शुल्क प्रविष्टि को 8 अंकों में बदल दिया गया है और एक विशिष्ट सी उप-शीर्षक प्रदान किया जा रहा है और दो प्रतिस्पर्धी हैं।

उत्पाद- 'चबाने वाला तंबाकू' और 'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू'

अलग से वर्गीकृत किए जाने के बाद, निर्धारिती द्वारा भरोसा किया गया उपरोक्त परिपत्र/अधिसूचना निर्धारिती के बचाव में नहीं आएगा।

49. यह एक सामान्य कानून है कि जब विशिष्ट सी प्रविष्टि एक एफ. आई. स्केल कानून में पाई जाती है, तो यह किसी भी सामान्य प्रविष्टि पर प्रबल होगा। यदि दो या दो से अधिक उप-शीर्षक हैं, तो अधिक सामान्य विवरण प्रदान करने वाले शीर्षक की तुलना में सबसे विशिष्ट सी विवरण प्रदान करने वाले शीर्षक को प्राथमिकता देनी होगी।

वन आधारित चर्चा के आलोक में हमारा विचार है कि प्राधिकरण द्वारा निर्णय किए गए उत्पाद के वर्गीकरण को स्वीकार किया जाना चाहिए और न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निर्णय को दरकिनार किया जाना चाहिए और परिणामस्वरूप इन अपीलों को अनुमति दी जानी चाहिए। इस प्रकार, इस समूह में ऊपर बताए गए दोनों बिंदुओं का उत्तर राजस्व के पक्ष में और प्राप्तकर्ता के खिलाफ दिया जाता है।

II. केंद्रीय आयोग के आयुक्त, चंडीगढ़ वी. एम./एस. फ्लेक्स-एन-फ्लेक्सर्स [सी. ए. 5146/2015]

50. तत्काल समूह में, राजस्व क्षेत्राधिकार न्यायाधिकरण द्वारा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सी. ई. एस. टी. ए. टी.), नई दिल्ली द्वारा दिनांकित 20.02.2014 द्वारा पारित आदेश पर अपील कर रहा है।

संक्षिप्त तथ्य

51. प्रत्यर्थी-निर्धारिती सी. ई. टी. ए. के तहत उत्पाद शुल्क की श्रेणी के तहत आने वाले जरदा, पान चाटनी और सुगंधित सुपारी का निर्माता है, और सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9910 के तहत अपने उत्पाद 'गोपाल जरदा' को 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में मंजूरी दे रहा था और सी. ई. अधिनियम की धारा 4 ए के तहत खुदरा बिक्री मूल्य के आधार पर उत्पाद शुल्क का भुगतान कर रहा था, (जिसे इसके बाद 'सी. ई. अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है)। लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि निर्धारिती का उत्पाद निम्नलिखित वर्गीकरण के योग्य है -

सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9930 'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू' के रूप में। के पुनर्निर्धारण पर

सी. ई. अधिनियम की धारा 4 के तहत यह पाया गया कि निर्धारिती ने उत्पाद शुल्क में एक लाख रुपये की कमी की है। 4,28,65,508/- और तदनुसार, CE अधिनियम की धारा 11A के तहत एक कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ने अपने ओ. आई. ओ. दिनांक 02.04.2008 में शुल्क, ब्याज, जुर्माने की मांग की और कहा कि प्रतिवादी द्वारा निर्मित उत्पाद-607 कॉमर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यूआरएमआईएन प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड। और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 608

निर्धारिती सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9930 के तहत 'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू' के रूप में इस निष्कर्ष पर आता है कि मूल्यांकन सी. ई. अधिनियम की धारा 4 के तहत किया जाना है। उक्त आदेश के खिलाफ सी. ई. एस. टी. ए. टी. के समक्ष एक अपील दायर की गई, जिसकी अनुमति दी गई और ओ. आई. ओ. दिनांक 02.04.2008 को दरकिनार कर दिया गया।

दलों की प्रस्तुतियाँ

52. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है। 53. सुश्री निशा बागची ने विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने ओ. आई. ओ. दिनांक 02.04.2008 का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने उक्त शुल्क को दरकिनार करने और यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की है कि विचाराधीन उत्पाद सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9910 के तहत 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत किया गया था और विभाग के इस रुख को खारिज कर दिया कि इसे सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9930 के तहत 'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। वह तर्क देगी कि न्यायाधिकरण ने मेसर्स उर्मिन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में दर्ज अपने निर्णयों पर भरोसा करने में गलती की, जिसे निर्विवाद रूप से 2010 (समूह I) की सिविल अपील संख्या 10159-161 में इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है और इस तरह उसे उक्त निर्णय पर

भरोसा नहीं करना चाहिए था। वह यह भी तर्क देगी कि न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी के भागीदार श्री मनोज गुप्ता के तथ्य पर विचार नहीं करने में गलती की है, उन्होंने स्वीकार किया है कि कच्चे तंबाकू में इत्र यौगिक जोड़े जाते हैं और इस तरह के उत्पाद को सी. ई. टी. के तहत वर्गीकृत किया जाना है।

एस. एच. 2403 9930 'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू' के रूप में और 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में नहीं।

54. उन्होंने तर्क दिया कि सी. ई. टी. ए. (संशोधन), 2004 के लागू होने से पहले, 'चबाने वाला तंबाकू' और इसकी तैयारी को अध्याय 'आई. डी. 2' के तहत शामिल किया गया था और संशोधन के बाद उक्त अध्याय के शीर्षक को अध्याय शीर्षक 2404 के भीतर तीन अलग-अलग शुल्क वस्तुओं में वर्गीकृत किया गया था, अर्थात् 'चबाने वाला तंबाकू', 'चबाने वाला तंबाकू' और 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' वाली तैयारी और यह तर्क देंगे कि इन तीनों वस्तुओं को पहले अध्याय शीर्षक 'आई. डी. 2' के तहत सामूहिक रूप से वर्गीकृत किया गया था और आज के वर्गीकरण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि 'चबाने वाला तंबाकू' सुगंधित/सुगंधित/सुगंधित तंबाकू नहीं है और दोनों विवादित वस्तुएं अलग-अलग और अलग-अलग वर्गों के उत्पादों के अंतर्गत आती हैं। वह यह भी प्रस्तुत करेगी कि निर्धारिती स्वयं स्वीकार करे कि उनका उत्पाद 'जर्दा/जर्दा' है और यहां तक कि पैक किए गए पाउच पर उनकी सामग्री का मुद्रित विवरण 'गोपाल जर्दा' के रूप में है। उठाए गए तर्कों को दोहराते हुए, आधारों का आग्रह किया गया और याचिकाओं को सिविल में रखा गया

2010 की अपील सं. 10159-161 (मेसर्स उर्मिन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड), वह इस अपील को अनुमति देने के लिए प्रार्थना करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

55. इसके विपरीत, प्रतिवादी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री विवेक कोहली ने न्यायाधिकरण के समक्ष उठाए गए तर्कों और आधारों को दोहराया है। उन्होंने तर्क दिया कि विवाद से पहले की अवधि के दौरान, विवादित अवधि के दौरान और विवादित अवधि के बाद भी, निर्धारिती द्वारा निर्मित उत्पाद को 'चबाने वाले तंबाकू/फ्लेवर वाले चबाने वाले तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यहां तक कि उत्पाद को 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत करने वाले निर्धारिती के नेतृत्व में ईआर-1 रिटर्न और साप्ताहिक ऑनलाइन रिटर्न को भी राजस्व द्वारा बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिया गया था। वह तर्क देंगे कि पूरे एक वर्ष के लिए 8 अंकों के टैरिफ की शुरुआत के बाद भी, यानी 1.03.2005 से 28.02.2006 तक, निर्धारिती ने अपने उत्पाद को टैरिफ प्रविष्टि संख्या 2403 9910 के तहत वर्गीकृत किया और CE अधिनियम की धारा 4A के तहत अपनी कर देयता का निर्वहन किया, जिसे राजस्व द्वारा पूरी जानकारी के साथ स्वीकार किया गया था और 1.03.2006 से 11.07.2006 की अवधि के लिए इकाई के ऑडिट के दौरान आपत्ति उठाना इस अवधि के दौरान उच्च राजस्व की संभावना है (a) राजस्व द्वारा तकनीकी निरीक्षण के कारण है जिसे बाद में ठीक किया गया था और (b) एमआरपी आधारित मूल्यांकन के बजाय लेनदेन मूल्य पर वैकल्पिक

मूल्यांकन। उन्होंने तर्क दिया कि जब उत्पाद का वर्गीकरण पहले और बाद की अवधि के लिए स्वीकार किया जाता है, तो इसे अलग-अलग तरीके से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। प्रतिस्पर्धी उत्पादों की कोई अवहेलना नहीं होने के कारण, सामान्य बोलचाल परीक्षण के अनुप्रयोग को अपनाया जाना चाहिए और जब इसे अपनाया जाता है तो एकमात्र निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि उत्पाद को 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में माना जाना चाहिए, जैसा कि चालान में घोषित किया गया है और विक्रेताओं, स्टॉकिस्टों, खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं की वितरण श्रृंखला द्वारा समझा जाता है। वह प्रस्तुत करेंगे कि सबूत का भार राजस्व पर है क्योंकि वर्गीकरण प्रभार्यता से संबंधित एक प्रश्न है और इसका कोई भी सबूत पेश करके निर्वहन नहीं किया गया है, जैसा कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा किया गया वर्गीकरण न्यायाधिकरण द्वारा सही निर्धारित किया गया है।⁵⁶ वह प्रस्तुत करेंगे कि राजस्व वर्गीकरण लागू करने की मांग कर रहा है जिसमें 'चबाने वाले तंबाकू' को सुगंध प्रदान करने के लिए 'इत्र' शब्द का आधार है और तथ्य यह है कि दशकों से वही प्रक्रिया अपनाई जाती रही है। अपुष्ट कथन के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। निष्कर्ष निकालने के लिए वह तर्क देगा कि जैसा कि राय दी गई है कि इस अदालत में

W.P.I.L. v. सी. सी. ई. मेरठ-2005 (181) ई. एल. टी. 359 ने राय दी है कि

अनजाने में परिवर्तन के चरणों की गलतियों की व्याख्या उत्पाद के संबंध में प्रचलित नीति के आलोक में या उसके संदर्भ में की जानी चाहिए और उस समय प्रचलित नीति सी. ई. अधिनियम-एम. आर. पी. आधारित मूल्यांकन की धारा 4 ए के तहत तंबाकू उत्पादों पर कर लगाने की थी, यह केवल तार्किक है कि वर्गीकरण 609

कॉमर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यूआरएमआईएन प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड। और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 610

निर्धारिती द्वारा घोषित और विभाग द्वारा घोषित किया जाता है। इसलिए, वह निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा करके अपील को खारिज करने के लिए प्रार्थना करता है। i. एच. पी. एल. केमिकल्स लिमिटेड बनाम सी. सी. ई. चंडीगढ़। 2006 (197) ईएलटी 324 (एससी)

ii. मौरी यीस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। 2008 (225) ईएलटी 321 (एससी)

iii. सी. जी. और एस. टी. सी. सी. ई. और एस. टी., रोहतक बनाम सोम फ्लेवर मसाला प्राइवेट लिमिटेड

iv. सी. सी. ई., नागपुर बनाम श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन। 2009 (237) ईएलटी 225 (एससी)

v. W.P.I.L. लिमिटेड बनाम सीसीई, मेरठ। 2005 (181) ईएलटी 359 एससी।

चर्चा और निष्कर्ष

57. वर्तमान अपील में शामिल अवधि 01.03.2006 से 10.07.2006 से संबंधित है। निर्धारिती के खातों के ऑडिट के दौरान, विभाग ने देखा कि निर्धारिती 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' का निर्माण कर रहा था और इसे 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में दावा कर रहा था। निर्धारिती का रुख यह रहा है कि वे 'चबाने वाले तंबाकू' की किस्मों का निर्माण कर रहे थे। इसलिए, निर्धारिती के भागीदार का बयान 15.02.2007 पर दर्ज किया गया, जिसे दिनांकित 30.03.2007 के कारण बताएँ नोटिस के पैराग्राफ 3 में देखा गया है। इसलिए, हम इसे निकालने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। उक्त कथन का अवलोकन उस तरीके का संकेत देगा जिसमें उत्पाद का निर्माण किया गया है। निर्धारिती के भागीदार द्वारा दिए गए बयान में यह स्वीकार किया गया है कि कच्चे तंबाकू को एक योजक मिश्रण के साथ मिलाया जाता है जो सूचना प्राप्तकर्ता की दिल्ली इकाई से प्राप्त इत्र यौगिकों को मिलाकर बनाया जाता है। वह यह भी स्वीकार करते हैं कि इस इत्र मिश्रण में, विभिन्न प्रकार के तंबाकू बनाने के लिए और यौगिक जोड़े जाते हैं। इस कथन के आधार पर और सटीक रूप से इस कारण से कि निर्धारिती द्वारा निर्मित उत्पाद 'चबाने वाला तंबाकू' नहीं प्रतीत होता है, उपरोक्त कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 30.03.2007 जारी किया गया, जिसमें निर्धारिती से कारण दिखाने के लिए कहा गया कि रुपये की अल्प-भुगतान शुल्क राशि की वसूली क्यों नहीं की जानी चाहिए। उक्त कारण दर्शाओ नोटिस पर निर्णय लिया गया और आयुक्त ने उक्त मांग को स्वीकार कर लिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

58. आयुक्त द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश से व्यथित होने के कारण, न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की गई थी और जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है, सदस्य (न्यायिक) और सदस्य (तकनीकी) के अलग-अलग विचार थे। आदेश के पैराग्राफ 16 में न्यायिक सदस्य ने कहा कि अपीलकर्ता (निर्धारिती) ने इसे सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9910 के तहत 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में उचित रूप से वर्गीकृत किया था और इसमें निर्धारित सिद्धांतों को लागू किया था।

मेसर्स उर्मिन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (जो सिविल का विषय है)

2010 की अपील सं. 10159-161) ने अपील की अनुमति दी, जबकि तकनीकी सदस्य ने उक्त दृष्टिकोण से असहमति जताई और कहा कि अपीलकर्ता-निर्धारिती द्वारा निर्मित उत्पाद को CET SH 2403 9930 के तहत 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और इसका मूल्यांकन CE अधिनियम की धारा 4 के प्रावधान के तहत किया जाना चाहिए, प्रासंगिक अवधि के लिए और धारा 4A के तहत 11.07.2006 से प्रभावी होने के साथ जब निर्दिष्ट c अधिसूचना No.16/2006 दिनांक 11.07.2006 लागू हुई।

59. राय की भिन्नता के आलोक में मामला एक तीसरे सदस्य की राय के लिए भेजा गया, जो न्यायिक सदस्य द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत था और यह अभिनिर्धारित किया कि उत्पाद द्वारा निर्मित

याचिकाकर्ता 'तंबाकू चबा रहा था' न कि 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू'

जैसा कि राजस्व द्वारा दावा किया गया है।⁶⁰ यह उल्लेख करना उचित है कि वर्गीकरण से संबंधित मुद्दे पर हमारे द्वारा उपरोक्त आयुक्त के मामले में चर्चा की गई है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद बनाम मेसर्स उर्मिन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और

पैराग्राफ नं. में हमारे द्वारा दर्ज अन्य और तथ्य।(एस) 46,47,48 और 49 उपर्युक्त तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होंगे।

61. निर्विवाद रूप से, न्यायाधिकरण ने, जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, इस पर भरोसा किया है मेसर्स उर्मिन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में व्यक्त किया गया विचार

इस निष्कर्ष पर कि उत्पाद को 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत किया जाना है।⁶² इसमें कोई संदेह नहीं है कि तत्काल मामले में, निर्धारिती विधिवत अपने द्वारा निर्मित उत्पाद को 'चबाने वाला तंबाकू' घोषित कर रहा है। हालाँकि, तथ्य यह है कि छह अंकों के शुल्क युग तक कोई समस्या नहीं थी जिसे आठ अंकों के शुल्क शीर्ष की शुरुआत के साथ रद्द कर दिया गया था। उसी के अनुसार प्रविष्टि को पुनर्गठित किया गया और 'चबाने वाले तंबाकू' (2403 9910) के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया, जिसमें 'चबाने वाले तंबाकू' (2403 9920) और 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' (2403 9930) शामिल थे। परिपत्र सं. 808/5/2005-CX दिनांकित 25.02.2005 जारी किया गया, जिसके तहत वर्गीकरण 611 था।

कॉमर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यूआरएमआईएन प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड। और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 612

यह देखते हुए कि छह अंकों की गणना वाली मौजूदा अधिसूचना को नए केंद्रीय उत्पाद शुल्क के आठ अंकों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। 01.03.2006 पर, अधिसूचना कैशन संख्या. 02/2006 जारी की गई जिसके आधार पर एक अधिसूचना कैशन संख्या. 13/2002 दिनांकित 01.03.2002 को हटा दिया गया। इस प्रकार, संबंधित अध्याय शीर्षक/उप-शीर्षक वाले उत्पादों की सूची, जिन्हें सीई अधिनियम की धारा 4 ए के संदर्भ में एमआरपी-आधारित मूल्यांकन के तहत शामिल किया जाना था, को आठ अंकों के शुल्क के संदर्भ में अधिसूचित किया गया था। उक्त अधिसूचना में 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' को छोड़ दिया गया था या इसे एमआरपी-आधारित मूल्यांकन के लिए शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद, स्पष्टीकरण सूचना सं. 16/2006 दिनांक 11.07.2006 द्वारा, उत्पाद 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' को एमआरपी-आधारित मूल्यांकन लाभ के भीतर वापस लाया गया। इस प्रकार, जलती हुई समस्या 01.03.2006 से 11.07.2006 की अवधि के बीच होगी जो तत्काल मामले में 01.03.2006 से 10.07.2006 से संबंधित है।

63. तत्काल मामले में, तथ्यों से यह पता नहीं चलता है कि वर्तमान प्रतिवादी द्वारा निर्मित उत्पाद की घोषणा में कोई बदलाव हुआ है

इसमें, जैसा कि मेसर्स उर्मिन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में हुआ था। यहां तक कि

अन्यथा छह अंकों के शुल्क से आठ अंकों के शुल्क युग में और 01.03.2006 से 11.07.2006 की अवधि के दौरान परिवर्तन के कारण। हालांकि सामान्य शब्द 'चबाने वाला तंबाकू' जिसमें आम तौर पर "खारा" के रूप में जाना जाने वाला व्यंजन भी शामिल है।

मसाला, किवम, ढोकटा, जरदा, सुखा, सुरती या "च्युइंग तंबाकू और च्युइंग तंबाकू वाली तैयारी" दो हिस्सों में विभाजित हो गई या इसका नया जन्म हुआ।

जिसके आधार पर उक्त प्रविष्टि को फिर से व्यवस्थित किया गया और तीन के तहत वर्गीकृत किया गया

'चबाने वाला तंबाकू' (2403-9910), 'चबाने वाले तंबाकू की तैयारी' (2403-9920) और 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' (2403-9930), शीर्षक 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' में जगह नहीं मिली।

संबंधित अधिसूचना सं. 02/2006 दिनांक 01.03.2006 और इस प्रकार 'जर्दा/जर्दा' सुगंधित तंबाकू को अधिसूचना सं. <ID2 के पूर्वावलोकन से बाहर कर दिया गया और धारा 4A के संदर्भ में मूल्यांकन का लाभ उत्पाद 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के लिए उपलब्ध नहीं था या दूसरे शब्दों में 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के निर्माताओं का मूल्यांकन सीई अधिनियम की धारा 4 के तहत किया जाना आवश्यक था। इसके कारण सी. ई. अधिनियम की धारा 4 के तहत लगाए जाने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क में एक बड़ा अंतर था, जो स्पष्ट रूप से करदाताओं के लिए नाराजगी का कारण होगा, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व और निर्धारिती के बीच उपरोक्त रस्साकशी हुई, जिसमें निर्धारिती ने तर्क दिया कि उसके द्वारा निर्मित उत्पाद हालांकि सुगंधित या सुगंधित थे, फिर भी 'चबाने वाले तंबाकू' बने रहे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

और यह 'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू' के चरित्र में भाग नहीं लेता था। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, मैसर्स उर्मिन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में दर्ज किए गए निर्णय के अलावा, हम यह ध्यान रखना उचित समझते हैं कि माल की व्याख्या के लिए सामान्य नियम "इस अनुसूची की व्याख्या के लिए सामान्य नियम" अध्याय के तहत सी. ई. टी. ए. के प्रावधानों से पता लगाने योग्य हैं। एक क्षण के लिए यह मानते हुए कि जहां माल प्रथम दृष्टया दो या दो से अधिक शीर्षकों (निर्धारिती के प्रस्ताव को स्वीकार करके) के तहत वर्गीकृत करने में सक्षम हैं, यह उत्पाद के वर्गीकरण के संबंध में एक गंभीर संदेह पैदा करता है। ऐसी परिस्थितियों में, सी. ई. टी. ए., 1985 की धारा 2 में प्रावधान है कि जिन दरों पर सी. ई. अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा, उन्हें पहली और दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है। पहली अनुसूची

"व्याख्या के लिए सामान्य नियम" के रूप में जाने जाने वाले नियमों का एक समूह शामिल है

यह अनुसूची "। ये नियम इस आदेश के साथ शुरू होते हैं कि इस अनुसूची में माल का वर्गीकरण उसके तहत निर्धारित निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। इस नियम को इस मामले में इस न्यायालय की व्याख्या मिली थी।

वेस्टिंगहाउस सैक्सबी फार्मर लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त,

कलकत्ता, (2021) 5 एस. सी. सी. 586 जिसके तहत यह निम्नानुसार आयोजित किया गया: “26. इन नियमों के नियम 1 में यह स्पष्ट किया गया है कि “धाराओं, अध्यायों और उप-अध्यायों के शीर्षक केवल संदर्भ में आसानी के लिए प्रदान किए गए हैं और कानूनी उद्देश्यों के लिए, वर्गीकरण का निर्धारण शीर्षकों की शर्तों और किसी भी संबंधित धारा या अध्याय टिप्पणियों के अनुसार किया जाएगा और बशर्ते कि ऐसे शीर्षकों या टिप्पणियों की अन्यथा आवश्यकता न हो, निम्नलिखित नियमों के प्रावधानों के अनुसार।”

27. नियम 2 (i) अधूरे या अधूरे पदार्थ; और (ii) सामग्री या पदार्थ के मिश्रण या संयोजन से संबंधित है। जबकि नियम 2 (ए) अधूरे या अधूरे लेखों से संबंधित है, नियम 2 (बी) किसी सामग्री या पदार्थ के मिश्रण या संयोजन से संबंधित है।

28. नियम 3 उन मामलों से संबंधित है जहां माल को दो या दो से अधिक उप-शीर्षकों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। लेकिन नियम 3 नियम 2 (बी) के संदर्भ से शुरू होता है। इसलिए नियम 2 (बी) और नियम 3 को एक साथ निकालना आवश्यक है। वे इस प्रकार पढ़ते हैं:

“2. (ए) * * *

(ख) किसी सामग्री या पदार्थ के लिए किसी भी संदर्भ को उस सामग्री के मिश्रण या संयोजन के संदर्भ को शामिल करने के लिए लिया जाएगा या **613**

कॉमर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यूआरएमआईएन प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड। और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 614

अन्य सामग्री या पदार्थों के साथ पदार्थ। किसी दी गई सामग्री या पदार्थ के माल के किसी भी संदर्भ में ऐसी सामग्री या पदार्थ का पूरी तरह से या आंशिक रूप से शामिल माल का संदर्भ शामिल किया जाएगा। एक से अधिक सामग्री या पदार्थ से युक्त वस्तुओं का वर्गीकरण नियम 3 के सिद्धांतों के अनुसार होगा।

3. जब नियम 2 (बी) को लागू करके या किसी अन्य कारण से, वस्तुओं को, प्रथम दृष्टया, दो या दो से अधिक शीर्षकों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, तो वर्गीकरण निम्नानुसार प्रभावी होगा:

(क) अधिक सामान्य विवरण प्रदान करने वाले शीर्षकों की तुलना में सबसे विशिष्ट सी विवरण प्रदान करने वाले शीर्षक को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि, जब दो या दो से अधिक शीर्षक मिश्रित या मिश्रित वस्तुओं में निहित सामग्री या पदार्थों के केवल एक हिस्से को संदर्भित करते हैं या खुदरा बिक्री के लिए रखे गए सेट में वस्तुओं के केवल एक हिस्से को संदर्भित करते हैं, तो उन

शीर्षकों को उन वस्तुओं के संबंध में समान रूप से विशिष्ट माना जाना चाहिए, भले ही उनमें से एक माल का अधिक पूर्ण या सटीक विवरण देता हो।

(ख) विभिन्न सामग्रियों या विभिन्न घटकों से बनी मिश्रित वस्तुओं और खुदरा बिक्री के लिए सेटों में रखी गई वस्तुओं, जिन्हें खंड (क) के संदर्भ में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, को इस तरह वर्गीकृत किया जाएगा जैसे कि उनमें ऐसी सामग्री या घटक शामिल हों जो उन्हें उनका आवश्यक चरित्र देता हो, जहां तक यह मानदंड लागू हो। (ग) जब खंड (क) या खंड (ख) के संदर्भ में वस्तुओं का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, तो उन्हें उस शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया जाएगा जो संख्यात्मक क्रम में उन लोगों के बीच अंतिम होता है जो समान रूप से विचार के योग्य हैं।”⁶⁴ विवादित उत्पाद और अंतिम उत्पाद के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले निवेश के बल पर जिसे इस प्रकार वर्गीकृत किया जाना चाहिए:

‘निर्धारिती द्वारा ‘चबाने वाला तंबाकू’ और ‘जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू’

राजस्व, विवादास्पद प्रश्न में परिणाम देता है, कि कौन सा परीक्षण अपनाया जाना है, अर्थात्, क्या एकमात्र या प्रमुख उपयोग परीक्षण लागू किया जाना है? वेस्टिंगहाउस सैक्सबी फार्मर लिमिटेड के मामले (उपरोक्त) में इस अदालत को इसी तरह के मुद्दों से निपटने का अवसर मिला और इस अदालत के पहले के आदेश पर ध्यान दिया गया।

ए. नागराजू ब्रदर्स में।^v ए. पी. राज्य, 1994 सप्लीमेंट (3) एस. सी. सी. 122 और आयोजित

इस मामले में कोई ‘एक’ एकल सार्वभौमिक परीक्षण नहीं है।⁶⁵ इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जब तथ्यों का अध्ययन किया जाता है तो यह निर्धारिती-प्रत्यर्थी द्वारा निर्मित उत्पाद का खुलासा करेगा

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

‘गोपाल जरदा’ के रूप में बेचा जाता है और न्यायाधिकरण के दोनों सदस्य अर्थात् तकनीकी सदस्य और न्यायिक सदस्य माल और विचाराधीन उत्पाद की निर्माण प्रक्रिया के मुद्दे पर सहमत होते हैं, वे सभी इस बात पर सहमत होते हैं कि तंबाकू के रस वाले पदार्थ को मिलाया जाता है और न्यायिक सदस्य ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उत्पाद का विपणन ‘फ्लेवर्ड च्यूइंग तंबाकू’ के रूप में किया जाता है। ‘चबाने वाले तंबाकू’ में सुगंध या फ्लेवर के इस जोड़ को राजस्व द्वारा ‘जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू’ होने का तर्क दिया गया था, जबकि निर्धारिती ने यह रुख अपनाया है कि सुगंध या फ्लेवर को जोड़ने से यह भाग नहीं लेगा।

‘जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू’ का चरित्र लेकिन ‘चबाना’ जारी है

तम्बाकू '।इस पृष्ठभूमि में, 'चबाने वाले तंबाकू' और 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के बीच के अंतर का पता लगाने का प्रयास भारतीय मानक ब्यूरो की शब्दावली में पाई गई परिभाषा से किया जाता है, विशेष रूप से परिभाषा और तैयारी के संदर्भ में, इसे निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

“ 2.27 ‘च्युइंग टोबैको-च्युइंग टोबैको, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, च्युइंग उद्देश्य के लिए एक तंबाकू तैयारी है, जिसे पान के साथ भी लिया जाता है।

(पान का पत्ता)।गुटका, सुरती, जरदा, किवम और डोकटा कुछ हैं।

विभिन्न प्रकार के चबाने वाले तंबाकू की तैयारी।

2.184 ‘जरदा’-एक चबाने वाला तंबाकू उत्पाद जो अत्यधिक सुगंधित और सुगंधित तंबाकू फ्लेक से बना होता है।सुपारी और पान (पान के पत्ते) के साथ चबाया जाता है।”

66. संबंधित उत्पादों, ‘च्युइंग टोबैको’ और ‘जरदा’ के लिए आवंटित अर्थ के सावधानीपूर्वक अवलोकन से विभिन्न मापदंडों के आधार पर निम्नलिखित अंतर का निर्माण होता है:

“तैयारी और फॉर्म

तंबाकू चबाना:चबाने वाला तंबाकू आमतौर पर ढीले पत्ते या मोड़ के रूप में आता है।इसमें ठीक किए गए और किण्वित तंबाकू के पत्ते होते हैं।चबाने वाला तंबाकू आमतौर पर इसके एक हिस्से को गाल और मसूड़ों के बीच रखकर लिया जाता है, जहां यह समय के साथ निकोटीन छोड़ता है क्योंकि इसे धीरे-धीरे चबाया जाता है।जरदा टोबैको:दूसरी ओर, जरदा एक विशिष्ट सी प्रकार का चबाने वाला तंबाकू है जिसे बारीक कटा या कटा जाता है और अत्यधिक सुगंधित और सुगंधित किया जाता है।यह अक्सर मीठा होता है और चमकीले रंग का हो सकता है।जरदा अपनी मजबूत और विशिष्ट सुगंध और स्वाद के लिए जाना जाता है।इसे अक्सर अन्य चबाने वाले तंबाकू उत्पादों के समान मुंह में रखकर खाया जाता है, और कभी-कभी सुपारी और पान के साथ चबाया जाता है।

कॉमर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यूआरएमआईएन प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड। और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 616

615

स्वाद और सुगंध

तंबाकू चबाना:चबाने वाला तंबाकू विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में आ सकता है, लेकिन यह हमेशा जरदा की तरह सुगंधित या सुगंधित नहीं हो सकता है।एफएल एवर्स प्राकृतिक तंबाकू एफएल एवर्स से लेकर मेन्थॉल, विंटरग्रीन या अन्य फलों और मसालों एफएल एवर्स तक हो सकते हैं।

जरदा टोबैको:जरदा विशेष रूप से अपनी अत्यधिक सुगंधित और सुगंधित प्रकृति के लिए जाना जाता है।यह अक्सर मजबूत मसालों और मिठास से भरा होता है, जो इसे एक अलग और शक्तिशाली सुगंध और स्वाद देता है।नियमित रूप से चबाने वाले तंबाकू की तुलना में जरदा में फ्लेवर अक्सर अधिक स्पष्ट और तीव्र होते हैं।

सुपारी और पान के साथ प्रयोग करें।

तंबाकू चबाना: जबकि चबाने वाले तंबाकू का उपयोग सुपारी और पान के साथ किया जा सकता है, यह इस संयोजन के लिए अनन्य नहीं है। चबाने वाले तंबाकू का उपयोग स्वतंत्र रूप से भी किया जा सकता है।

जरदा टोबैको: जरदा आमतौर पर सुपारी और पान के साथ संयोजन में उपयोग किए जाने से जुड़ा हुआ है। इस संयोजन को अक्सर कुछ दक्षिण एशियाई संस्कृतियों में एक पारंपरिक प्रथा माना जाता है।”

67. इस मोड़ पर तत्काल मामले के तथ्यों और ऊर्मिन सुप्रा के मामले में तथ्यों के बीच अंतर करना प्रासंगिक हो सकता है। वर्तमान तथ्यात्मक परिदृश्य में, निर्धारिती द्वारा एक सुसंगत और स्पष्ट वर्गीकरण प्रदान किया गया है, जिसे संबंधित मूल्यांकन अधिकारी द्वारा उठाई गई लेखा परीक्षा आपत्ति से उत्पन्न विवाद से पहले राजस्व द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। 68. समूह I, अर्थात् उरमिन में ऊपर वर्णित तथ्यों के विपरीत, जिसके तहत निर्धारिती ने अपने द्वारा निर्मित वस्तुओं के वर्गीकरण को बदलने की मांग की थी, विशेष रूप से जब शुल्क में अंतर था, और निर्धारिती द्वारा बहुत अधिक शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता थी। जबकि तत्काल मामले में, निर्धारिती द्वारा मांगे गए उत्पाद के वर्गीकरण में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह तय किया गया कानून है कि उत्पाद के वर्गीकरण में परिवर्तन के लिए प्रमाण का दायित्व/बोझ विभाग पर है, विशेष रूप से जब वह लंबे समय से स्वीकृत वर्गीकरण को चुनौती देना चाहता है। यह

एच. पी. एल. केमिकल्स लिमिटेड बनाम सी. सी. ई., चंडीगढ़ के मामले में न्यायालय: 2006 5

एस. सी. सी. 208 प्रभारिता के मामलों में सबूत की जिम्मेदारी/बोझ पर चर्चा करते हुए निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

“28. इसके अलावा, वस्तुओं का वर्गीकरण प्रभार्यता से संबंधित मामला है और प्रमाण का भार पूरी तरह से राजस्व पर है। यदि विभाग माल को किसी विशेष शीर्षक या उप-शीर्षक के तहत वर्गीकृत करने का इरादा रखता है जो निर्धारिती द्वारा दावा किए गए से अलग है, तो विभाग को उचित साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा और प्रमाण का भार वहन करना होगा। वर्तमान मामले में राजस्व द्वारा उक्त बोझ का निर्वहन बिल्कुल नहीं किया गया है। एक ओर, विभाग द्वारा की गई व्यापार और बाजार पूछताछ से, रासायनिक परीक्षक, सी. आर. सी. एल. की रिपोर्ट से और एच. एस. एन. से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि माल को अध्याय शीर्षक 25.01 के तहत आने वाले “विकृत नमक” के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। विभाग ने यह नहीं दिखाया है कि विषय उत्पाद खरीदा या बेचा नहीं जाता है या ज्ञात नहीं है या बाजार में विकृत नमक के रूप में व्यवहार किया जाता है। रासायनिक संरचना की जांच करने के बाद विभाग के अपने रासायनिक परीक्षक ने यह नहीं कहा है कि यह विकृत नमक नहीं है।

दूसरी ओर, रासायनिक संरचना की जांच करने के बाद राय दी गई है कि विषय-वस्तु को सोडियम क्लोराइड के रूप में माना जाना चाहिए।”

29. इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वर्गीकरण के मामले में सबूत का भार राजस्व पर है। भारत संघ बनाम गरवारे नायलन्स लिमिटेड [(1996) 10 एस. सी. सी. 413] में पैरा 15 में इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: (एस. सी. सी. पीपी. 419-20)

“15. हमारे विचार में, उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया निष्कर्ष पूरी तरह से इस न्यायालय के फैसलों के अनुरूप है और यह कानून में न्यायसंगत है। सबूत का भार कर अधिकारियों पर यह दिखाने के लिए है कि विचाराधीन विशेष मामला या वस्तु उनके द्वारा दावा किए गए तरीके से कर योग्य है। इस संबंध में केवल दावा करने से कोई लाभ नहीं है। इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उस संबंध में उचित निर्णय लेने के लिए सामग्री होनी चाहिए और सामग्री या तो मौखिक या दस्तावेजी हो सकती है। यह कराधान प्राधिकारी का दायित्व है कि वह प्रथम न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष भी उस ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करे। विशेष रूप से ऐसे मामले में, जहां निर्धारिती का दावा उनके द्वारा प्राप्त व्यापार पूछताछों और विषय-वस्तु से निपटने वाले व्यक्तियों के नेतृत्व में किए गए संबंध द्वारा भी किया जाता है, राजस्व पर उचित साक्ष्य प्रस्तुत करके उक्त सामग्री को गलत साबित करने का भारी बोझ पड़ता है। दुर्भाग्य से ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। जैसा कि कहा गया है, इस मामले में दिए गए साक्ष्य से निर्णायक रूप से पता चलता है कि निर्धारिती द्वारा निर्मित नायलॉन सुतली का इलाज किया गया है 617 कॉमर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यूआरएमआईएन प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड। और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 618

व्यापार से परिचित लोगों द्वारा एक प्रकार के नायलॉन धागे के रूप में। इसे आमतौर पर नायलॉन धागा माना जाता है। इसलिए, इसे अधिनियम की मद 18 के तहत वर्गीकृत किया जाना है। राजस्व इसके विपरीत स्थापित करने में विफल रहा है। हमें डनलप इंडिया लिमिटेड बनाम डनलप इंडिया लिमिटेड मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को याद रखना चाहिए। भारत संघ [(1976) 2 एस. सी. सी. 241: ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 597] ऐसी स्थिति में, जिसमें यह कहा गया था: (एस. सी. सी. पी. 254, ए. आई. आर. पी. 607, पैरा 35)

‘जब किसी वस्तु का, सभी मानकों के अनुसार, टैरिफ अनुसूची में किसी गणना की गई वस्तु के तहत वर्गीकृत होने का उचित दावा होता है, तो उसे माता-पिता से वंचित करना और अवशेष खंड के अनाथालय में भेजना वर्गीकरण के सिद्धांत के खिलाफ होगा।’ ”

69. वर्तमान मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, विभाग ने इस न्यायालय के समक्ष उत्पाद की प्रकृति, विशेषताओं, सामग्री और संरचना को निर्धारित करने के लिए कोई पर्याप्त साक्ष्य प्रदान नहीं किया है ताकि वर्तमान विवाद को विशुद्ध रूप से वर्गीकरण के मुद्दे पर निर्णय दिया जा सके और

इसलिए विवाद के प्रासंगिक समय पर निर्धारिती द्वारा निर्मित उत्पाद के लिए वर्गीकरण की उचित प्रविष्टि निर्धारित करने का कोई प्रयास नहीं किया जा सकता है। राजस्व ने निर्धारिती की ओर से शुल्क से बचने के इरादे से किसी भी जानबूझकर गलत कथन के संबंध में कोई विशिष्ट आधार नहीं उठाया है, जैसा कि उरमिन के मामले के विपरीत है, जिसमें मुख्य आधारों में से एक शुल्क के भुगतान से बचने का इरादा था। यह उल्लेख करना उचित है कि आयुक्त द्वारा अपने ओ. आई. ओ. दिनांक 30.03.2007 में एक विशिष्ट अवलोकन किया गया है कि कोई भी जानबूझकर दमन निर्धारिती के लिए जिम्मेदार नहीं है, और इसी अवलोकन पर भरोसा करते हुए, न्यायाधिकरण ने निर्धारिती पर लगाए गए दंड को भी निर्धारित किया था। यह उल्लेखनीय है कि

इस न्यायालय ने सी. सी. ई. बनाम डैमनेट केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (2007) के मामले में
7

एस. सी. सी. 490 ने कहा था: “26. इन परिस्थितियों में, हम यह मानना मुश्किल मानते हैं कि निर्धारिती द्वारा जानकारी को जानबूझकर या जानबूझकर रोका गया है। जानबूझकर और जानबूझकर तथ्यों को दबाने से कम कोई जानबूझकर गलत कथन नहीं किया गया है। यह तय कानून है कि धारा 11-ए (1) के प्रावधान को लागू करने के लिए केवल एक गलत कथन पर्याप्त नहीं हो सकता है। कानून में आवश्यकता यह है कि इस तरह का गलत कथन या तथ्यों का दमन जानबूझकर किया जाना चाहिए। हम इस निर्णय को विभिन्न आधिकारिक घोषणाओं के साथ बोझ डालने का प्रस्ताव नहीं करते हैं सिवाय इसके कि

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

इस न्यायालय ने आनंद निशिकावा कंपनी लिमिटेड बनाम सीसीई [(2005) 7 एससीसी 749: (2005) 188 ई. एल. टी. 149] जिसमें इस न्यायालय ने निर्णय दिया: (एस. सी. सी पी. 759, पैरा 27) “27. हम मानते हैं कि 'तथ्यों को दबाने' का केवल एक ही अर्थ हो सकता है कि शुल्क के भुगतान से बचने के लिए जानबूझकर सही जानकारी का खुलासा नहीं किया गया था। जब दोनों पक्षों को तथ्यों के बारे में पता चल जाता, तो एक व्यक्ति द्वारा वह करने में चूक करना जो उसने किया होगा और यह नहीं कि उसने किया होगा, इसे दमन नहीं बनाता। यह एक स्थापित कानून है कि केवल घोषणा करने में विफलता जानबूझकर दमन के बराबर नहीं है। निर्धारिती की ओर से जानबूझकर दमन करने के लिए कुछ सकारात्मक कार्य होना चाहिए।”

(जोर दिया गया)

27. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह स्पष्ट है कि आबकारी अधिकारियों ने निर्माण प्रक्रिया का निरीक्षण किया था, प्रतिवादी निर्धारिती से आवश्यक जानकारी और विवरण एकत्र किए थे और यहां तक कि नमूने भी एकत्र किए थे और रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजे थे। अधिकारी प्रत्यर्थी द्वारा निर्मित उत्पादों के परीक्षण और विश्लेषण रिपोर्ट से अवगत थे। प्रासंगिक तथ्य विभाग के अधिकारियों की जानकारी में थे। विभाग ने इस बात का कोई सबूत देने का प्रयास नहीं किया कि

शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से कोई जानबूझकर गलत कथन या तथ्यों का दमन किया गया था।”

70. वर्गीकरण "प्रभार्यता" से संबंधित एक प्रश्न है। यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि जहां तक प्रभारिता का संबंध है, सबूत का भार राजस्व पर है न कि निर्धारिती पर। वर्तमान मामले में प्राप्त तथ्यों में, राजस्व द्वारा कोई भी अनुमान लगाने के लिए किसी भी प्रकृति का कोई सबूत नहीं दिया गया है। वास्तव में, पूरी कार्यवाही "लेखापरीक्षा आपत्ति" पर आधारित होती है और राजस्व एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आधार के रूप में 'चबाने वाले तंबाकू' के योजकों पर भरोसा करने का प्रयास करता है, कि निर्धारिती ने 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' को मंजूरी दे दी थी, जो व्यापारियों या उपभोक्ताओं या स्टॉकिस्ट, आपूर्तिकर्ताओं और खरीदारों से लिए गए नमूनों या पूछताछ द्वारा भी समर्थित नहीं है। सामग्री के अल्पांश के अभाव में, न्यायाधिकरण के कार्य को विस्थापित नहीं किया जा सकता है। न्यायाधिकरण के तीसरे सदस्य द्वारा दर्ज किए गए निर्णय को निकालना फायदेमंद होगा, जिसने न्यायिक सदस्य के निर्णय को बरकरार रखा और इसमें लिखा है:

कॉमर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यूआरएमआईएन प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड। और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 620

619

“9 टैरिफ में अभिव्यक्ति XXXXX अभ्यास है। वर्तमान मामले में, चूंकि उत्पाद च्युइंग तंबाकू है और इसे च्युइंग तंबाकू के रूप में बाजार में खरीदा और बेचा जाता है। इसके अलावा अपीलार्थी ने शुरू से ही इसे चबाने वाले तंबाकू के रूप में वर्गीकृत किया और विवाद की अवधि के बाद भी इसे चबाने वाले तंबाकू के रूप में वर्गीकृत किया। इसलिए मैं अपीलार्थी के इस तर्क को स्वीकार करता हूं कि विचाराधीन उत्पाद तंबाकू चबाने वाला है और टैरिफ के शीर्ष 24039910 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।” 71. वनाच्छादित तथ्यों पर चिंतित विचार करने के साथ-साथ निर्धारिती द्वारा निर्मित उत्पाद के संबंध में वर्गीकरण केशन प्रविष्टि के निर्धारण के उद्देश्य से ठोस साक्ष्य की कमी पर, हम मानते हैं कि

इस न्यायालय के तय किए गए न्यायिक फैसलों के आलोक में न्यायाधिकरण के फैसलों में हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं है, जिनका वर्तमान मामले के तथ्यों पर सीधा असर पड़ता है।

72. पुनरावृत्ति की कीमत पर, हम आगे दोहराना चाहेंगे कि इस समूह में दर्ज किए गए अवलोकन और तथ्य केवल इस मामले के विशिष्ट तथ्यों के लिए हैं।

III. केंद्रीय वस्तुओं और सेवाओं के कर आयुक्त, विशेष और ग्राहक, भोपाल वी. कैपन मसाला पी. वी. टी. लिमिटेड. डायरी नं. 44912/2019 और 6888/2020

73. 2019 की डायरी संख्या 44912 और 2020 की डायरी संख्या 6888 इस समूह की विषय वस्तु हैं, जिसके तहत राजस्व 2018 की आबकारी अपील संख्या 50468, 50469, 50470, 50471, 57472, 51319 और 51978 में पारित अधिकार क्षेत्र वाले सी. ई. एस. टी. ए. टी. के आदेश को चुनौती देते हुए अपील कर रहा है।

74. वर्तमान समूह के तथ्यों पर ध्यान देने से पहले यह देखा जा सकता है कि प्रति माह प्रति पैकिंग मशीन उत्पादन की क्षमता और 'चबाने वाले तंबाकू' और 'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू' के लिए शुल्क की दर को अधिसूचना सं. 4/2015 और अधिसूचना सं. 5/2015-CE के माध्यम से संशोधित किया गया था। (एन. टी.), क्रमशः और 'चबाने वाले तंबाकू' के लिए शुल्क 'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू' की तुलना में अलग-अलग निर्धारित किया गया था जैसा कि पहले ही ऊपर देखा गया है। प्रत्यर्थी-निर्धारिती ने अपने दिनांकित संचार पत्र 18.03.2015 के माध्यम से अधिकार क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी को सूचित किया कि उनके द्वारा निर्मित उत्पाद केवल 'सुगंधित' है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

जरदा/जरदा तंबाकू 'जो' चबाने वाले तंबाकू 'से अलग है।' उन्होंने यह भी बताया कि 'चबाने वाले तंबाकू' के नामकरण का उपयोग किया जा रहा है क्योंकि 2015-16 के बजट से पहले उत्पादन की क्षमता के साथ-साथ शुल्क की दर में कोई अंतर नहीं था। निर्धारिती के उक्त पत्र के जवाब में, रेंज अधीक्षक ने अपने दिनांकित 19.03.2015 पत्र के माध्यम से निर्धारिती से अपने उत्पाद की निर्माण प्रक्रिया प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। इसलिए, निर्धारिती ने अपने दिनांक 24.03.2015 के संचार के माध्यम से सूचित किया कि 'चबाने वाला तंबाकू' और 'सुगंधित जरदा/जरदा तंबाकू', दोनों में समान तत्व होते हैं। 75. एक अधिसूचना सं. 25/2015-CE दिनांकित 30.04.2015 को 01.05.2015 से प्रभावी प्रभाव के साथ लाया गया था, जिसके तहत 'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू' के केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दर में फिर से संशोधन किया गया था, लेकिन 'जरदा/' की तुलना में 'चबाने वाले तंबाकू' पर शुल्क की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया था।

जरदा सुगंधित तंबाकू '।

76. निर्धारिती ने 28.05.2015 दिनांकित संचार के माध्यम से विभाग को सूचित किया कि 01.06.2015 से निकलने वाले प्रभाव के साथ, वे CET SH 2403 9930 के तहत आने वाले 'सुगंधित जरदा/जरदा तंबाकू' के बजाय CET SH 2403 9910 के तहत आने वाले 'चबाने वाले तंबाकू' का निर्माण करेंगे और तदनुसार सक्षम अधिकारियों को एक संशोधित प्रपत्र प्रस्तुत करेंगे। निर्धारिती द्वारा वर्गीकरण में बार-बार किए गए परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में और माल के उचित वर्गीकरण का पता लगाने के लिए, विभाग के अधिकारियों ने दिनांक 01.06.2015 के पंचनामे के तहत उत्पादों के नमूने लिए और उन्हें रासायनिक परीक्षक, CRCL, नई दिल्ली को भेज दिया और 03.06.2015 पर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की। यह पाया गया कि 'चबाने वाले तंबाकू' में समान तत्व होते हैं जो 'सुगंधित जरदा/जरदा तंबाकू' में निहित होते हैं।' विभाग द्वारा यह भी देखा गया कि निर्धारिती ने 28.05.2015 से पहले संचार और घोषणा पत्र के माध्यम से अपने उत्पाद का उल्लेख पान मसाला और "सुगंधित जरदा/जरदा तंबाकू" के रूप में किया था। इस प्रकार, यह पाए जाने पर कि निर्धारिती द्वारा निर्मित उत्पाद में 'चबाने वाले तंबाकू' और 'सुगंधित जरदा/जरदा तंबाकू' के समान तत्व होते हैं

और इसमें वही निर्माण प्रक्रिया शामिल होती है जो सी. आर. सी. एल. की रिपोर्ट द्वारा दिनांकित 03.06.2015 द्वारा व्यक्त की गई थी और निर्धारिती ने सुविधाजनक भाषा घोषणाओं द्वारा अपने रुख को बदलने का प्रयास किया था, निर्धारिती के दावे को स्वीकार नहीं किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारिती ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क से बचने के इरादे से जानबूझकर और जानबूझकर गलत घोषणा की और अपने उत्पादों का गलत वर्गीकरण किया। इसलिए एक आदेश दिनांकित 28.08.2015 621

कॉमर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यूआरएमआईएन प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड। और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 622

यह पारित किया गया जिसमें जून 2015 से अगस्त 2015 की अवधि शामिल थी। उसी की निरंतरता में, नवंबर 2015; दिसंबर 2015; जनवरी 2016 और फरवरी 2016 की अवधि के लिए चार और आदेश क्रमशः 30.10.2015; 27.11.2015; 31.12.2015, और 29.01.2016 दिनांकित आदेश के माध्यम से पारित किए गए, जिसमें उसमें इंगित राशि की मांग की गई थी। उक्त आदेशों से व्यथित होकर, निर्धारिती ने आयुक्त (अपील) के समक्ष 2015 की संख्या 338, 2016 की संख्या 53, 2016 की संख्या 52, 2016 की संख्या 209 और 2016 की संख्या 210 को प्राथमिकता दी, जिसका निपटान दिनांक (आई. डी. 2) के आदेश द्वारा इस आधार पर किया गया कि सी. ई. अधिनियम की धारा 11 ए के तहत एक नोटिस पहले ही देय शुल्क के निर्धारण और स्वीकार करने के लिए जारी किया जा चुका है, निर्धारिती को आई. डी. 1 पर जारी कारण दर्शाएँ नोटिस के माध्यम से शुरू की गई कार्यवाही में निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के समक्ष सभी आधार उठाने की स्वतंत्रता है और तदनुसार, अपीलों का निपटान दिनांक (आई. डी. 2) के आदेश के माध्यम से किया गया। 77. आई. डी. 1..... उक्त आदेश से व्यथित होने के कारण, निर्धारिती ने अपील सं. सी. ई. एस. टी. ए. टी., नई दिल्ली के समक्ष ई/53421/2018-ई. एक्स. (डी. बी.) जो कि लंबित है; हालाँकि, निर्धारिती ने साथ ही अपील सं. 2018 का ई/50468, 50469, 50470, 50471 और 50472 जिसे आदेश 14.11.2018 के माध्यम से अनुमति दी गई। इसलिए, राजस्व सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा पारित उक्त आदेश 14.11.2018 के खिलाफ 2020 की सिविल अपील डायरी संख्या 6888 में अपील में है।

78. इसी तरह, राजस्व ने 2019 की सिविल अपील डायरी संख्या 44912 में भी प्रतिवादी-निर्धारिती के खिलाफ 2018 की उत्पाद शुल्क अपील 51978 और 2018 की उत्पाद शुल्क अपील संख्या 51319 में पारित आदेश के खिलाफ अपील की है, जिसमें 2 करोड़ रुपये के अलग-अलग शुल्क के भुगतान के लिए दिनांकित कारण दिखाएँ नोटिस जारी किया गया था। जून 2015 से फरवरी 2016 की अवधि के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क खुफिया महानिदेशालय भोपाल द्वारा 16,95,33,000, जो मूल दिनांक 20.12.2017 में समाप्त हुआ। उक्त आदेश में कहा गया है कि निर्धारिती ने गलत वर्गीकरण किया है

'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू' के बजाय 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में उत्पाद और

कारण दर्शाओ नोटिस में दावा किया गया अलग-अलग कर्तव्य लागू किया गया था। उक्त आदेश 2018 की अपील No.51978 और No.51319 का विषय बन गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

2018 सी. ई. एस. टी. ए. टी. के समक्ष, जिसने 14.11.2018 दिनांकित सामान्य आदेश के माध्यम से ओ. आई. ओ. को अलग कर दिया।

दलों की प्रस्तुतियाँ

79. राजस्व की ओर से पेश वकील सुश्री निशा बागची ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने उत्पाद को 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में रखने में गंभीर त्रुटि की, हालांकि इसे 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत किया जाना था। वह तर्क देगी कि न्यायाधिकरण दिनांकित आई. डी. 1 की परीक्षण रिपोर्ट की सराहना करने में विफल रहा, सुझाव दिया कि उत्पाद में अतिरिक्त चूने नहीं थे और फिर भी जमीनी परीक्षण रिपोर्टों को न्यायाधिकरण द्वारा इस आशय से दर्ज किया गया है कि परीक्षण ज्ञापन के अभाव में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण परीक्षण रिपोर्ट को सहसंबंधित करने की स्थिति में नहीं था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि न्यायाधिकरण इस बात पर ध्यान देने में विफल रहा कि निर्धारिती ने स्वयं इस आधार पर नमूने के पुनः परीक्षण के लिए अनुरोध किया था कि परीक्षण रिपोर्ट बहुत विशिष्ट नहीं है और जिन विभिन्न मापदंडों पर यह राय दी गई थी कि नमूने में जेडएसटी की विशेषताएँ हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से लिखा गया है और यह कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पुनः परीक्षण की अनुमति दी गई है, वह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। पुनः परीक्षण के लिए प्रार्थना सी. बी. ई. सी. के मैनुअल के अनुरूप नहीं है। इसलिए, वह तर्क देगी कि न्यायाधिकरण को मामले को रिमांड पर लेना चाहिए था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने निर्धारिती कंपनी के निदेशक श्री राम गोपाल अग्रिहोत्री के दिनांकित 27.10.2015 के बयान को नजरअंदाज कर दिया, जिसके तहत सीटी और जेडएसटी के बीच अंतर को स्वीकार किया गया है और निर्धारिती द्वारा निर्मित उत्पाद की सामग्री भी निर्धारित की गई है। वह प्रस्तुत करेंगी कि परीक्षण रिपोर्टों पर सी. आर. सी. एल. के निर्णय को न्यायाधिकरण द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से खुलासा किया गया है कि निर्धारिती द्वारा निर्मित वित्तीय उत्पाद जेड. एस. टी. था। इसलिए, वह अपील की अनुमति के लिए प्रार्थना करती है। 80. जबकि प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील यह तर्क देंगे कि न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश किसी भी असंवेदनशीलता के लिए पर्याप्त नहीं है और यह तर्क दिया जाता है कि निर्धारिती ने सी. टी. पी. एम. नियमों के तहत वैधानिक घोषणाओं का पालन करते हुए कानून में उचित प्रक्रिया का पालन किया था, यह घोषणा करते हुए कि वे विवाद के तहत प्रत्येक महीने में अलग-अलग संख्या में मशीनों को संचालित करने का इरादा रखते हैं। यह तर्क दिया जाता है कि यदि सी. टी. पर शुल्क की कम दर के लाभ का गलत दावा करने का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा होता, तो मूल्यांकनकर्ता या तो संचालन मशीनों की संख्या बढ़ाकर अपना उत्पादन बढ़ाता या कम से कम समान संख्या में संचालन मशीनों को बनाए रखता। हालांकि, हर महीने निर्धारिती 623

बाजार में अपने उत्पाद की मांग के अनुसार संचालन मशीनों को लगातार कम कर रहा था। विवाद की अवधि से पहले जेडएसटी का निर्माण करने और विवाद की अवधि के दौरान सीटी का निर्माण करने के साथ-साथ हर महीने अलग-अलग संख्या में पैकिंग मशीनों का उपयोग करने का निर्णय विशुद्ध रूप से निर्धारिती द्वारा कई कारकों के आधार पर लिया गया एक व्यावसायिक निर्णय था। न्यायाधिकरण के आदेश का समर्थन करते हुए, यह तर्क दिया जाता है कि सी. टी. और जेड. एस. टी. अलग-अलग उत्पाद हैं और बाजार में इसके रूप में जाने जाते हैं और इस तरह एक ही उत्पाद को दो अलग-अलग नामों में बेचने से कोई नुकसान नहीं हो सकता है। यह भी बताया गया है कि उत्पाद के वर्गीकरण का पता लगाने के लिए विभाग द्वारा कोई जांच नहीं की गई थी, अर्थात् उत्पाद की सामान्य बोलचाल की समझ का पता लगाने के लिए कोई बाजार जांच नहीं की गई थी। निर्धारिती द्वारा बेचे गए उत्पाद को पैकेज पर 'च्यूइंग टोबैको प्रीमियम' के रूप में वर्णित किया गया था और कानूनी माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम 2011 के अनुसार, पैकेजिंग पर निहित लेबलिंग/विवरण पैकेज में निहित माल का निर्धारण करता है, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए। इसलिए, निर्धारिती ने अपील को खारिज करने का अनुरोध किया है।

चर्चा और निष्कर्ष

81. शुरुआत में यह ध्यान रखना उचित है कि उत्पाद के वर्गीकरण के लिए दिनांकित 02.02.2016 का कारण बताएँ नोटिस अपील संख्या में CESTAT के समक्ष अपील का विषय है। 2018 का ई/53421 जहां दिनांकित 16.07.2018 आदेश के तहत इसके समक्ष आक्षेपित है। उक्त आदेश दिनांक 16.07.2018 आयुक्त द्वारा जून 2015 से अगस्त 2015 की अवधि से संबंधित पारित किया गया है, जिसमें आयुक्त ने गलत वर्गीकरण के संबंध में निर्णय लिया है और एक आदेश पारित किया है।

82. दिनांकित 30.10.2015, 27.11.2015, 31.12.2015 और 29.01.2016 के आदेश, जिन्हें आयुक्त (अपील) के समक्ष आक्षेपित किया गया था, उन्हें दिनांकित 02.02.2016 के कारण बताएँ जाने के नोटिस की पृष्ठभूमि में 23.10.2017 पर निपटाया गया था।

83. निर्धारिती, जिसकी भोपाल और बिलासपुर में दो इकाइयाँ हैं, ने दिनांक 18.03.2015 के संचार द्वारा न्यायिक प्रभागीय कार्यालय को सूचित किया कि उनके द्वारा निर्मित उत्पाद 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' है जो 'चबाने वाले तंबाकू' से पूरी तरह से अलग है। यह भी सूचित किया गया कि 'चबाने वाले तंबाकू' नाम का उपयोग किया जा रहा है क्योंकि बजट से पहले उत्पादन की क्षमता के साथ-साथ शुल्क की दर में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि सरकार ने इनके लिए शुल्क की अलग-अलग दरों को निर्धारित किया था।

उत्पाद, वे अधिसूचना सं. 05/2015 दिनांक 01.03.2015 के अनुसार केंद्रीय उत्पाद शुल्क का निर्वहन करेंगे। हालाँकि, निर्धारिती ने अपने दिनांकित 08.06.2015 के पत्र के माध्यम से क्षेत्राधिकार रेंज ऑफिसर को संबोधित करते हुए सूचित किया कि 'चबाने वाले तंबाकू' की निर्माण प्रक्रिया और निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री दोनों उत्पादों के लिए समान हैं। यह भी स्वीकार किया जाता है

निर्धारिती कि 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' में अतिरिक्त होगा

गुलाब जल, ग्लिसरीन और इत्र की सामग्री और इस तरह से 01.06.2015 दिनांकित पंचनामा तैयार किया गया था। रिपोर्ट रासायनिक परीक्षक ने खुलासा किया कि निर्धारिती के कारखाने से प्राप्त नमूनों में, जहां निर्धारिती ने केवल 'चबाने वाले तंबाकू' का निर्माण करने का दावा किया था, वही सामग्री थी जो 'सुगंधित जर्दा/जर्दा तंबाकू' के निर्माण में उपयोग की जाती है। यही सटीक कारण है कि गलत घोषणा और गलत वर्गीकरण के लिए कार्यवाही शुरू की गई और ओ. आई. ओ. दिनांकित 28.08.2015 पारित किया गया जिसे 23.10.2017 पर अपील में जोड़ा गया था। न्यायिक अधिकारी ने रासायनिक परीक्षक की दिनांक 1 की रिपोर्ट पर ध्यान देने के बाद, जिसके तहत यह पाया गया कि निर्धारिती द्वारा निर्मित 'चबाने वाले तंबाकू' में 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' में निहित समान तत्व होते हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि निर्धारिती ने गलत घोषणा की है और गलत वर्गीकरण किया है।

इसका सामान 'सुगंधित जर्दा/जर्दा तंबाकू' के बजाय 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में होता है।

84. जब निर्धारिती ने स्वयं 18.03.2015 दिनांकित एक पत्र के माध्यम से (मूल दिनांक 16.07.2018 में आदेश के पृष्ठ 95 पर पैरा 6,4 में संदर्भित) सूचित किया है कि उसके द्वारा निर्मित उत्पाद 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' था। निर्धारिती द्वारा नामकरण का रुख या परिवर्तन यह तर्क देते हुए कि यह केवल 'चबाने वाला तंबाकू' है, तीन कारणों से पूरी तरह से गलत है: (1) दोनों वस्तुओं की निर्माण प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ था और उत्पाद में 'चबाने वाला तंबाकू' होने का दावा किया गया था।

'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के रूप में सामग्री; (2) घोषणा को निर्धारिती द्वारा 'सुगंधित जर्दा/जर्दा तंबाकू' के रूप में 27.04.2015 तक घोषित किया गया था; (3)

देय शुल्क का निर्धारण सी. टी. पी. एम. नियमों के नियम 6 (2) के तहत उत्पादन की मानित क्षमता के आधार पर किया गया था।

85. 2001 के अधिनियम संख्या 14 के माध्यम से चक्रवृद्धि शुल्क योजना को हटाने पर, सी. ई. अधिनियम की धारा 3 ए को 2008 के अधिनियम संख्या 18 द्वारा फिर से जोड़ा गया था, इसलिए 2010 की अधिसूचना संख्या 10 द्वारा धारा 3 ए के तहत 'चबाने वाले तंबाकू' को अधिसूचित किया गया था। समय-समय पर, कई अधिसूचनाएं जारी की गईं, जिनमें 'चबाने वाले तंबाकू' के लिए शुल्क की दर में वृद्धि की गई, जो 625 अप्रस्तुत थे।

कॉमर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यूआरएमआईएन प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड।
और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 626

तम्बाकू। 2015 की अधिसूचना सं. 4 दिनांक 01.03.2015 प्रति माह प्रति पैकिंग मशीन उत्पादन की मानित क्षमता को अधिसूचित करते हुए उसी दिन जारी की गई थी जिस दिन अधिसूचना सं. 5/2015 जारी की गई थी। इसके बाद, अधिसूचना संख्या 25/2015 दिनांक 30.04.2015 द्वारा जारी किया गया जिसके तहत प्रति माह प्रति पैकिंग मशीन शुल्क की दर को अधिसूचित किया गया था जो पैकिंग की गति पर आधारित था। 'चबाने वाले तंबाकू' और 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के बीच का अंतर न केवल विशाल था, बल्कि बहुत बड़ा भी था। निम्नलिखित तालिका इस तथ्य का दर्पण है:

अवधि	'तंबाकू चबाना'	'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू'	प्रासंगिक अधिसूचना कैशन
पी आर आई ओ आर टी ओ 01.03.2015	वैसा ही	वैसा ही	
	डब्ल्यू. ई. एफ. 01.03.2015 38.64 लाख प्रति पैकिंग मशीन प्रति माह	27.05 प्रति पैकिंग मशीन प्रति माह लाखों	नो टी आई एफ आई सी ए टी आई एन एन ओ। 0 4 / 2 0 1 5 - सी ई (एन. टी.) डी टी। 01.03.2015
	डब्ल्यू. ई. एफ. 30.04.2015 38.64 लाख प्रति पैकिंग मशीन प्रति माह	82.11 प्रति पैकिंग मशीन प्रति माह लाखों	अधिसूचना संख्या 25/2015 CE दिनांक 30.04.2015

86. इसलिए, निर्धारिती जिसने अपने दिनांक 'आईडी1' के संचार पर एक रुख अपनाया था, 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' का निर्माण कर रहा था, उसने इसके संस्करण को बदल दिया और तर्क देना शुरू कर दिया कि इसके द्वारा निर्मित उत्पाद 'चबाने वाला तंबाकू' है। निर्धारिती अपने उत्पाद के वर्गीकरण को बदल रहा था, क्योंकि 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' और 'चबाने वाले तंबाकू' पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क बदल रहा था। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा लिया गया दृष्टिकोण तथ्यात्मक मूल्यांकन पर आधारित है जो सी. आर. सी. एल. रिपोर्ट से अपना समर्थन प्राप्त करता है जिसमें कहा गया है कि तैयार किए गए नमूनों में समान हैं।

'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के रूप में सामग्री और इस तरह सही

कारण दर्शाओ नोटिस के तहत मांगे गए कर्तव्य को स्वीकार किया।वर्गीकरण के संबंध में मैसर्स उरमिन प्रोडक्ट्स के मामले में समूह संख्या 1 में हमारे द्वारा दर्ज किए गए तथ्य पूरी तरह से उपलब्ध तथ्यों पर लागू होंगे।

और इस प्रकार ये दोनों अपीलें न्यायाधिकरण के विवादित आदेश को दरकिनार करके अनुमति देने के योग्य हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

IV. मैसर्स धर्मपाल प्रेमचंद लिमिटेड. वी. 2020 के केंद्रीय एक्साइज-सी. ए. के आयुक्त, डी. आई. ए. आर. आई. डी.

1,3487,2810,3484,3513,3536,3544,3545 और 2020 के 3547 संक्षिप्त तथ्य

87. निर्धारिती इस न्यायालय के समक्ष सी. ई. एस. टी. ए. टी., इलाहाबाद द्वारा पारित सामान्य विवादित अंतिम आदेश दिनांक 06.01.2019 को चुनौती देते हुए अपील कर रहा है।शुरुआत में, हम यह बताना चाहेंगे कि अपीलों के वर्तमान समूह के तहत दर्ज किए गए निर्णय और किए गए अवलोकन केवल इस समूह के लिए हैं।इन अपीलों में शामिल विवाद की अवधि मई 2015 से जनवरी 2016 तक है।

88. अपने उत्पाद को 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत करने वाले निर्धारिती के नेतृत्व में घोषणाओं को उपायुक्त द्वारा 23.09.2015 तक पारित आदेशों द्वारा अनुमोदित किया गया था, हालांकि अधिसूचना कैशन No.25/2015 दिनांक 30.04.2015 के माध्यम से 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के लिए उच्च दर निर्धारित की गई थी।इसके बाद उपायुक्त ने दिनांक 13.01.2016 के संशोधित निर्धारिती की घोषणा दिनांक 08.01.2016 के आदेश के माध्यम से, जिसमें निर्धारिती ने उत्पाद को CET SH 24039910 यानी 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत किया, और उपायुक्त ने इसे CET SH 2403 9930 यानी 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू', W. E. F. 16.01.2016 में पुनः वर्गीकृत किया।उपायुक्त ने अपने दिनांक आई. डी. 1 के आदेश में इस तथ्य की खोज के कारण पुनर्वर्गीकरण को उचित ठहराया कि इसी तरह के निर्माता यानी मैसर्स धर्मपाल सत्यपाल समान विनिर्माण प्रक्रिया के साथ उसी उत्पाद का निर्माण कर रहे थे और उत्पाद को 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत कर रहे थे।बाद का आदेश 17.02.2016 पर पारित किया गया, जिसमें एक व्यक्तिगत सुनवाई का आदेश देने के बाद 11.02.2016 W. E. F. 18.02.2016 की अगली घोषणा को सही किया गया।

89. राजस्व ने निर्धारिती के दो अलग-अलग कारखानों में निर्मित सामानों से संबंधित दो कारणदर्शक नोटिस भी जारी किए थे।1 डी, ए-34/35, सेक्टर 60, नोएडा (इसके बाद "1 डी फैक्ट्री" के रूप में संदर्भित) में स्थित कारखाने के लिए कारण दिखाएँ दिनांक 04.05.2016 जारी किया गया था और 6 ए, ए-34/35, सेक्टर 60, नोएडा (इसके बाद "6 ए फैक्ट्री" के रूप में संदर्भित)

में स्थित कारखाने के लिए उसी तारीख का कारण दिखाएँ नोटिस भी जारी किया गया था। कारण दर्शाओ नोटिस में 09.02.2016 दिनांकित एक परिशिष्ट बनाया गया था जिसमें उत्पाद की विशेषताओं के बारे में CRCL रिपोर्टों पर भरोसा किया गया था। दोनों कारण दर्शाओ नोटिसों के तहत, मई 2015 से जनवरी 2016 की अवधि के लिए अलग-अलग शुल्क, जिसका गलत घोषणा 627 के आधार पर कम भुगतान किया गया था

सीएमआर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यूआरएमआईएन प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड। और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 628

ब्याज और जुर्माने के साथ मांग की गई थी। अधिसूचनाओं में प्रस्तावित पुनर्वर्गीकरण और मांग को ओ. आई. ओ. द्वारा क्रमशः 28.11.2017 और 29.11.2017 पर सूचित किया गया था। इन आदेशों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रिट टैक्स नंबर 232/2018 और रिट टैक्स नंबर 234/2018 में चुनौती दी गई थी, जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ता के पास वैकल्पिक उपाय है। रिट टैक्स नंबर 232/2018 में पारित दिनांकित 26.02.2018 आदेश को चुनौती देने वाला SLP नंबर 7369/2018 भी खारिज कर दिया गया। इसलिए निर्धारिती ने सी. ई. एस. टी. ए. टी. से पहले अपील सं. 70437/2018 और 70438/2018 को प्राथमिकता दी, जिसे अंतिम आदेश सं. ए/71893-94/2019-ईएक्स (डीबी) दिनांकित 06.11.2019।

90. अतः, वर्तमान अपील न्यायाधिकरण के समक्ष निर्धारिती के नेतृत्व में निम्नलिखित के संबंध में की गई:

ए। 04.05.2016 दिनांकित कारण दर्शाओ नोटिस में निर्णय आदेश।बी। अपीलीय आदेश 'चबाने वाले तंबाकू' से 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' तक 08.01.2016 पर और उसके बाद की घोषणाओं में किए गए संशोधनों को स्वीकार करते हैं।

ग. घोषणा में संशोधन के बाद विरोध में फरवरी 2016 में भुगतान किए गए शुल्क के संबंध में किया गया धनवापसी का दावा।

घ. छूट/धनवापसी दी गई लेकिन शुल्क के भुगतान के लिए विनियोजित।

91. इन सभी अपीलों में विवाद विवादित उत्पाद के वर्गीकरण के इर्द-गिर्द घूमता था। न्यायाधिकरण ने दिनांक 06.11.2019 के सामान्य आदेश द्वारा अपीलों को खारिज कर दिया और अपने समक्ष आक्षेपित आदेशों को बरकरार रखा।

92. न्यायाधिकरण के दिनांक 06.11.2019 के आदेश से व्यथित होने के कारण इन अपीलों का नेतृत्व किया गया है।

दलों की प्रस्तुतियाँ

93. अपीलार्थी/निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. के. बागरिया द्वारा प्रचार किए गए तर्कों का बल है: मूल प्राधिकरण ने अधिकार क्षेत्र से परे काम किया था और सी. टी.

पी. एम. नियम, 2010 के नियम 6 के तहत निहित शक्तियों से परे चला गया था। वह यह भी तर्क देंगे कि सी. टी. पी. एम. नियमों के नियम 6 (2) के तहत पारित आदेश में किसी उत्पाद के वर्गीकरण का मुद्दा निर्णय का विषय नहीं हो सकता है। वह तर्क देगा कि

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

जब किसी उत्पाद के वर्गीकरण का मुद्दा उत्पन्न होता है, तो प्रारंभिक बोझ विभाग/राजस्व पर होता है, और इसे निर्धारिती द्वारा चुनौती दी जा सकती है और उसके बाद विवाद का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करके किया जाता है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि इन पहलुओं को हालांकि न्यायाधिकरण के समक्ष आग्रह किया गया था, लेकिन पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था और इस तरह के विवादित आदेशों को इस न्यायालय द्वारा दरकिनार किए जाने की आवश्यकता है।

94. वह यह तर्क देते हुए अपनी दलीलों को विस्तृत करेंगे कि वर्गीकरण का मुद्दा अपने आप में एक स्वतंत्र मुद्दा है और सी. टी. पी. एम. नियमों के नियम 6 के तहत घोषणा के अनुमोदन से संबंधित मामले में वर्गीकरण पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। वह यह भी तर्क देंगे कि नियम 6 के तहत घोषित घोषणा के तहत घोषित उत्पाद के विवरण को राजस्व द्वारा तब नहीं बदला जा सकता जब उत्पाद को किसी विशेष शीर्षक के तहत बेचा और विपणन किया गया हो। वह तर्क देंगे कि सी. ई. टी. ए. के तहत, वहाँ है

'चबाने वाले तंबाकू' और 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' की कोई अवज्ञा नहीं और

इसलिए परीक्षण उत्पाद की बाजार समझ में निहित है और वही प्रबल होगा। उन्होंने आगे तर्क दिया कि सी. टी. पी. एम. नियमों के नियम 6 के तहत, प्राधिकरण केवल कारखाने में स्थापित मशीनों की संख्या और उनकी उत्पादन क्षमता पर विचार करेगा और उत्पाद के सही वर्गीकरण की जांच करने के लिए उनके लिए यह खुला नहीं था। अपनी प्रस्तुतियों के समर्थन में, उन्होंने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है:

(i) आई. टी. सी. लिमिटेड बनाम आयुक्त (2019) 17 एससीसी 46.

((ii) एच. पी. एल. केमिकल्स लिमिटेड बनाम सी. सी. ई., चंडीगढ़ 2006 (197) ई. एल. टी. 324 [एस. सी.] (iii) मौरी यीस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2008 (225) ई. एल. टी. 321 [एससी]

(iv) सी. सी. ई. नागपुर बनाम श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन 2009 (237) ई. एल. टी. 225 [एससी]

(v) W.P.I.L. लिमिटेड v. सी. सी. ई. 2005 (181) ई. एल. टी. 359 [एस. सी.] (vi) माथुरम बनाम एम. पी. राज्य (1999) 8 एस. सी. सी. 667 (vii) सी. सी. बनाम दिलीप कुमार एंड कंपनी

(2018) 9 एस. सी. सी. 1 (viii) इंडो इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज बनाम सी. जी. एस. टी. (1981) 2 एस. सी. सी.

(ix) यू. ओ. आई. बनाम दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड 1963 आपूर्ति (1) एस. सी. आर. 586 629

कॉमर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यूआरएमआईएन प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड। और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 630

95. राजस्व की ओर से विद्वान वकील मेसर्स निशा बागची ने तर्क दिया कि निर्धारिती के नेतृत्व में अपने उत्पाद को 2403 9910 के रूप में वर्गीकृत करने वाली घोषणा को मंजूरी दी गई थी और उपायुक्त द्वारा आदेश पारित किए गए थे, हालांकि 2015 की अधिसूचना के तहत 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के लिए उच्च दर निर्धारित की गई थी। वह तर्क देगी कि 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' को सीई अधिनियम की धारा 3 ए के तहत अधिसूचित किया गया था, 2010 की अधिसूचना 13.04.2010 के अनुसार और 2010 की अधिसूचना 13.04.2010 द्वारा, सी. टी. पी. एम. नियमों में 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया था। वह तर्क देगी कि निर्धारिती के नेतृत्व में की गई घोषणाओं का निर्धारण और/या निर्णय व्यक्तिगत सुनवाई का आदेश देने के बाद किया गया था और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान निर्धारिती के महाप्रबंधक द्वारा दिए गए स्वीकार/बयान पर भरोसा करके, उपायुक्त ने बाद की सभी घोषणाओं को संशोधित किया है जो अपीलीय प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किए गए थे। वह यह तर्क देने के लिए सी. आर. सी. एल. की रिपोर्ट पर भी भरोसा करेंगी कि एक इकाई से लिए गए नमूनों में सुखद गंध/सुगंध थी। वह न्यायालय का ध्यान न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए आदेशों की ओर आकर्षित करेंगी, जिसमें कहा गया है कि उत्पाद के निर्माण में कुसुम और सुगंधित गंध का उपयोग महाप्रबंधक द्वारा स्वीकार किया गया था और उसी समूह की एक इकाई एक समान उत्पाद का निर्माण कर रही थी जिसे 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा था और इन दोनों उत्पादों का एक ही ब्रांड नाम था और वे एक ही उत्पाद के रूप में बाजार में प्रवेश कर रहे थे। वह यह भी तर्क देगी कि अपीलार्थी ने उस निर्माण प्रक्रिया का विरोध नहीं किया था जो समान थी और दोनों उत्पादों को एक ही ब्रांड नाम के तहत विपणन किया गया था। वह यह भी प्रस्तुत करेंगी कि उत्पाद का वर्गीकरण सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9930 के तहत होना चाहिए था और पिछले गलत वर्गीकरण/घोषणा को सुधारने के लिए कराधान मामलों में रोक नहीं लगाई जा सकती है जिसे जानबूझकर गलत घोषणा और जानबूझकर दमन के अनुसार अनुमोदित किया गया था। अपनी दलीलों को समाप्त करने के लिए, वह प्रस्तुत करेगी कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और न्यायाधिकरण ने तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर विचार किया है और उत्पाद की विशेषताओं, वाणिज्यिक बोलचाल को लागू करने वाली परीक्षण रिपोर्ट, निर्धारिती का प्रवेश, और आई. एस. शब्दावली और मौजूदा उदाहरणों में पाए जाने वाले परिभाषाओं के आधार पर एक अच्छी तरह से तर्कपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। इसलिए, निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा करते हुए उन्होंने अपीलों को खारिज करने की मांग की है:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

(i) सी. सी. ई. बनाम कॉट्सपुन (1999) 7 एस. सी. सी. 633 (पैरा 14,15)

((ii) विवेक नारायण शर्मा बनाम भारत संघ 2023 (3) एस. सी. सी. 1 (iii) हिंदुस्तान पोल्स कार्पोरेशन बनाम सीसीई (2006) 4 एससीसी 85

(iv) मिश्रा जरदा ट्रेडर्स बनाम उड़ीसा राज्य 1987 एस. सी. सी. ऑनलाइन 363 (v) स्विस् रिबन प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ (2019) 4 एससीसी 17

समन्वय के लिए मुद्दे

96. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद और बार में उठाए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर हमारा चिंतित विचार करने के बाद हमारे विचार के लिए निम्नलिखित बिंदु/प्रश्न उत्पन्न होंगे: (1) सी. टी. पी. एम. नियमों के नियम 6 के तहत की गई घोषणा का उद्देश्य क्या है?

(2) निर्धारित प्राधिकरण द्वारा नियम 6 के तहत किन मापदंडों की जांच, निर्धारण और निर्णय लेने की आवश्यकता है? (3) क्या निर्धारित प्राधिकरण के पास वर्गीकरण या विशिष्ट सी प्रविष्टि निर्धारित करने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र है जिसके भीतर घोषित उत्पाद को वर्गीकृत किया जाना है?

या

क्या किसी उत्पाद के वर्गीकरण का मुद्दा सी. टी. पी. एम. नियमों के नियम 6 (2) के तहत निर्णय/निर्णय का विषय हो सकता है?

(4) क्या नियम 6 के तहत की गई घोषणा का उत्पाद के वर्गीकरण से कोई संबंध है और ऐसी घोषणा के वर्गीकरण के कारण विभाग को सीई अधिनियम, 1944 की धारा 11 ए या 11 एसी के तहत नोटिस जारी करने से रोका जा सकता है?

चर्चा और निष्कर्ष

97. उपरोक्त प्रश्नों/बिंदुओं का निर्णय करते समय, एक के उत्तर के दूसरे के साथ ओवरलैप होने की संभावना है और इस प्रकार हम इन प्रश्नों को एक साथ निर्णय लेने का प्रस्ताव करते हैं और हम उनके अनुसार उत्तर देने और निष्कर्ष प्रश्न या बिंदु-वार दर्ज करने का प्रस्ताव करते हैं।

98. उपरोक्त अभ्यास करने के लिए, लागू नियमों यानी 'च्युइंग टोबैको' और 631 की जांच करना आवश्यक होगा।

सीएमआर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यूआरएमआईएन प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड। और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 632

विनिर्मित तंबाकू पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रह) नियम, 2010। उपरोक्त नियमों को 2010 की अधिसूचना 27.02.2010 द्वारा अधिसूचित किया गया था जो 08.03.2010 से लागू हुआ था। उपरोक्त नियम धारा 3 ए के अनुसार निर्दिष्ट और अधिसूचित वस्तुओं पर लागू किए गए थे। 'चबाने वाले तंबाकू' को 2010 की धारा 3 ए के तहत अधिसूचना No.10 दिनांक 27.02.2010 द्वारा अधिसूचित किया गया था और 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' को सीई अधिनियम, 1944 की धारा 3 ए के तहत अधिसूचना किए गए सामान के रूप में निर्दिष्ट किया गया था, उसी दिन 2010 की अधिसूचना No.17 दिनांक 13.04.2010 द्वारा अर्थात् 2010 की अधिसूचना 13.04.2010 अधिसूचना No.18 सी. टी. पी. एम. नियमों में संशोधन करते हुए जारी की गई थी।

2010 जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू को ढकने के लिए।

99. उपरोक्त नियमों को, जिस हद तक इसके लिए ऊपर तैयार किए गए बिंदुओं/प्रश्नों के निर्णय की आवश्यकता होती है, अनिवार्य रूप से निकाला जाना चाहिए और नियम 6 जिसका ऊपर तैयार किए गए बिंदुओं पर सीधा असर होगा, तत्काल संदर्भ के लिए नीचे निकाला गया है और इसमें लिखा है:

“नियम 6.निर्माता द्वारा दाखिल की जाने वाली घोषणा।- (1) ए.

अधिसूचित वस्तुओं के निर्माता इन नियमों के लागू होने के तुरंत बाद और 8 मार्च, 2010 के बाद इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र 1 में घोषणा करेंगे:

((i) उसके कारखाने में उपलब्ध सिंगल-ट्रैक पैकिंग मशीनों की संख्या; (ii) (i) उसके कारखाने में स्थापित पैकिंग मशीनों की संख्या;

((iii) (i) में से पैकिंग मशीनों की संख्या, जिसे वह अपने कारखाने में चूने की नली के साथ और चूने की नली के बिना अधिसूचित वस्तुओं के पाउच के उत्पादन के लिए संचालित करना चाहता है, 8 मार्च, 2010 से प्रभावी होने के साथ;

((iv) उसके कारखाने में उपलब्ध मल्टीपल ट्रैक या मल्टीपल लाइन पैकिंग मशीन की संख्या;

((iv) उसके कारखाने में स्थापित मल्टीपल ट्रैक या मल्टीपल लाइन पैकिंग मशीनों की संख्या;

((iv) मल्टीपल ट्रैक या मल्टीपल लाइन पैकिंग मशीनों की संख्या, जिसे वह अपने कारखाने में चूने की नली के बिना और चूने की नली के साथ क्रमशः अधिसूचित वस्तुओं के पाउच के उत्पादन के लिए संचालित करने का इरादा रखता है, 8 मार्च, 2010 से प्रभावी;

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

((viii) प्रत्येक पैकिंग मशीन के निर्माता का नाम, उसकी पहचान संख्या, उसकी खरीद की तारीख और विभिन्न खुदरा बिक्री मूल्यों की अधिकतम पैकिंग गति जिस पर उन्हें चूने की नली के साथ

और चूने की नली के बिना अधिसूचित वस्तुओं के पाउच की पैकिंग के लिए संचालित किया जा सकता है; (viii) विनिर्मित की जाने वाली वस्तुओं का विवरण जिसमें गैर-विनिर्मित तंबाकू या चबाने वाले तंबाकू या दोनों, उनके ब्रांड नाम, चाहे पाउच में चूने की नली हो या नहीं;

(ix) वित्तीय वर्ष के दौरान निर्मित किए जाने वाले पाउच के खुदरा बिक्री मूल्यों का मूल्य निर्धारण;

(x) खुदरा बिक्री मूल्यों के विभिन्न मूल्यवर्ग के अधिसूचित माल के निर्माण के लिए उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले कारखाने परिसर के भाग या खंड की योजना और विवरण और ऐसे प्रत्येक भाग या खंड में उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली मशीनों की संख्या, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्राधिकार उपायुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त को, जैसा भी मामला हो, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्राधिकार अधीक्षक को एक प्रति के साथ: बशर्ते कि एक नया निर्माता अपने कारखाने में अधिसूचित वस्तुओं के वाणिज्यिक उत्पादन के शुरू होने से कम से कम सात दिन पहले ऐसी घोषणा करेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट घोषणा की प्राप्ति पर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क का उपायुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क का सहायक आयुक्त, जो भी मामला हो, भौतिक सत्यापन सहित ऐसी जांच करने के बाद घोषणा को मंजूरी देगा और इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार तीन कार्य दिवसों के भीतर कारखाने की उत्पादन की वार्षिक क्षमता के बारे में आदेश निर्धारित करेगा और पारित करेगा।

बशर्ते कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क का उपायुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क का सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, योजना में संशोधन या कारखाने के परिसर के उस हिस्से या खंड के विवरण के लिए निर्देश दे सकता है जिसका उपयोग निर्माता द्वारा विभिन्न खुदरा बिक्री मूल्यों की अधिसूचित वस्तुओं के निर्माण के लिए किया जाना है, जैसा कि वह उचित समझता है, अनुमोदन देने से पहले परिसर के भागों या खंडों और ऐसे भागों या खंडों में उपयोग की जाने वाली मशीनों के प्रभावी पृथक्करण के लिए।

कॉमर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यूआरएमआईएन प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड। और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 634

633

बशर्ते कि यदि निर्माता को तीन कार्य दिवसों की उक्त अवधि के भीतर अपनी घोषणा के संबंध में अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि अनुमोदन संशोधन, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए दिया गया है, जिसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क के उपायुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, घोषणा के तीस दिनों के बाद बाद में सूचित कर सकते हैं।”

100. उपरोक्त नियम के अवलोकन से यह संकेत मिलेगा कि अधिसूचित वस्तुओं के निर्माता को नियम (08.03.2010) के लागू होने पर तुरंत प्रपत्र संख्या 1 में एक घोषणा करनी चाहिए जिसमें उप-नियम (i) से (x) के तहत निर्धारित या निर्दिष्ट अधिसूचित वस्तुओं के विवरण की घोषणा की जानी चाहिए और ऐसी घोषणा की प्राप्ति पर क्षेत्राधिकार उपायुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त, अर्थात् सक्षम प्राधिकरण, घोषणा को मंजूरी देगा और ऐसी जांच करने के बाद तीन

कार्य दिवसों के भीतर वार्षिक क्षमता के बारे में आदेश निर्धारित करेगा और पारित करेगा जो भौतिक सत्यापन सहित आवश्यक हो सकता है। सी. टी. पी. एम. के नियम 6 के पहले प्रावधान में कहा गया है कि अधिकृत अधिकारी इसके तहत निर्धारित विवरणों में संशोधन का निर्देश दे सकते हैं। दूसरे परंतुक के अवलोकन से यह संकेत मिलता है कि यदि निर्माता को 3 कार्य दिवसों की उक्त अवधि के भीतर अपनी घोषणा के संबंध में अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है, तो अनुमोदन को संशोधन, यदि कोई हो, के अधीन स्वीकार किया गया माना जाएगा, जिसे मामले के अनुसार अधिकृत अधिकारी ऐसी घोषणा की भाषा के 30 दिनों के बाद सूचित कर सकते हैं।

101. निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने यह तर्क दिया है कि चूंकि राजस्व द्वारा उत्पाद के वर्गीकरण पर विवाद किया जा रहा है, इसलिए बोझ विभाग पर है और यह नियम 6 (2) के दायरे से बाहर है और नियम 6 के तहत की गई घोषणा पर निर्णय लेते हुए वर्गीकरण में बदलाव का सुझाव दिया है, यह केवल एक नोटिस जारी करके या अन्यथा हो सकता है, यह प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन होगा। उक्त तर्क चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न हो, इस सरल कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि नियम 6 का उप-नियम (2) स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उप-नियम (1) में निर्दिष्ट घोषणा की प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी से ऐसी जांच करने की आवश्यकता होगी जो उत्पादन की वार्षिक क्षमता से संबंधित ऐसी घोषणा की शुद्धता या अन्यथा का निर्धारण करके भौतिक सत्यापन सहित आवश्यक हो।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

कारखाने से। नियम का नामकरण स्वयं इंगित करेगा कि उक्त

नियम को "च्युइंग टोबैको एंड अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको पैकिंग मशीन (क्षमता, निर्धारण और शुल्क संग्रह) नियम, 2010" कहा जाता है। ए.

नियम 6 के उप-नियम (1) के खंड (i) से (x) को संयुक्त रूप से पढ़ने से संकेत मिलता है कि उप-नियम (2) के तहत विचार की गई जांच के दौरान, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी कारखाने की वार्षिक क्षमता उत्पादन का निर्धारण करेगा और सक्षम प्राधिकरण को कारखाने में स्थापित ट्रैक पैकिंग मशीनों, उपलब्ध पैकिंग मशीनों की संख्या और अपने कारखाने में काम करने का इरादा रखने वाले निर्धारिती, कई ट्रैक या कई लाइन पैकिंग मशीनों की संख्या और चूने की नली के साथ और उसके बिना उपयोग या संचालन के लिए ध्यान में रखना होगा। ऐसी मशीनों की अधिकतम पैकिंग गति, विभिन्न खुदरा बिक्री मूल्य, निर्मित होने वाली वस्तुओं का विवरण जिसमें 'गैर-निर्मित तंबाकू' या 'चबाने वाला तंबाकू' या दोनों शामिल हैं, और पाउच में चूने की नली है या नहीं, उक्त उत्पादों का विवरण निर्धारित किया जाना है। इस तरह की कवायद शुरू करने की प्रक्रिया में, सक्षम प्राधिकारी को आवश्यक रूप से इस बात की जांच करने की आवश्यकता होगी कि क्या विचाराधीन उत्पाद अधिसूचित वस्तुओं के वर्गीकरण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उत्पाद को अनिवार्य रूप से धारा 3 ए

की उप-धारा (1) के तहत और प्रासंगिक अवधि के लिए अधिसूचना के रूप में अधिसूचित वस्तुओं के भीतर आना होगा।

102. नियम 6 के तहत निर्धारित घोषणा का प्रपत्र प्रपत्र संख्या 1 है और इस तरह की घोषणा में उसके तहत निर्दिष्ट विवरण होने चाहिए। स्पष्टता और संक्षिप्तता के उद्देश्यों के लिए हम नीचे दिए गए नियम 6 के तहत निर्धारित प्रपत्र संख्या 1 को निकालना उचित समझते हैं:

“फॉर्म-1

[नियम 6 देखें]

(1) निर्माता का नाम -

(2) विनिर्माण परिसर का पता: (3) ईसीसी सं:

(4) समान उत्पादों का निर्माण करने वाले अन्य परिसरों का पता: (5) कारखाने में उपलब्ध सिंगल ट्रैक पैकिंग मशीनों की संख्या: (6) (5) में से पैकिंग मशीनों की संख्या, जो कारखाने में स्थापित हैं:

सीएमआर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यूआरएमआईएन प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड। और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 636

635

(7) (5) में से पैकिंग मशीनों की संख्या, जिसे निर्माता अपने कारखाने में चूने की नली के साथ और चूने की नली के बिना अधिसूचित वस्तुओं के पाउच के उत्पादन के लिए संचालित करने का इरादा रखता है:

(8) कारखाने में उपलब्ध मल्टीपल ट्रैक या मल्टीपल लाइन पैकिंग मशीन की संख्या:

(9) (8) में से मल्टीपल ट्रैक या मल्टीपल लाइन पैकिंग मशीनों की संख्या, जो कारखाने में स्थापित हैं:

(10) (8) में से मल्टीपल ट्रैक या मल्टीपल लाइन पैकिंग मशीनों की संख्या, जिसे निर्माता अपने कारखाने में चूने की नली के साथ और चूने की नली के बिना अधिसूचित सामान के पाउच के उत्पादन के लिए संचालित करने का इरादा रखता है:

(11) प्रत्येक पैकिंग मशीन के निर्माता का नाम, उसकी पहचान केशन संख्या, इसकी खरीद की तारीख और अधिकतम पैकिंग गति जिस पर मशीनों को विभिन्न खुदरा बिक्री मूल्यों के चूने की नली और चूने की नली के बिना अधिसूचित सामान की पैकिंग के लिए संचालित किया जा सकता है:

(12) विनिर्मित की जाने वाली वस्तुओं का विवरण जिसमें गैर-विनिर्मित तंबाकू या चबाने वाला तंबाकू या दोनों, उनके ब्रांड नाम, क्या पाउच में चूने की नली होगी या नहीं, और अन्य संबंधित विवरण शामिल हैं:

(13) पाँचवें वित्तीय वर्ष के दौरान निर्मित किए जाने वाले पाउच के खुदरा बिक्री मूल्यों का मूल्य निर्धारण:

(14) खुदरा बिक्री मूल्यों के विभिन्न मूल्यवर्ग के अधिसूचित माल के निर्माण के लिए उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले कारखाने परिसर के हिस्से या खंड की आधार योजना और विवरण और ऐसे प्रत्येक हिस्से या खंड में उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली मशीनों की संख्या: (15) घोषणा पत्र

(क) हम आगे घोषणा करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण सभी मामलों में सही और सही हैं। यदि कोई विवरण असत्य/गलत पाया जाता है, तो मैं/हम केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के प्रावधानों या उसके तहत जारी किए गए नियमों या अधिसूचना के अनुसार मेरे/हमारे द्वारा निर्मित अधिसूचित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क की किसी भी अतिरिक्त राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

(ख) हम आगे यह वचन देते हैं कि पैकिंग मशीन का कोई भी जोड़ या निष्कासन केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय की भौतिक देखरेख में च्युइंग टोबैको और गैर-निर्मित टोबैको पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रह) नियम, 2010 में प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(ग) हम एतद्द्वारा च्युइंग टोबैको और गैर-निर्मित टोबैको पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रह) नियम, 2010 के प्रावधानों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं। स्थान:

तारीख: निर्माता/अधिकृत एजेंट का नाम, आवासीय पता और हस्ताक्षर "

103. '2006 की अधिसूचना 01.03.2002 के आधार पर एंट्री CETH 2404.41 में 'चबाने वाले तंबाकू' और 'चबाने वाले तंबाकू' वाली तैयारी पाई गई थी और इसे CE अधिनियम की धारा 4A के तहत एमआरपी-आधारित मूल्यांकन के तहत शामिल किया गया था। 8 (आठ) अंकों की शुल्क व्यवस्था के आगमन पर 'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू' को 'सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9930' के तहत एक अलग शीर्ष के तहत और 'च्युइंग तंबाकू' को 'सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9910' शीर्ष के तहत 28.02.2005 से ई. एफ. ई. टी. के साथ पेश किया गया था। हालाँकि, 2006 की अधिसूचना सं. 2, जिसे 2002 की अधिसूचना सं. 1 के स्थान पर जारी किया गया था, 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' को हटा दिया गया था या दूसरे शब्दों में, ऐसी प्रविष्टि को हटा दिया गया था।

104. धारा 3 ए के तहत दो उत्पादों को 'अधिसूचित माल' के रूप में अधिसूचित किए जाने के आलोक में, जो नियम 2 (सी) के तहत विचार किया गया है, निर्धारिती द्वारा यह लाभप्रद नहीं कहा जा सकता है कि घोषणा पर निर्णय लेते समय वर्गीकरण का मुद्दा नियम 6 (2) के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं आएगा। यदि अधिसूचित वस्तुओं का अनुचित वर्गीकरण किया गया है तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को ऐसी स्थिति में गलत वर्गीकरण को सुधारने

का अधिकार होगा, जहां शुल्क की उच्च दर से बचने के इरादे से इसे गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया है। नियम 2 (सी) के तहत "पूछताछ करें, निर्धारित करें और आदेश पारित करें" शब्द बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक निर्माता द्वारा नियम 6 (1) के तहत जिस घोषणा का नेतृत्व करना आवश्यक है, वह "अधिसूचित माल" की है। उक्त अधिसूचित माल का अर्थ नियम 2 (सी) के तहत अवहेलना के रूप में है जो नीचे दिया गया है:

कॉमर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यूआरएमआईएन प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड।
और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 638

637

“(ग) "अधिसूचित वस्तु" से अप्रस्तुत तंबाकू, जिसका ब्रांड नाम है, और अधिनियम की धारा 3 ए की उप-धारा (1) के तहत भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), सं. 10/2010-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन. टी.), दिनांक 27 फरवरी, 2010 में प्रकाशित चबाने वाले तंबाकू की अधिसूचना अभिप्रेत है। ”

105. समय-समय पर, अधिसूचित वस्तुओं को शामिल या बहिष्कृत किया जाता था, कौन सी शक्ति नियम बनाने वाले प्राधिकरण के पास निहित होती थी और इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता था। उत्पाद जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू, जैसा कि यहाँ (ऊपर) देखा गया है, सीई अधिनियम, 1994 की धारा 3 ए (1) के तहत 13.04.2010 से प्रभावी होने के साथ अधिसूचित किया गया और तदनुसार जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू को कवर करने के लिए सी. टी. पी. एम. नियमों में भी संशोधन किया गया। इस प्रकार निर्धारिती ने तर्क दिया कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी वर्गीकरण निर्धारित करने के लिए अपनी शक्तियों के भीतर नहीं होगा।

106. नियम 6 के समग्र अध्ययन से संकेत मिलता है कि केवल उसके तहत निर्धारित विवरण ही कारखाने की उत्पादन की वार्षिक क्षमता के निर्धारण का विषय होगा। नियम 6 का दूसरा परंतुक स्पष्ट रूप से इंगित करेगा कि निर्धारित प्राधिकरण को ऐसी घोषणा से प्राप्त तथ्यों पर घोषणा को संशोधित करने का अधिकार है। नियम 6 के उप-नियम (2) के तहत कारखाने की उत्पादन की वार्षिक क्षमता के संबंध में निर्धारण और आदेश पारित करने का ऐसा अभ्यास करते समय, निर्धारित प्राधिकरण को उत्पाद के वर्गीकरण से संबंधित मुद्दे को ध्यान में रखना होगा। हम एक से अधिक कारणों से ऐसा कहते हैं, सबसे पहले, नियम 6 के उप-नियम (1) के खंड (i) से (x) के तहत निर्धारित किए जाने के लिए आवश्यक विवरण इंगित करेंगे कि उसमें उल्लिखित विवरणों के अलावा, घोषणाकर्ता को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में वर्गीकरण प्रविष्टि को निर्दिष्ट किए बिना निर्मित की जाने वाली वस्तुओं का विवरण निर्दिष्ट करना होगा। निर्धारिती के नेतृत्व में इस तरह की घोषणा के आधार पर, किसी विशेष महीने के लिए शुल्क की गणना नियम 7 के तहत निर्दिष्ट अधिसूचना में निर्दिष्ट शुल्क की उचित दर के आवेदन द्वारा की जानी चाहिए। आवश्यक रूप से देय शुल्क का पता लगाने के लिए, नियम 6 के उप-नियम (2) के तहत आयोजित जांच में वर्गीकरण के मुद्दे पर विचार करना होगा, क्योंकि अन्यथा विचार की गई जांच निरर्थक या अर्थहीन हो जाएगी। दूसरा, उत्पाद के शुल्क की गणना करने के लिए, पूर्ववर्ती शर्त उत्पादन की क्षमता है। इस प्रकार, क्षमता का पता लगाना महत्वपूर्ण हो जाता है

पहले उत्पादन, जो केवल तभी किया जा सकता है जब संबंधित प्राधिकारी उत्पाद से परिचित हो जैसा कि वर्णित है जो अंततः सक्षम प्राधिकरण को सी. ई. टी. ए. के तहत प्रदान किए गए उचित टैरिफ शीर्ष के तहत उत्पाद को वर्गीकृत करने में सहायता करेगा। तीसरा, नियम 6 (2) के पीछे तर्क यह है कि जब तक उत्पाद का उचित वर्गीकरण नहीं होता है, तब तक सक्षम प्राधिकरण टैरिफ शीर्ष के तहत सही वर्गीकरण का पता लगाने की स्थिति में नहीं होगा और इसके परिणामस्वरूप अधिसूचित वस्तुओं के उत्पादन की वार्षिक क्षमता निर्धारित करने में सक्षम नहीं होगा, जिससे अनुचित गणना हो सकती है। यह और भी अधिक है, क्योंकि प्रत्येक अधिसूचित उत्पाद में अन्य उत्पाद के समान सामग्री नहीं हो सकती है। यह एक सामान्य नियम है कि किसी उत्पाद के घटक में परिवर्तन उत्पादन क्षमता में परिवर्तन ला सकता है, अर्थात्, विनिर्माण प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार, गलत विवरण, गलत विवरण या गलत विवरण या जानबूझकर निर्मित उत्पाद के अनुचित वर्गीकरण की स्थिति में, उत्पाद की वास्तविक प्रकृति का पता लगाने और उसे फिर से वर्गीकृत करने के लिए, अनिवार्य रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुपालन में होगा, सक्षम प्राधिकरण के हाथों को कॉर्पोरेट धूँधट को छेदने से नहीं रोकेगा। इस नियम द्वारा प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य निर्धारिती की घोषणा के आधार पर वार्षिक क्षमता निर्धारित करने के लिए विभाग को सशक्त बनाना है और घोषणा में माल या उत्पाद का अनुचित विवरण होने की स्थिति में ऐसी घोषणा को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं होगी। वास्तव में, घोषणा प्रपत्र संख्या 1 स्वयं इंगित करता है कि कॉलम No.15A में, घोषणाकर्ता इस तरह की घोषणा द्वारा निर्मित अधिसूचित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क की किसी भी अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए खुद को बाध्य करने के लिए सहमत हो गया है, यदि यह असत्य या गलत पाया जाता है। यह उपक्रम इस तथ्य को पुष्ट करेगा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी घोषणा की स्वीकृति के मामले में भी, यह उन्हें बाद में ऐसे कर्तव्य की वसूली के लिए कम मांग के कारण अलग-अलग कर्तव्य की मांग करने से नहीं रोकता है, और अनिवार्य रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है।

107. जैसा कि ऊपर देखा गया है कि दोनों पक्षों ने सी. सी. ई. बनाम कॉट्सपून (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है, जिसके तहत इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि एक बार अनुमोदित वर्गीकरण सूची के आधार पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, जब तक कि निर्धारिती को कारणदर्शक नोटिस जारी करके प्रश्न के अनुमोदन की शुद्धता नहीं हो जाती है, तब तक इसे बाधित नहीं किया जा सकता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण एक अनुमोदित 639 के आधार पर किया जाता है।

कॉमर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यूआरएमआईएन प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड। और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 640

अधिसूचना शुल्क एक छोटा शुल्क नहीं है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि विभेदक शुल्क की वसूली इस आधार पर नहीं की जा सकती है कि यह एक छोटा शुल्क है और संशोधित मूल्यांकन को कारण बताए जाने के नोटिस की तारीख से संभावित रूप से प्रभावी बनाया जा सकता है, न कि एक अनुमोदित वर्गीकरण सूची के तहत किए गए पहले के निष्कासन के संदर्भ में। इस पृष्ठभूमि में, यह माना गया कि जब तक वर्गीकरण सूची बनी हुई है, उसी उत्पाद पर भिन्न-भिन्न कर का दावा नहीं किया जा सकता है। 108. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कॉट्सपन (उपरोक्त) में निर्धारिती एन. ई. एस. धागे का निर्माण कर रहा था और केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 173-बी के तहत निर्माता द्वारा वर्गीकरण सूची दायर की गई थी और इसे सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था और तदनुसार इसे पुरानी टैरिफ वस्तु No.19-I (2) (ए) और (2) (ई) के तहत वर्गीकृत किया गया था। फरवरी 1977 से मई 1977 की अवधि के लिए मूल्यांकन को फिर से खोलने की सूचना इस आधार पर जारी की गई थी कि एन. ई. एस. धागे को पुराने टैरिफ आइटम No.19-I (2) (एफ) के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था और अलग-अलग शुल्क की मांग की गई थी। इसके बाद दूसरा कारण दर्शाओ नोटिस दिया गया और बाद में शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित किया गया। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने इस निष्कर्ष पर पहुँचकर निर्धारिती के तर्क को बरकरार रखा कि शुल्क देयता का निर्धारण एक अनुमोदित वर्गीकरण सूची के आधार पर किया गया था, और कम शुल्क लगाने का सवाल ही नहीं उठा। हालाँकि, अपीलीय प्राधिकरण ने अपील को स्वीकार कर लिया और मांग को स्वीकार कर लिया। अपील पर, न्यायाधिकरण ने माना कि संशोधित मूल्यांकन को केवल संभावित रूप से प्रभावी बनाया जा सकता है, अर्थात्, कारण बताए जाने के नोटिस की तारीख से, पहले नहीं। इस न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि निर्धारिती को अनुमोदन के लिए उपयुक्त उत्पाद शुल्क अधिकारी के समक्ष उन वस्तुओं की एक सूची प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी जिन्हें वह मंजूरी देने का प्रस्ताव करता है और उक्त सूची से संकेत मिलता है कि ऐसी अनुमोदन सूची में पाए जाने वाले विवरण उपयुक्त प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं जिसमें न केवल घोषणाकर्ता द्वारा उत्पादित या निर्मित वस्तुओं का विवरण शामिल होता है, बल्कि शुल्क प्रविष्टि भी प्रदान की जाती है जिसके तहत घोषणा करने वाला जिस वस्तु को हटाने का इरादा रखता है वह गिर जाएगी और नियम 173-बी के उप-नियम (2) के तहत निर्धारित अन्य विवरणों के अलावा उस पर देय शुल्क की दर भी प्रदान की जाती है। यह वे विवरण हैं जो कॉट्सपन के मामले (उपरोक्त) में निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किए गए थे जिन्हें स्वीकार कर लिया गया था और पुनर्वर्गीकरण की अपनी मांग को उचित ठहराते हुए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 10 पर भरोसा करके पूर्वव्यापी रूप से काम करेंगे, जो वर्तमान मामले में उठाए गए विवाद के समान है। हालाँकि, इस तर्क ने इस न्यायालय द्वारा इस आधार पर पक्ष नहीं लिया कि नियम 173-बी वर्गीकरण सूची से संबंधित है और उचित कार्यालय को इस तरह की सूची की जांच और अनुमोदन करना चाहिए था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

ऐसी जांच के बाद, जिसे वह आवश्यक समझता है, जब तक कि उचित अधिकारी द्वारा अन्यथा निर्देशित नहीं किया जाता है, नियम 173-बी के उप-नियम (2) के अनुसार ऐसी सूची के अनुसार हटाए जाने वाले माल पर देय शुल्क का निर्धारण करता है। जबकि तत्काल मामले में संबंधित नियम 6 यह संकेत या दूरस्थ रूप से सुझाव नहीं देता है कि इस तरह के वर्गीकरण की घोषणा की आवश्यकता है। हालांकि, नियम 6 (2) केवल घोषणा करने वाले द्वारा अपनी घोषणा में निर्दिष्ट किए जाने वाले माल का विवरण निर्धारित करता है। इसलिए, इसके परिणामस्वरूप सक्षम प्राधिकरण पर मशीन की उत्पादन क्षमता के उचित निर्धारण के लिए सी. ई. टी. ए. के तहत माल की प्रकृति और इसके वर्गीकरण के बारे में पता लगाने का अभ्यास करने के लिए अतिरिक्त भारी जिम्मेदारी होगी। यह भी ध्यान देने योग्य होगा कि

सी. सी. ई. बनाम श्रीवल्लभ ग्लास वर्क्स लिमिटेड (2003) 11 में इस न्यायालय का निर्णय

एस. सी. सी. 341, जिसके तहत कॉट्सपन के मामले (ऊपर) को तथ्यों पर अलग किया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कॉट्सपन के मामले (ऊपर) में केवल यह कहा गया है कि जहां तक वर्गीकरण सूची मौजूद है, वर्गीकरण सूची में उल्लिखित उसी उत्पाद पर विभेदक शुल्क का दावा नहीं किया जा सकता है, हालांकि, यदि उत्पाद को मंजूरी दी जा रही है, तो वर्गीकरण सूची में उल्लिखित उत्पाद से अलग है, तो कॉट्सपन के मामले (ऊपर) में प्रतिपादित सिद्धांत लागू नहीं होंगे। मामले के उस दृष्टिकोण में, हमारा विचार है कि राजस्व के पास विशिष्ट सी प्रविष्टि के लिए वर्गीकरण निर्धारित करने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र है जिसके भीतर उत्पाद घोषित किया जाना है या वर्गीकृत किया जाना है और वर्गीकरण का मुद्दा उप-नियम (2) के तहत निर्णय/निर्णय का विषय हो सकता है। नियम 6 के तहत की गई घोषणा, जिसके परिणामस्वरूप नियम 6 के उप-नियम (2) के तहत आदेश का निर्धारण और पारित किया जाता है, विभाग या राजस्व को सी. ई. अधिनियम की धारा 11 ए या धारा 11 एसी के तहत नोटिस जारी करने से नहीं रोकेगा, जहां जानबूझकर गलत कथन या तथ्य का दमन किया जाता है जिससे शुल्क लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता है।

109. तत्काल मामले में, घोषणा सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9910 के तहत आने वाले 'चबाने वाले तंबाकू' को स्वीकार करती है। हालांकि, इस तरह की जांच के दौरान, सक्षम प्राधिकरण यह जांच करने में सक्षम होगा कि क्या उत्पाद अधिसूचित माल के अंतर्गत आएगा। तत्काल मामले में, 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' को 2010 की अधिसूचना 13.04.2010 द्वारा धारा 3 ए के तहत अधिसूचित वस्तुओं के रूप में निर्दिष्ट किया गया था और उसी दिन सी. टी. पी. एम. नियमों में भी संशोधन किया गया था, यानी 2010 की अधिसूचना No.18 द्वारा। इस प्रकार, 641 उद्देश्यों के लिए सी. टी. पी. एम. नियमों के नियम 2 (सी) के तहत कथित 'अधिसूचित माल' को अपने व्यापक दायरे में लेते हुए

कॉमर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यूआरएमआईएन प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड। और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 642

वर्गीकरण और सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई इस कवायद में दोष नहीं पाया जा सकता है। इसलिए, हम यहाँ ऊपर तैयार किए गए प्रश्नों पर अपने निर्णय को निम्नानुसार दर्ज करते हैं:

(1) सी. टी. पी. एम. नियमों के नियम 6 के तहत की गई घोषणा का उद्देश्य क्या है?

जवाब:मशीन की पैकिंग क्षमता को निर्धारित करने के उद्देश्य से निर्मित किए जाने वाले उत्पाद के विवरण और उत्पाद की प्रकृति का पता लगाना और शुल्क निर्धारित करना।

(2) निर्धारित प्राधिकरण द्वारा नियम 6 के तहत किन मापदंडों की जांच, निर्धारण और निर्णय लेने की आवश्यकता है?जवाब:घोषणा के तहत प्रस्तुत विवरणों की शुद्धता की जांच और निर्धारण करना, अर्थात् प्रपत्र संख्या 1।

(3) क्या सक्षम प्राधिकारी के पास वर्गीकरण या विशिष्ट सी प्रविष्टि निर्धारित करने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र है जिसके भीतर घोषित उत्पाद को वर्गीकृत किया जाना है?

या

क्या किसी उत्पाद के वर्गीकरण का मुद्दा सी. टी. पी. एम. नियमों के नियम 6 (2) के तहत निर्णय/निर्णय का विषय हो सकता है?

जवाब:हां.

(4) क्या नियम 6 के तहत की गई घोषणा का उत्पाद के वर्गीकरण से कोई संबंध है?

जवाब:हां, पैकिंग क्षमता और संबंधित शुल्क निर्धारित करने के उद्देश्य से।

(5) क्या इस तरह की घोषणा द्वारा वर्गीकरण के कारण विभाग को सीई अधिनियम, 1944 की धारा 11 ए या 11 एसी के तहत नोटिस जारी करने से रोका जा सकता है?

जवाब:नहीं, यदि अनुचित या गलत घोषणा या अनुचित घोषणा है।

110. ऊपर अभिलिखित तथ्यों के आलोक में, हमारा विचार है कि न्यायाधिकरण के विवादित आदेश टिकाऊ नहीं होंगे और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का आदेश इस प्रकार होने का हकदार है -

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

बरकरार रखा गया, परिणामस्वरूप इन अपीलों को अनुमति दी जानी चाहिए, सिविल को छोड़कर

2020 की डायरी संख्या 3487 से उत्पन्न अपील, जो 2018 की उत्पाद शुल्क अपील संख्या 70242 में सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा पारित दिनांक 06.11.2019 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जो एक अलग आधार पर है और इसलिए उक्त अपील को विचार के लिए लिया जाता है और निम्नलिखित आदेश द्वारा निपटाया जाता है।

111. अपीलार्थी-निर्धारिती ने एक करोड़ रुपये की कटौती का दावा किया। 1,99,41,935/- सी. टी. पी. एम. नियमों के नियम 10 के तहत उप/सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, प्रभाग-II, नोएडा के समक्ष। उक्त दावे पर निर्णय लिया गया और 30.3.2016 दिनांकित आदेश द्वारा अनुमति दी गई। हालांकि, उसी आदेश के तहत उक्त राशि जिसे नकद द्वारा निर्धारिती को वितरित करने की अनुमति दी गई थी, उसे सीई अधिनियम की धारा 11 के साथ पढ़ने वाले सी. टी. पी. एम. नियमों के नियम 9 के तहत विनियोजित करने का आदेश दिया गया था।

112. उपरोक्त आदेश से व्यथित होने के कारण, आयुक्त के समक्ष एक अपील दायर की गई, जिसने दिनांक 31.08.2017 के आदेश द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क के विनियोग की सीमा तक 1,82,56,000/- के मूल आदेश को बरकरार रखा और Rs.18,59,042/के ब्याज की सीमा तक अलग रखा।

113. उसी से व्यथित होने के कारण, 2018 की उत्पाद शुल्क अपील में सी. ई. एस. टी. ए. टी. के समक्ष अपील का नेतृत्व किया गया था जिसमें न्यायाधिकरण के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि उपायुक्त का दिनांकित आदेश प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है, अर्थात्, इस न्यायालय के समक्ष अपील के आधार पर यह आग्रह किया गया है कि न्यायाधिकरण द्वारा पारित विवादित आदेश यह रुपये की कटौती के मुद्दे को संबोधित करने में विफल रहा है। 1,96,67,556/-। मामले के कागजातों को देखने और पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, हम देखते हैं कि न्यायाधिकरण इस मुद्दे की जांच करने में विफल रहा है। इसलिए, छोटे मैदान पर

न्यायाधिकरण के इस मुद्दे की जांच नहीं करने के बाद, अपील को अनुमति दी जानी चाहिए। तदनुसार, **2020** की डायरी संख्या **3487** से उत्पन्न होने वाली दीवानी अपील की अनुमति दी जाती है और मामला निर्णय के लिए न्यायाधिकरण को भेजा जाता है।

गुणों पर नया। हमने गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और उपशमन के मुद्दे पर दोनों पक्षों की दलीलें खुली रखी गई हैं।

V. केंद्रीय वस्तुओं और सेवा कर आयोग V. M/S तेज राम धरम पॉल-नागरिक आवेदन संख्या। 2023 643 का 3596

सीएमआर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यूआरएमआईएन प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड। और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 644

संक्षिप्त तथ्य

114. इस समूह में विवाद की अवधि मई 2015 से दिसंबर 2015 तक है। निर्धारिती का दावा है कि उत्पाद को सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9910 यानी 'चबाने वाले तंबाकू' के तहत वर्गीकृत किया गया है, जबकि राजस्व का तर्क है कि उत्पाद को सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9930 यानी 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। इस अपील के तथ्यों पर आते हुए,

निर्धारिती ने अधिकार क्षेत्र वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के समक्ष फॉर्म संख्या 1 प्रस्तुत किया जिसमें घोषणा की गई कि

वे 'महापसंद जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू' का निर्माण करेंगे।

और 10.03.2015 से 31.03.2015 तक की अवधि के लिए तदनुसार शुल्क का भुगतान किया। इसके बाद, निर्धारिती द्वारा प्रपत्र संख्या 2 प्रस्तुत किया गया और 'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू' पर शुल्क का भुगतान किया गया। राजस्व ने 13.03.2015 पर उत्पाद के नमूने लिए और उसे CRCL को भेज दिया, जिसने अपनी रिपोर्ट दिनांक 23.03.2015 द्वारा उत्पाद को 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत किया। तदनुसार, निर्धारिती को 27.04.2015 पर सूचित किया गया कि उत्पाद को 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत किया जाना है।

115. तदनुसार, अपीलार्थी-निर्धारिती ने 23.05.2015 पर संशोधित प्रपत्र संख्या 1 प्रस्तुत किया और सूचित किया कि वे 'चबाने वाले तंबाकू' का निर्माण करेंगे। 2015 की अधिसूचना No.25 जो 30.04.2015 से प्रभावी हुई, जिसके तहत प्रति माह पैकिंग मशीन के लिए शुल्क की दर 1.03.2015 पर अधिसूचित की गई थी। इसलिए, विभाग ने पंचनामा दिनांक 29.05.2015 के तहत नए नमूने लिए और रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए उन्हें CRCL को भेज दिया। सी. आर. सी. एल. ने उत्पाद को वर्गीकृत किए बिना 20.07.2015 पर रिपोर्ट भेज दी। राजस्व द्वारा शुल्क प्रविष्टि को वर्गीकृत करने के लिए कहे जाने पर, रसायन परीक्षक ने दिनांक 1 के संचार के माध्यम से यह कहते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया कि "विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों का आकलन करने के लिए उप मुख्य रसायनज्ञ/रसायन परीक्षक को शुल्क वर्गीकरण देने के लिए नहीं कहना चाहिए", राजस्व प्रयोगशाला की नियमावली के पैरा 70 (बी) और (सी) का हवाला देते हुए। इसके बाद, आई. डी. 1 पर राजस्व ने फिर से निर्धारिती के परिसर का दौरा किया और नमूने लिए जो पंचनामा में दर्ज किए गए और उन्हें ताजा रिपोर्ट के लिए सी. आर. सी. एल. को भेज दिया। इस बीच, सक्षम प्राधिकरण ने सी. टी. पी. एम. नियमों के नियम 6 (2) के तहत 18.12.2015 पर क्षमता निर्धारण आदेश पारित किया जिसमें कहा गया है कि अपीलार्थी-निर्धारिती द्वारा मई 2015 से दिसंबर 2015 की अवधि के लिए निर्मित उत्पाद 'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू' है। 21.12.2015 पर निर्धारिती को ब्याज के साथ अलग-अलग शुल्क जमा करने के लिए कहा गया था और इसे विरोध के तहत जमा किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

116. आई. डी. 2 पर संबंधित नियमों के साथ पठित धारा 11 ए, 11 एए और 11 एसी के तहत शुल्क, ब्याज और जुर्माने की मांग करते हुए एक कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था, जिसे ओ. आई. ओ. द्वारा दिनांक आई. डी. 1 पर निर्णय दिया गया था, जिसके तहत कारण बताएँ नोटिस के तहत की गई मांग को लागू किया गया था। मध्यावधि में, निर्धारिती ने 2015 के दिनांक 18.12.2015 के क्षमता निर्धारण आदेश No.24 को आयुक्त (अपील-I) के समक्ष चुनौती दी, जिन्होंने इस आधार पर अपील को खारिज कर दिया कि यह अपरिपक्व था क्योंकि वर्गीकरण से संबंधित मुद्दा लंबित था

क्योंकि दिनांकित 01.07.2016 का कारण दिखाएँ नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका था और इसका निर्णय अभी तक दिनांकित 06.12.2016 के आदेश के माध्यम से नहीं किया गया था। इससे व्यथित होकर न्यायाधिकरण के समक्ष एक अपील दायर की गई और न्यायाधिकरण ने निर्णय दिया कि वर्गीकरण का मुद्दा खुला है और इसका निर्णय न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा किया जाना है। इसके बाद, शुल्क की मांग को स्वीकार करते हुए ओ. आई. ओ. को आई. डी. 1 पर पारित किया गया और जुर्माना लगाने के अलावा इसके तहत निर्दिष्ट राशि के विनियोग का आदेश दिया गया। उसी से व्यथित होने के कारण, न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की गई जिसे अनुमति दी गई और 18.03.2021 दिनांकित आदेश को दरकिनार कर दिया गया। इसलिए, राजस्व द्वारा यह अपील।

दलों की प्रस्तुतियाँ

117. राजस्व की विद्वान वकील सुश्री निशा बागची ने न्यायाधिकरण के फैसले की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि इसने आईएस शब्दावली में अवज्ञाओं की जांच नहीं की और 14.12.2015 दिनांकित सीआरसीएल रिपोर्ट की अनदेखी की। उन्होंने तर्क दिया कि जरदा में सुगंध जोड़ने से उत्पाद का चरित्र 'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू' में बदल जाएगा। सुश्री बागची ने निर्धारिती के प्रतिनिधि के बयानों और इस तथ्य का भी हवाला दिया कि उत्पाद को पहले मार्च और अप्रैल 2015 के लिए 'महापसंद जर्दा/जर्दा सुगंधित टोबैकोट' के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन

बाद में इसे बदलकर 'महापसंद चबाने वाला तंबाकू (चूने की नली के बिना)' कर दिया गया।

मई 2015 से दिसंबर 2015 तक। सुश्री बागची ने तर्क दिया कि उत्पाद द्वारा आकर्षित शुल्क की दर के आधार पर अलग-अलग समय पर निर्धारिती का दोहरा रुख 2015 की अधिसूचना No.25 में स्पष्ट था, जिसमें प्रति पैकिंग मशीन/प्रति माह शुल्क लगाया गया था। जवाब में, अपीलार्थी-निर्धारिती की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. के. बागरिया ने न केवल दिनांकित 27.04.2015 (अनुलग्नक ए-7) पर भरोसा किया है, बल्कि दिनांकित 23.03.2015 सी. आर. सी. एल. रिपोर्ट पर भी भरोसा किया है, जो इंगित करेगी कि स्वयं विभाग का सुसंगत रुख यह था कि निर्धारिती द्वारा निर्मित उत्पाद 'तंबाकू चबाना' है और इस तरह न्यायाधिकरण का विवादित आदेश हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देगा।

सीएमआर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यूआरएमआईएन प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड। और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 646

645

118. निर्धारिती ने तर्क दिया कि राजस्व की यह धारणा कि 'जर्दा सुगंधित तंबाकू' में कुछ फ्लेवर जोड़ना गलत है, क्योंकि ये योजक केवल 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में उत्पाद के स्वाद और मूल्यांकन को बढ़ाते हैं, और बुनियादी विशेषताओं को नहीं बदलते हैं। यह भी तर्क दिया गया कि

'चबाने वाला तंबाकू 'और' जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू '

कानून के तहत, व्यापार की भाषा के सिद्धांतों का सहारा लिया जाना चाहिए, जो कि उत्पाद का उपयोग करने वाले लोगों द्वारा इसका लोकप्रिय अर्थ और समझ है, न कि वैज्ञानिक और तकनीकी।

निर्धारिती ने इस तर्क पर भी जोर दिया कि सी. आर. सी. एल. की अंतिम रिपोर्ट दिनांक 14.12.2015 एक 'प्रेरित राय' है। यह आगे तर्क दिया गया कि राजस्व यह स्थापित करने या प्रदर्शित करने में विफल रहा है कि उत्पाद 'चबाने वाला तंबाकू' नहीं है और रासायनिक परीक्षक की प्रतिपरीक्षा से पता चला है कि वह अपनी रिपोर्ट को प्रमाणित करने में विफल रही है, जिसके आधार पर उसने कहा कि उत्पाद 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' है। इसलिए, निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा करते हुए निर्धारिती ने अपील को खारिज करने की मांग की है:

- ‘1. प्रभात जरदा फैक्ट्री बनाम कम्प. केंद्रीय उत्पाद शुल्क [2004 (163) ई. एल. टी. 485 (त्रि-दिल्ली)
2. सुरेश एंटरप्राइजेज बनाम कॉम. केंद्रीय उत्पाद शुल्क का, 06.07.2006 पर तय किया गया।
3. नागेश एसोसिएट्स बनाम सी. सी. ई., सूरत-II (2005 (188) ई. एल. टी. 251 (एस. सी.))।
4. गोपाल जरदा उद्योग बनाम सी. सी. ई., नई दिल्ली 2005 (188) ई. एल. टी. 251
5. धरम पाल सत्यपाल बनाम सीसीई नई दिल्ली [2005 (183) ईएलटी 241 (एससी)]।’

चर्चा और निष्कर्ष

119. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना और अभिलेख के अवलोकन पर यह सामने आया कि निर्धारिती द्वारा अधिकार क्षेत्र वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रभाग, कुंडली के समक्ष प्रस्तुत फॉर्म संख्या 1 दिनांकित 05.03.2015 में घोषणा की गई थी कि वे निर्माण कर रहे थे

‘महाप्रसाद जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू’। 17.03.2015 पर, प्रपत्र संख्या 2

निर्धारिती द्वारा 10.03.2015 से 31.03.2015 की अवधि के लिए प्रस्तुत किया गया था, और प्रपत्र संख्या 1 में घोषणा के अनुसार उक्त अवधि के लिए शुल्क का भुगतान किया गया था। आई. डी. 1 पर उसी तारीख को पंचनामा द्वारा विभाग ने निर्धारिती के उत्पाद के नमूने लिए, अर्थात् ‘महाप्रसाद जरदा/जरदा सुगंधित’।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

उसी का निर्माण किया और उसे सी. आर. सी. एल. को अग्रप्रेषित किया, जिसने दिनांक 23.05.2015 की राय के अनुसार निम्नलिखित राय दी:

“परीक्षण रिपोर्ट:

“नमूना वनस्पति पदार्थ के भूरे रंग के सूखे टुकड़ों के रूप में है। यह एक ऐसी तैयारी है जिसमें तंबाकू, चूने और फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं। यह जर्दा सुगंधित तंबाकू के अलावा अन्य है। इसमें खैनी की विशेषता है।

120. उक्त रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने निर्धारिती को सूचित किया कि निर्धारिती द्वारा निर्मित उत्पाद को अध्याय उप-शीर्षक 2403 9910 के तहत ‘चबाने वाले तंबाकू (फिल्टर खैनी के

अलावा)' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और इस तरह निर्धारिती-प्रतिवादी से आह्वान किया कि वह कारण बताए कि फॉर्म संख्या 1 दिनांकित 'आइ. डी. 2' को क्यों अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि प्रत्यर्थी-निर्धारिती द्वारा निर्मित उत्पाद 'चबाने वाले तंबाकू (फिल्टर खैनी के अलावा)' की श्रेणी में आता है और इसके तहत नहीं।

उपशीर्षक 2403 9930-'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू'।तदनुसार,

निर्धारिती ने अपने द्वारा निर्मित उत्पाद को 'चबाने वाला तंबाकू' घोषित करते हुए प्रपत्र संख्या 1 जमा करना शुरू कर दिया।इस न्यायालय ने लगातार माना है कि सामान्य बोलचाल परीक्षण अभी भी निर्णायक परीक्षणों में से एक है

किसी उत्पाद का वर्गीकरण।केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद चबाने वाले तंबाकू (2009) 12 एस. सी. सी. 419 में, इस न्यायालय ने

निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया:“49. उत्पाद शुल्क अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य राजस्व बढ़ाना है जिसके लिए विभिन्न उत्पादों को नए टैरिफ अधिनियम में अलग-अलग वर्गीकृत किया गया है। रिसॉर्ट को, परिस्थितियों में, उत्पाद का उपयोग करने वालों द्वारा ऐसे उत्पादों के साथ लोकप्रिय अर्थ और समझ होनी चाहिए और उपयोग किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों के वैज्ञानिक अर्थ और तकनीकी अर्थ के लिए नहीं होना चाहिए।इस प्रकार, उत्पाद के प्रति उपभोक्ता या उपयोगकर्ता का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है।यह देखना महत्वपूर्ण है कि उपभोक्ता किसी उत्पाद को कैसे देखता है और ऐसे उत्पाद के संबंध में उसकी क्या धारणा है।उत्पादों के वर्गीकरण के निर्धारण में उपयोगकर्ता की समझ एक मजबूत कारक है।

61. माल के वर्गीकरण के मामलों में, अदालतों द्वारा जिन सिद्धांतों का पालन किया गया है-जिनका हम समर्थन करते हैं-वे हैं कि बिना किसी परिवर्तन के वर्गीकरण को बदलने के लिए कोई औचित्य नहीं हो सकता है।

कॉमर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यूआरएमआईएन प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड। और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 648

प्रकृति में या उत्पाद के उपयोग में परिवर्तन; वर्गीकरण को बदलने के लिए कुछ और की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से जब उत्पाद समान रहता है।किसी मुद्दे पर अंतर-पक्षीय निर्णय उसी मुद्दे के निर्धारण में एक ठोस कारक है।वस्तुओं के वर्गीकरण के मामलों में मैक्सिम रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट एक्सेपिटुर की प्रयोज्यता को उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए।”121. रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट भी स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि यह 'तंबाकू चबाना' है।वास्तव में, यह राजस्व ही है जो लगातार असंगत रुख अपना रहा है।पहले उदाहरण में जब प्रपत्र संख्या 1 का नेतृत्व निर्धारिती द्वारा उत्पाद को 'महाप्रसाद जर्दा सुगंधित तंबाकू' घोषित करने के लिए किया गया था, तो विभाग ने कारखाने के परिसर से नमूने लिए, सी. आर. सी. एल. रिपोर्ट प्राप्त की, और निर्धारिती से सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9910 के तहत अपने उत्पाद को 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में फिर से वर्गीकृत करने का आह्वान किया और तदनुसार प्रपत्र संख्या 1 का नेतृत्व निर्धारिती

द्वारा किया गया और घोषणा पत्र के अनुरूप शुल्क का भुगतान किया गया। 2015 की अधिसूचना जारी होने के बाद ही 'जर्दा सुगंधित तंबाकू' पर देय शुल्क को संशोधित करते हुए नए नमूने लिए गए और राजस्व ने एक नई धुन गाना शुरू कर दिया, और इस प्रकार निर्धारिती से अपने द्वारा निर्मित उत्पाद को 'जर्दा सुगंधित तंबाकू' घोषित करने का आह्वान किया। राजस्व द्वारा निर्धारिती को संबोधित और निर्धारिती से अपने उत्पाद को 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत करने का आह्वान करने के लिए दिनांक 27.04.2015 के संचार के आलोक में और इसका निर्धारिती द्वारा अनुपालन किए जाने के कारण विभाग के लिए इसके विपरीत रुख अपनाने में बहुत देर हो चुकी है।

122. न्यायाधिकरण के आदेश में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए असंकलित पहलुओं को ध्यान में रखा गया है कि निर्धारिती के नेतृत्व में की गई घोषणा न्यायसंगत और उचित है, जो तथ्यों या हमारे हस्तक्षेप का आह्वान करने वाले कानून पर किसी भी तरह की अविश्वास से पर्याप्त नहीं है। अतः, अपील के नेतृत्व में

विभाग अस्वीकार किए जाने के योग्य है।

VI. केंद्रीय एक्साइज और सेवा कर आयोग मेरठ II बनाम एम/एस सोम पैन उत्पाद पी. वी. टी. लिमिटेड। [डायरी नं. 14581/19]

123. वर्तमान समूह में, राजस्व सी. ई. एस. टी. ए. टी., इलाहाबाद द्वारा पारित दिनांक 25.09.2018 के आदेश की शुद्धता और वैधता को चुनौती देते हुए अपील कर रहा है, जिसके तहत नीचे दिए गए अधिकारियों द्वारा पारित आदेश में प्रतिवादी द्वारा निर्मित उत्पाद को 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' माना गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9930 के अंतर्गत आने वाली और उठाई गई मांगों के परिणामस्वरूप अपील को अनुमति देने को दरकिनार कर दिया गया है।

संक्षिप्त तथ्य

124. निर्धारिती ने सीई अधिनियम के तहत पंजीकरण प्राप्त करने के बाद अपने द्वारा निर्मित उत्पाद को सीईटी एसएच 2403 9930 के तहत आने वाले 'जर्दा' के रूप में घोषित किया और इसे 'जर्दा सुगंधित तंबाकू' के रूप में शुल्क के लिए मूल्यांकन किया गया। 30.04.2015 पर, निर्धारिती ने 01.05.2015 से एक घोषणा का नेतृत्व किया, जिसमें उत्पाद को जर्दा घोषित किया गया, और उसी दिन 'जर्दा सुगंधित तंबाकू' और 'चबाने वाले तंबाकू' के लिए अलग-अलग दरों को अधिसूचित किया गया, जिसमें 'चबाने वाले तंबाकू' पर लगाए जाने वाले शुल्क के संबंध में एक बड़ा अंतर था। सहायक आयुक्त ने 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' पर शुल्क लगाने की बात कही और उसके बाद निर्धारिती ने दिनांक 'आईडी1' के माध्यम से अपनी घोषणा को सही करने की मांग की और उत्पाद को सीईटी एसएच 2403 9930 यानी 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के बजाय टैरिफ शीर्षक सीईटी एसएच 2403

9910 (चबाने वाला तंबाकू) में स्थानांतरित करने का इरादा रखा। सहायक आयुक्त ने दिनांक 18.05.2015 के संचार द्वारा अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और दिनांक 20.05.2015 के संचार द्वारा निर्धारिती से उत्पाद के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों की पूरी सूची प्रस्तुत करने के लिए कहा। निर्धारिती ने मई 2015 के महीने के विरोध में शुल्क का भुगतान किया, हालांकि उन्होंने एक संशोधित घोषणा का नेतृत्व किया है। सहायक आयुक्त ने दिनांक 02.06.2015 के आदेश के माध्यम से वर्गीकरण में प्रस्तावित परिवर्तन को खारिज कर दिया और जून 2015 से सितंबर 2015 के महीनों के लिए मांग उठाई और इस आदेश को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा 12.01.2016 पर स्वीकार किया गया। मई 2015 को अलग-अलग शुल्क का दावा करते हुए 04.05.2016 दिनांकित एक अलग कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था जिसे 16.03.2017 दिनांकित आदेश के माध्यम से स्वीकार किया गया था और अपीलीय न्यायाधिकरण ने दोनों आदेशों, अर्थात्, दिनांकित 12.01.2016 और 16.03.2017 को दरकिनार कर दिया था। निर्धारिती का यह तर्क देने का प्रयास कि उसके द्वारा जो निर्मित किया गया था, वह न्यायाधिकरण के समक्ष बिक्री चालान पर भरोसा करके 'चबाने वाला तंबाकू' था, सफल रहा और यह माना गया कि याचिकाकर्ता द्वारा निर्मित उत्पाद 'चबाने वाला तंबाकू' था। इसलिए, राजस्व अपील में है।

दलों की प्रस्तुतियाँ

125. राजस्व की स्थायी वकील सुश्री निशा बागची ने तर्क दिया कि निर्धारिती द्वारा पोस्ट फैक्टो घोषणा वैध नहीं होगी 649

कॉमर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यूआरएमआईएन प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड। और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 650

सी. टी. पी. एम. नियमों के नियम 6,7,9 को देखते हुए। वह तर्क देगी कि निर्धारिती ने अपनी घोषणा में स्पष्ट रूप से घोषित किया था कि उसके द्वारा निर्मित उत्पाद जर्दा सुगंधित तंबाकू है, जिसके आधार पर शुल्क देय होगा। न्यायाधिकरण ने इस आधार पर कार्यवाही करने में त्रुटि की कि यह राजस्व का मामला है कि निर्धारिती ने सी. टी. के समान दिखाकर जर्दा का निर्माण किया था, हालांकि निर्धारिती ने स्वयं जर्दा उत्पाद का निर्माण घोषित किया था। वह प्रस्तुत करेंगी कि वैधानिक प्रावधान दो प्रतिस्पर्धी शर्तों की कोई अवज्ञा प्रदान नहीं करते हैं और सामान को सामान्य वाणिज्यिक बोलचाल के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। वह आगे तर्क देगी कि निर्धारिती ठोस सबूत प्रदर्शित करने में विफल रहा था, कि उसने प्रासंगिक अवधि के दौरान चबाने वाले तंबाकू का निर्माण किया था। इसलिए, वह अपील की अनुमति के लिए प्रार्थना करती है। 126. निर्धारिती की ओर से उपस्थित लर्निंग काउंसल विभाग को प्रस्तुत किए गए पंजीकरण फॉर्म पर भरोसा करेगा जिसके तहत उत्पाद के निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की सूची निर्दिष्ट की गई थी और कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि उत्पाद के लिए सुगंध का उपयोग किया जा रहा था और इस तरह विभाग को निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत सामग्री का खंडन करना चाहिए था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि निर्धारिती ने कभी भी जेडएसटी के निर्माण की घोषणा नहीं की और यहां तक कि निर्धारिती द्वारा किए गए अनुरोध के बावजूद उत्पाद का कोई परीक्षण नहीं किया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है

कि सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9930 के तहत उत्पाद को 'जर्दा' के रूप में वर्गीकृत करने वाले निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत विवरण अपने आप में उत्पाद नहीं बनेंगे और जैसा कि राजस्व द्वारा तर्क दिया गया है, यह वह उत्पाद होगा जो निर्धारिती द्वारा निर्मित किया गया था जो शुल्क के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसलिए, निर्धारिती ने अपील को खारिज करने का अनुरोध किया है।

चर्चा और निष्कर्ष

127. हमने श्रीमती को सुना है। अपीलार्थी-राजस्व की ओर से पेश निशा बागची और प्रत्यर्थी-निर्धारिती की ओर से पेश सुश्री सीमा जैन। 128. सुश्री निशा बागची द्वारा यह तर्क देने का एक बहादुर प्रयास किया गया कि न्यायाधिकरण ने इस तथ्य की सराहना करने में गलती की कि वर्गीकरण में परिवर्तन स्थापित करने की जिम्मेदारी निर्धारिती पर थी और उसे इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आईएस शब्दावली में नहीं जाना चाहिए था कि प्रतिवादी-निर्धारिती द्वारा निर्मित उत्पाद 'च्युइंग तंबाकू' था। इसलिए, उन्होंने न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया है। इसके विपरीत, निर्धारिती के विद्वान वकील ने न्यायाधिकरण के आदेश का समर्थन किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

129. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद हम देखते हैं कि न्यायाधिकरण ने निर्धारिती की याचिका को स्वीकार करने के लिए निम्नलिखित कारण दिए हैं:-

“मान लीजिए कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ताओं ने अपने उत्पाद का विपणन चबाने वाले तंबाकू के रूप में किया है न कि जर्दा सुगंधित तंबाकू के रूप में। राजस्व ने न तो अपीलार्थी द्वारा की गई विनिर्माण प्रक्रिया पर विवाद किया है जो उत्पाद में किसी भी सुगंध या इत्र का उपयोग न होने को दर्शाती है और न ही विक्रेताओं, दुकानदारों या उत्पाद के अंतिम उपभोक्ताओं से कोई पूछताछ की है। कच्चे माल के रूप में इत्र या सुगंध की खरीद और फिर उत्पाद में उपयोग का कोई सबूत नहीं है। राजस्व। निर्धारिती के किसी भी कर्मचारी की जांच नहीं की गई ताकि यह स्थापित किया जा सके कि उनके उत्पाद के निर्माण के लिए इत्र का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार चबाने वाले तंबाकू के रूप में माल के विपणन का कथित कारक हमें अन्य कारणों के अलावा अपरिहार्य निष्कर्ष पर ले जाता है, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, कि विचाराधीन उत्पाद स्वीकार्य रूप से चबाने वाला तंबाकू है न कि जर्दा सुगंधित तंबाकू।”

130. न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया उपरोक्त निष्कर्ष तथ्यात्मक मैट्रिक्स की सराहना पर आधारित न्यायसंगत और उचित है जिसकी आवश्यकता नहीं होगी।

हस्तक्षेप। इसलिए याचिका खारिज की जाती है।

VII. केंद्रीय एक्साइज और सेंट अलवर के आयुक्त वी. तारा चंद नरेश चंद **[2019]** का सी. ए. <आई. डी. **1]** संक्षिप्त तथ्य

131. अंतिम समूह में, इस न्यायालय के समक्ष अपीलों के इस समूह में, राजस्व 2017 की उत्पाद शुल्क अपील में सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा पारित दिनांक 28.03.2018 के आदेश पर सवाल उठा रहा है, जिसके तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा पारित दिनांक 27.09.2017 के आदेश के तहत प्रतिवादी-निर्धारिती द्वारा निर्मित उत्पाद को सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9910 के तहत आने वाले 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि उक्त उत्पाद का राजस्व सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9930 के तहत आता है।

132. प्रत्यर्थी ने उत्पाद की घोषणा करने के लिए फॉर्म 1 का नेतृत्व किया था

इसके द्वारा 'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू' के रूप में निर्मित किया गया जो

न्यायनिर्णित किया गया और तदनुसार उपायुक्त द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसके तहत निर्धारिती के उत्पाद को उसके द्वारा 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्धारिती ने 28.04.2015 651 पर एक और फॉर्म भरा

कॉमर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यूआरएमआईएन प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड। और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 652

उत्पाद को "जयंती जरदा/जरदा सुगंधित" के रूप में वर्गीकृत करते हुए

सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9910 के तहत उत्पाद, जिसका समापन दिनांक 05.05.2015 के एक अन्य निर्धारण आदेश में हुआ, जिसमें उपायुक्त ने उत्पाद को सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9910 के तहत 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत किया।

133. पंचनामा बनाने और श्री का बयान दर्ज करने के बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क महानिदेशक द्वारा याचिकाकर्ता के कारखाने में तलाशी ली गई। तारा चंद जैन, निर्धारिती-फाई आर. एम. की भागीदार। नमूनों को रासायनिक जांच के लिए भेजा गया था। रासायनिक परीक्षक ने राय दी कि नमूनों में गंध वाले पदार्थों की एक विशिष्ट गंध थी जो 07.03.2016 की रिपोर्ट में देखी गई थी। इसलिए, मार्च 2015 से फरवरी 2016 की अवधि के दौरान, निर्धारिती ने उस प्रक्रिया का उपयोग करके उत्पाद का निर्माण किया जिसमें तंबाकू को पीसकर चूने, मेन्थॉल, सिंथेटिक फ्लोरिंग इत्र, यौगिक आदि के साथ मिलाया गया था और इसे "जयंती ब्रांड जरदा" के रूप में लेबल किया गया था। इसलिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क का आरोप लगाते हुए रु। 41 करोड़ रुपये का कम भुगतान किया गया और मांग को उठाया गया। उक्त कारण दर्शाओ नोटिस पर निर्णय लिया गया और मांग को स्वीकार कर लिया गया। हालांकि, कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था। न्यायाधिकरण ने विवादित आदेश द्वारा अपील को इस आधार पर स्वीकार कर लिया है कि विभाग ने स्वयं वर्गीकरण को 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में घोषित किया था, हालांकि निर्धारिती ने इसे 'जरदा/जरदा सुगंधित तंबाकू' के रूप में घोषित किया था और इस तरह के अपने आदेश पर भरोसा करते हुए उर्मिन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपील की अनुमति दी। अतः राजस्व विभाग ने वर्तमान अपील का नेतृत्व किया है।

दलों की प्रस्तुतियाँ

134. हमने राजस्व अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी वकील निशा बागची और प्रत्यर्थी निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री ए. आर. माधव राव की दलीलें सुनी हैं। राजस्व की ओर से पेश विद्वान वकील का यह तर्क है कि न्यायाधिकरण ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में त्रुटि की है कि उत्पाद का वर्गीकरण

'चबाने वाला तंबाकू' है न कि 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू'। वह करेगी।

यह तर्क देते हुए कि आयुक्त ने निर्माण की प्रक्रिया की जांच की थी और टैरिफ शीर्षक और व्यापार राय के आलोक में सी. आर. सी. एल. की परीक्षण रिपोर्टों को ध्यान में रखा था, जिसमें दो ग्राहकों का यह निष्कर्ष निकालना भी शामिल था कि उत्पाद 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' है। वह प्रस्तुत करेगी कि न्यायाधिकरण ने गलत तरीके से निर्धारित सिद्धांतों को लागू किया

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

अपने दिमाग को लागू किए बिना उमीन उत्पाद और फ्लेक्स एन फ्लेक्स

वर्तमान मामला। उन्होंने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने केवल उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संचार पर भरोसा किया है, जिसके तहत उत्पाद को 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत करने की निर्धारिती की प्रार्थना को खारिज कर दिया गया था और मूल आदेश को दरकिनार करने के लिए 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जो निर्धारिती द्वारा निर्मित उत्पाद को इस प्रकार वर्गीकृत करता था

'तंबाकू चबाना'।

135. वह प्रस्तुत करेंगी कि इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि कराधान की कार्यवाही में रोक नहीं लगाई जा सकती है और सीई अधिनियम की धारा 11 ए, जो सीमा की सामान्य अवधि के भीतर मांग की अनुमति देती है। इसलिए, वह अपील की अनुमति देने की मांग करती है।

136. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री ए. आर. माधव राव का तर्क होगा कि पिछली अवधि के लिए कोई छोटा शुल्क नहीं हो सकता है, विशेष रूप से वर्तमान मामले में, क्योंकि निर्धारिती के नेतृत्व में घोषणा को मंजूरी दी गई थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि वर्गीकरण की मंजूरी के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई थी और कहा कि आदेश अमान्य हो गए थे। वह यह भी जोड़ेंगे कि आई. एस. आई. की विशिष्टता और शब्दावली 'चबाने' की किसी भी अवज्ञा के अभाव में वर्गीकरण को निर्धारित करने के लिए लागू होती है।

'चबाने वाले तंबाकू' और 'जर्दा/जर्दा सुगंधित' के लिए तंबाकू की तैयारी

टोबैकोट 'या सी. बी. आई. सी. द्वारा निर्धारित कोई भी परीक्षण। उन्होंने तर्क दिया कि किसी उत्पाद के वर्गीकरण या वर्गीकरण में परिवर्तन का बोझ हमेशा राजस्व पर होता है और इसका भुगतान नहीं किया गया है। वह तर्क देंगे कि वर्गीकरण में एकरूपता होनी चाहिए। दामोदर जे. मालपानी बनाम सी.

सी. ई. मामले में (2004) 12 एस. सी. सी. 70 में 'चबाने वाले तंबाकू' से संबंधित एक मामले में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां अपनाई गई प्रक्रिया की जांच की गई है और एक निर्धारिती के मामले में राजस्व ने उत्पाद को 'गैर-निर्मित तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत किया है जो उस समय 24.01 शीर्षक के तहत आता है, उसी प्रक्रिया का पालन करने वाले दूसरे निर्धारिती के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है और वर्गीकरण में एकरूपता होनी चाहिए। वह तर्क देंगे कि सी. टी. पी. एम. नियम 2010 के नियम 6 (2) के तहत विचार किया गया सत्यापन केवल आवेदक के परिसर में स्थापित मशीनों की संख्या के सत्यापन के लिए सीमित नहीं है और उत्पाद का विवरण और उसी का वर्गीकरण भी सत्यापित है और यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि जब उसने 653 के वर्गीकरण को बदलने का प्रयास किया था तो यंत्रों के सत्यापन के अलावा प्रतिवादी के उत्पाद का भौतिक सत्यापन किया गया था।

कॉमर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यूआरएमआईएन प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड। और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 654

उत्पाद 'चबाने वाले तंबाकू' से 'जरदा/जरदा सुगंधित टोबैकोट' तक और वही अस्वीकार कर दिया गया था। वह प्रस्तुत करेगा कि धारा 3 ए के तहत अधिसूचना विचाराधीन अवधि (अर्थात् मार्च 2015 से फरवरी 2016) के लिए चार विषय शामिल किए गए अलग-अलग उत्पादों में से प्रत्येक में उत्पादन और दर की अलग-अलग मानी जाने वाली क्षमता होती है, जो कुछ उत्पादों के लिए पैकिंग की गति का एक कार्य था। इसलिए, विभाग को अनिवार्य रूप से उपयुक्त शुल्क प्रविष्टि को वर्गीकृत करना होगा ताकि आवेदक द्वारा भुगतान की जाने वाली मासिक मानित क्षमता और शुल्क निर्धारित करने के आदेश पारित किए जा सकें। वह प्रस्तुत करेगा कि मासिक विवरणी भी प्रत्यर्थी-निर्धारिती के उत्पाद को दर्शाती है क्योंकि 'चबाने वाले तंबाकू' की जांच की गई है और संबंधित अवधि के लिए सही होने का आकलन किया गया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम 2002 के नियम 12 का उल्लेख करते हुए, वह तर्क देंगे कि विवरणी की अंतिम भाषा धारा 3 ए के तहत अधिसूचित वस्तुओं पर लागू होगी और कहा कि विवरणी की जांच और मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि किस प्रक्रिया द्वारा निर्धारिती द्वारा निर्मित उत्पाद का सत्यापन किया जाएगा और उसी का वर्गीकरण किया जाएगा। इसलिए, निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा करके वह अपील को खारिज करने के लिए प्रार्थना करता है।

क) केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, बड़ौदा बनाम कॉट्सपन लिमिटेड (1999) 7 एस. सी. सी. 633

ख) भारत संघ बनाम दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स 1963 सप.1 एससीआर 586।

ग) केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, कानपुर बनाम कृष्णा कार्बन पेपर कंपनी (1989) 1 एस. सी. सी. 150

घ) कोस्टल पेपर लिमिटेड। बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, विशाखापत्तनम (2015) 10 एस. सी. सी. 664

ई) पारले एगो प्राइवेट लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर आयुक्त, त्रिवेंद्रम (2017) 7 एस. सी. सी.
540

च) दामोदर जे. मालपानी और आन्न बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर (2004) 12 एस. सी. सी.
70

चर्चा और निष्कर्ष

137. हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेखों का अध्ययन किया है। शुरुआत में, हम यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करना चाहते हैं कि न्यायाधिकरण ने हालांकि तथ्यों और तथ्यों में अन्य कारणों को निर्दिष्ट करने के अलावा, उर्मिन और फ्लेक्स-एन-फ्लू एवोर्ज के फैसले पर भरोसा किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

वर्तमान मामले में प्राप्त परिस्थितियों में, हम न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निर्णयों के बावजूद, प्रतिद्वंद्वी दलीलों की जांच करने के लिए आगे बढ़े हैं।

उर्मिन प्रोडक्ट्स और फ्लेक्स-एन-फ्लू एवोर्ज में जो विषय वस्तु हैं

2010 की सिविल अपील No.10159-161 और 2015 की सिविल अपील No.5146, जिसे हमारे द्वारा इस सामान्य आदेश के तहत अलग और स्वतंत्र कारण बताते हुए निर्णय दिया गया है और उक्त मामले के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से अलग हैं। इस विचार को इस तथ्य से भी बल मिलता है कि तत्काल मामले में, निर्धारिती के उत्पाद के संबंध में एक जांच की गई थी और प्रतिवादी के कारखाने के प्रभारी अधीक्षक ने निर्धारिती के कारखाने का दौरा करने के बाद 04.03.2015 पर उपायुक्त को रिपोर्ट प्रस्तुत की, मशीनों और निर्मित उत्पाद का निरीक्षण किया, क्योंकि निर्धारिती ने फॉर्म 1 में घोषित किया था कि उसके द्वारा निर्मित उत्पाद 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' है। उक्त रिपोर्ट में अधीक्षक ने निम्नलिखित राय दी है:

“जहां तक निर्धारिती के पंजीकरण में संशोधन के संबंध में उनके वित्तीय उत्पाद फॉर्म 24039910 (चबाने वाले तंबाकू) के सीईटीएसएच को 24039930 (जर्दा सुगंधित तंबाकू) में बदलने के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्पादन प्रक्रिया/अवयवों को देखते हुए उत्पाद पहले से ही सीईटीएसएच 24039910 के तहत सही ढंग से वर्गीकृत है और सीईटीएसएच 24039930 के तहत वर्गीकरण के योग्य नहीं है, जैसा कि निर्धारिती द्वारा दावा किया गया है।”

138. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि निर्धारिती का रुख इस आशय के अनुरूप रहा है कि उसके द्वारा निर्मित उत्पाद को 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत किया जाना है और अधिकार क्षेत्र के उपायुक्त के आग्रह पर निर्धारिती वस्तुओं को सी. ई. टी. एस. एच. 2403 9910 यानी 'चबाने

वाले तंबाकू' के तहत वर्गीकृत कर रहा था, जिसके लिए सी. टी. पी. एम. नियमों के नियम 6 (2) के तहत निर्धारण का आदेश भी पारित किया गया था। जबकि मैं

अन्य मामले, अर्थात् उर्मिन और फ्लेक्स-एन-फ्लेवर्ज, तथ्य थे

पूरी तरह से अलग। उर्मिन प्रोडक्ट्स में निर्धारिती ने उत्पाद को 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में घोषित किया था और फिर वर्गीकरण केशन को 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' में बदल दिया था और फिर से इसे घोषित करने या इसे 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत करने की मूल स्थिति में वापस आ गया था। उर्मिन उत्पादों में ये वर्गीकरण स्वयं निर्धारिती के कहने पर किए गए थे। फ्लेक्स-एन-फ्लेवर्ज में, निर्धारिती पर 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' का निर्माण करने और इसे 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में साफ करने का आरोप लगाया गया था, और तथ्यों पर यह पाया गया कि 655 थे।

कॉमर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यूआरएमआईएन प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड। और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 656

तंबाकू में योजक जोड़े जाते थे। उक्त मामले में इस न्यायालय ने तथ्यों पर अभिनिर्धारित किया कि निर्धारिती के कारण कोई जानबूझकर दमन नहीं किया गया था और राजस्व उत्पाद को 'जर्दा सुगंधित टोबैकोट' के रूप में स्थापित करने में विफल रहा था। 139. तत्काल मामले में निर्धारिती ने स्पष्ट रूप से अपने उत्पाद को फॉर्म 1 में उप-शीर्षक 2403 9930 के तहत आने वाले 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के रूप में घोषित किया था और उक्त घोषणा के आधार पर, नियम 6 (2) के तहत क्षमता निर्धारण आदेश दिनांक 04.03.2015 को उत्पाद को 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में फिर से वर्गीकृत करते हुए पारित किया गया था। तदनुसार, अप्रैल 2015 की अवधि के लिए प्रपत्र-1 में निर्धारिती ने उत्पाद को 'जयंती जरदा सुगंधित-2403 9910' के रूप में वर्णित किया था। हालाँकि, दिनांक 05.05.2015 के क्षमता निर्धारण आदेश में, उपायुक्त ने माल को 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत किया। इस प्रकार, तत्काल मामले में तथ्यों का कोई गलत विवरण या दमन, मिलीभगत या धोखाधड़ी नहीं थी और इसलिए तथ्यों पर, उर्मिन के मामले में प्रतिपादित सिद्धांत अलग-अलग हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह अदालत सी. सी. ई. के मामले में

बनाम डैमनेट केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (2007) 7 एस. सी. सी. 490 ने कहा था:

“26. इन परिस्थितियों में, हम यह मानना मुश्किल मानते हैं कि निर्धारिती द्वारा जानकारी को जानबूझकर या जानबूझकर रोका गया है। जानबूझकर और जानबूझकर तथ्यों को दबाने से कम कोई जानबूझकर गलत कथन नहीं किया गया है। यह तय कानून है कि धारा 11-ए (1) के प्रावधान को लागू करने के लिए केवल एक गलत कथन पर्याप्त नहीं हो सकता है। कानून में आवश्यकता यह है कि इस तरह का गलत कथन या तथ्यों का दमन जानबूझकर किया जाना चाहिए। हम इस निर्णय को विभिन्न आधिकारिक घोषणाओं के साथ बोझ डालने का प्रस्ताव नहीं करते हैं सिवाय इसके कि

इस न्यायालय ने आनंद निशिकावा कंपनी लिमिटेड बनाम सीसीई [(2005) 7 एससीसी

749:

(2005) 188 ई. एल. टी. 149] जिसमें इस न्यायालय ने निर्णय दिया: (एस. सी. सी पी. 759, पैरा 27) "27. हम मानते हैं कि 'तथ्यों को दबाने' का केवल एक ही अर्थ हो सकता है कि शुल्क के भुगतान से बचने के लिए जानबूझकर सही जानकारी का खुलासा नहीं किया गया था। जब दोनों पक्षों को तथ्यों के बारे में पता चल जाता, तो एक व्यक्ति द्वारा वह करने में चूक करना जो उसने किया होगा और यह नहीं कि उसने किया होगा, इसे दमन नहीं बनाता। यह एक स्थापित कानून है कि केवल घोषणा करने में विफलता जानबूझकर दमन के बराबर नहीं है। वहाँ।

निर्धारिती की ओर से जानबूझकर दमन करने के लिए कुछ सकारात्मक कार्य होना चाहिए।"

(जोर दिया गया)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

27. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह स्पष्ट है कि आबकारी अधिकारियों ने निर्माण प्रक्रिया का निरीक्षण किया था, प्रतिवादी निर्धारिती से आवश्यक जानकारी और विवरण एकत्र किए थे और यहां तक कि नमूने भी एकत्र किए थे और रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजे थे। अधिकारी प्रत्यर्थी द्वारा निर्मित उत्पादों के परीक्षण और विश्लेषण रिपोर्ट से अवगत थे। प्रासंगिक तथ्य विभाग के अधिकारियों की जानकारी में थे। विभाग ने इस बात का कोई सबूत देने का प्रयास नहीं किया कि शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से कोई जानबूझकर गलत कथन या तथ्यों का दमन किया गया था।"

140. वर्तमान मामले के तथ्यों में, नियम 26 के तहत इस आधार पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है कि कर्तव्य से बचने का कोई इरादा नहीं था। वास्तव में, आयुक्त ने अपने दिनांकित 27.09.2017 आदेश में निम्नलिखित अधिनियम के पैरा 48.2 पर निष्कर्ष निकाला है:

".....उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मामले में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 ए (4) के प्रावधानों को लागू करने के लिए शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से कोई धोखाधड़ी या मिलीभगत या कोई जानबूझकर गलत कथन या तथ्यों को अलग नहीं किया गया है।"

141. यह भी ध्यान देने योग्य है कि 04.03.2015 पर प्रत्यर्थी-निर्धारिती ने पंजीकरण प्रमाण पत्र में बदलाव करने की मांग की और दावा किया कि उसके द्वारा निर्मित उत्पाद जरदा/जर्दा था। हालाँकि, अपीलकर्ता-राजस्व ने प्रत्यर्थी से 'जरदा' के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन वापस लेने और इसे केवल 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में दिखाने का आह्वान किया और उसके बाद उत्पाद को 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में दिखाने वाले आवेदन को 06.07.2015 पर दर्ज किया गया और तदनुसार कहा गया कि आवेदन को 23.07.2015 पर अनुलग्नक A-45 (काउंटर एफ़ी डेविट का खंड II) के माध्यम से अनुमति दी गई थी। इस प्रकार, पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वयं उत्पाद को 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में प्रदर्शित करता है। इस अदालत ने सी. सी. ई. बनाम टाटा टेक लिमिटेड (2008) 11 एस. टी. आर. 449 (एस. सी.) के मामले में निर्णय दिया है;

“उस वर्गीकरण के खिलाफ मांग नहीं की जा सकती है जिसके तहत उत्पाद को पंजीकरण प्रमाण पत्र में उत्पाद के वर्गीकरण को पूर्ववत् किए बिना पंजीकृत किया गया है।

142. वनाच्छादित कारणों से हमारा विचार है कि न्यायाधिकरण के निर्णय इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देते हैं और अपील को विफल होना पड़ता है।

कॉमर। ऑफ सेन। ईएक्ससी। अहमदाबाद बनाम मेसर्स यू. आर. एम. आई. एन. प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड और अन्य [अरविंद कुमार, जे.]

657

143. हम पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रदान की गई सक्षम सहायता के लिए अपनी गहरी सराहना दर्ज करते हैं, न केवल प्रासंगिक समय पर प्रचलित वैधानिक प्रावधानों, अधिसूचनाओं और परिपत्रों का संकलन उपलब्ध कराने में, बल्कि तर्कों की उनकी विद्वतापूर्ण व्याख्या भी करते हैं जो यहां ऊपर उल्लिखित हैं, जिसने इस न्यायालय को यहां ऊपर दर्ज किए गए निष्कर्षों पर पहुंचने में सक्षम बनाया।

परिणामस्वरूप, हम निम्नलिखित को पारित करने के लिए आगे बढ़ते हैं:

ओ आर डी ई आर

(क) 2010 की सिविल अपील Nos.10159-10161, 2019 की डायरी No.44912 से उत्पन्न सिविल अपील No. of 2023 और सिविल अपील सं। 2020 के डायरी NO.6888 से उत्पन्न 2023 की अनुमति दी गई है। (ख) 2015 की सिविल अपील सं. 5146, 2020 की सिविल अपील सं. 2469 के साथ-साथ 2020 की डायरी सं. 3492, 2810, 3484, 3513, 3536, 3544, 3545 और 3547, 2023 की सिविल अपील सं. 3596, 2019 की डायरी सं. 14581 से उत्पन्न सिविल अपील सं. और 2019 की सिविल अपील सं. 959 से उत्पन्न सिविल अपीलों को इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

(ग) 2020 की डायरी संख्या 3487 से उत्पन्न 2023 की सिविल अपील संख्या _____ अनुच्छेद संख्या में की गई टिप्पणियों के आलोक में नए सिरे से निर्णय लेने के लिए न्यायाधिकरण को प्रेषित की जाती है। समूह संख्या-4 के 110 और 113

अपील (अर्थात् धर्मपाल प्रेमचंद समूह)

((घ) लागत आसान हो जाती है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपीलों का निपटारा किया गया।

बिभूति भूषण बोस

सहायता दी: शुभांशु दास, एलसीआरए